नवम माला, खंड 12 अंक 1

शुक्रवार, 16 नवम्बर, 1990
25 कार्तिक 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 1 से तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 16 नवम्बर, 1990/25 कार्तिक 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
मुख्य पृष्ठ	नीचे से पंक्ति 4	"(खंड 12 में अंक 1 से तक है)" के स्थान पर "(खंड 12 में अंक 1 है)" पढ़िये।
31	अंतिम पंक्ति	"प्रो॰ मधु दण्डते" के स्थान पर "प्रो॰ मधु दण्डवते" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 12, पांचवां सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 1, शुक्रवार, 16 नवम्बर, 1990/25 कार्तिक, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
दिल्ली के कुछ भागों में हाल ही में हुए दंगों के बारे में	2—3 और 4—12
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	4
मन्त्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव	12—19 और 20—120
श्री चन्द्र शेखर	15 और 103
प्रो॰ मधु दण्डवते	20
श्री कादम्बुर एम॰ आर॰ जनार्दनन	39
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	42
श्री देवी लाल	51
श्री सोमनाथ चटर्जी	57
श्री बसंत साठे	62
श्रीमती गीता मुखर्जी	71
श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा	76
श्री नानी भट्टाचार्य	78
श्री चित्त बसु	80
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	82
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	95
कुमारी मायावती	97
श्री वामनराव महाडीक	99
श्री ए॰ के॰ राय	101
नए प्रधान मंत्री का परिचय	19—20

नौवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अकबर, श्री एम० जे० (किशनगंज)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री जे० पी० (चांदनी चौक)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अतिन्दर पाल सिंघ, स० (पटियाला)

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर० (तिरुचेन्दूर)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अन्धारासु, इरा, श्री (मद्रास मध्य)

अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)

अम्बरी, श्री लेइता (अरुणाचल पूर्व)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अर्गल, श्री छविराम (मुरैना)

अली, श्रीमती सुभाषिनी (कानपुर)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)

अहमद, श्री अनवार (उन्नाव)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी (नासिक)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (नई दिल्ली)

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ओडेयर, श्री चनैया (वायनगिरि)

ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

कटारिया, श्री गुलाब चन्द (उदयपुर)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमान्डर, श्री मोहम्मद हुसन (लद्दाख)

करेद्दुला, कुमारी कमलाजी (भद्राचलम)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कापसे, प्रो० राम गणेश (ठाणे)

काबडे, डा० वेंकटेश (नान्देड़)

कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)

कालका दास, श्री (करोल बाग)

कालवी, श्री कल्याण सिंह (बाड़मेर)

कालीमुथु, डा० के० (शिवकाशी)

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी (बुलढाना)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (बरसाराबपेट)

कुन्डू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह (गाजीपुर)

कृपाल सिंह, श्री (अमृतसर)

कृष्ण, श्री जी० (इलुरु)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (त्रिचलोन)

केशरी लाल, श्री (चाटमपुर)

कौंतल, श्री राम कृष्ण (अनकापल्ली)

कोटड़िया, श्री मनुभाई (अमरेली)

कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश (अडूर)

कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (दुर्ग)
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल (राजगढ़)
खटीक, श्री शंकर लाल (सागर)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खां, हाजी जी० एम० (मुरादाबाद)
खान, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खालसा, श्रीमती बिमल कौर (रोपड़)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गंगाधर, श्री एस० (हिन्दूपुर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पूणे)
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई (मान्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)
गुडादिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री जनकराज (जम्मू)
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह (राजनन्दगांव)
गोखले, श्री विद्याधर (मुम्बई उत्तर मध्य)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे (चिकमगलूर)
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कांति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्रीपेरुम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चांदराम, श्री (हरदोई)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री खेमचंदभाई सोमाभाई (पाटण)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चेन्नीथाला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री दसई (रोसेड़ा)
चौधरी, श्री राम प्रसाद (खलीलाबाद)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौहान, श्री प्रभातसिंह (कैरा)
जग पाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम०आर०(तिरुनेलवेली)
जमुना, श्रीमती जे० (राजामुन्द्री)
जय प्रकाश, श्री (हिसार)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (जोधपुर)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाटव, श्री धान सिंह (बयाना)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जावाली, डा० वासवराज (गुलबर्गा)

जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)

जू देव, श्री दिलीप सिंह (जांजगीर)

जेना, श्री श्रीकांत (कटक)

जोराबर राम, श्री (पलामांउ)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

टंडेल, श्री डी० जे० (दमण और दीव)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चंद्र (बीरभूम)

डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक (रायचूर)

ढाकणे, श्री बबनराव (बीड)

तम्बि दुरै, डा० (करूर)

तस्लीमुद्दीन, श्री (पूर्णिया)

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास (खंडवा)

तारीफ सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)

तिवारी, श्री जनार्दन (सीवन)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तोपेदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्यागी, श्री के० सी० (हापुड़)

थापा, श्री नन्दू (सिक्किम)

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपूजा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरट, श्री एस० बी० (पंढरपुर)

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दानवे, श्री पुंडलीक हरि (जालना)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहाण्डी)

दासगुप्त, डा० विप्लव (कलकत्ता दक्षिण)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्री नरसिंहराव (भिण्ड)

देव बर्मन, श्री के० बी० के० (त्रिपुरा पूर्व)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)

देवी लाल, श्री (सीकर)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय (अमरावती)

धनखड़, चौ० जगदीप (झुन्झुनू)

धवन, श्री हरमोहन (चण्डीगढ़)

धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार (हमीरपुर)

ध्यान सिंह, श्री (फिरोजपुर)

नन्दी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नाईक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाथू सिंह, श्री (दौसा)

नायक, श्री नकुल (फूलबनी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचैट्टिपालयम)

निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नगिरि)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

नेगी, श्री सी० एम० (गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (बिल्हौर)

पंडियन, श्री डी० (मद्रास उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल सिंह (कैराना)

पथेरवाल, श्री गोपाल (टोंक)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)

पटेल, श्री अर्जुन भाई (बलसाड़)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री नटुभाई एम० (आनन्द)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी)

पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई (साबरकंठा)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास (गोधरा)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

धरास्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)

पलनीसामी, श्री के० सी० (तिरूचेंगोडे)

पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडे, श्री राजमंगल (देवरिया)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव (इरन्दोल)

पाटिल, श्री एस० टी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री प्रकाशबापू बसंतराव (सांगली)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री बासवराज (कोप्पल)

पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणि, श्री रवि नारायण (देवगढ़)

पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ (हजारीबाग)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)

पाल, श्री एम० एस० (नैनीताल)

पाल, डा० देबी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम बिलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलेप्पी)

पुरोहित, श्री बनवारीलाल (नागपुर)

पेरुमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पैंचालैया, श्री पी० (नेल्लौर)

पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरी)

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री आर० एस० (नालन्दा)

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रेम प्रदीप, श्री (नवादा)

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फर्नान्डीज, श्री जॉस (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

बंगाली सिंह, डा० (हाथरस)

बंसी लाल, श्री (भिवानी)

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)

बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाडा)

बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)

बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)

बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बागा रेड्डी, श्री एम० (मेडक)

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)

बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव (खेड)

बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)

बाला, डा० असीम (नवद्वीप)

बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)

बासराज, श्री जी० एस० (टुमकुर)

बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

[illegible], श्रीमती [illegible] कौर ([illegible])

बेंजामिन, श्री एम० (बपतला)

बेग, श्री आरिफ (बेतूल)

बेग, श्री युसुफ (मिर्जापुर)

बेगा राम, श्री (गगानगर)

बेहेरा, श्री भजमन (ढेंकानाल)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैस, श्री रमेश (रायचूर)

बोपचे, डा० खुशाल परसराम (भन्डारा)

ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको (बड़ौदा)

ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भक्त, श्री मनोरंजन (अडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)

भजन लाल, श्री (फरीदाबाद)

भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भार्गव गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)

भाटिया, श्री राम सेवक (जालौन)

भारतीय, श्री सन्तोष (फर्रुखाबाद)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)

भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव (सतारा)

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मक्कासर, श्री शोपत सिंह (बीकानेर)

मणवर, श्री बलवन्त (पोरबन्दर)

[illegible], श्रीमती [illegible] ([illegible])

मन्टोष, श्री पाल आर०(नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मरांडी, श्री साइमन (राजमहल)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मलिक, श्री मंगाराज (भद्रक)

मलिक, श्री सत्यपाल (अलीगढ़)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार (दिल्ली सदर)

मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाडीक, श्री वामनराव (मुम्बई दक्षिण मध्य)

महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)

महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)

महेश्वर सिंह, श्री (मंडी)

माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

मायकर, श्री गोपालराव (पणजी)

मायावती, कुमारी (बिजनौर)

मारक, श्री सनफोर्ड (तुरा)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)

मिश्र, श्री बालगोपाल (बोलनगीर)

मिश्र, श्री राज मंगल (गोपालगंज)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, डा० किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री नन्दलाल (सलुम्बर)

मुंजारे, श्री कंकर (बालाघाट)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुथिया, श्री आर० (पेरियाकुलम)

मुन्नन खां, श्री (बलरामपुर)

मुरलीधरण, श्री के० (कालीकट)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)

मेघवाल, श्री कैलाश (जालौर)

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)

मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र (मुम्बई उत्तर पूर्व)

मैथ्यू, श्री पलाई के० एम० (इडुक्की)

मोहम्मद, श्री इ०एस०एम० पाकीर(मयीलादुतुराई)

मोहम्मद शफी, श्री (श्रीनगर)

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, डा० एस० पी० (सम्भल)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री जनार्दन (गोड्डा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पदरौना)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृष्ण (आजमगढ़)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री रामजीलाल (अलवर)
यादव, श्री शरद (बदायूं)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सहरसा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (सीतामढ़ी)
यादवेन्द्र दत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
राउतराय, श्री नीलमणि (पुरी)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राजदेव सिंह, श्री (संगरूर)
राजवीर सिंह, श्री (आंवला)
राजू, श्रीमती उमा गजपति (विशाखापट्टनम)
राजू, श्री एम० एम० पल्लम (काकीनाडा)
राजू, श्री एस० विजय राम (पार्वतीपुरम)
राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेश्वरन, डा० बी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन० जे० (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राठौर, डा० भगवान दास (खुर्जा)
राणा, श्री काशीराम छबीलदास (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम प्रकाश, चौ० (अम्बाला)
राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामकृष्ण, श्री बाई० (कोलार)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदास, डा० आर० (टिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (आरा)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री लालबाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हरधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री आर० गुंडू (बंगलौर दक्षिण)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)
राव, श्री के० राम मोहन (बोब्बिली)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० बेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० बी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री बी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)
राव, श्री श्रीनिवास (नालगोंडा)

रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० नरसा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री राजमोहन (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लोधी, श्री गंगा चरण (हमीरपुर)
वघेला, श्री शंकरसिंह (गांधीनगर)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खीरी)
वर्मा, श्री एस० सी० (भोपाल)
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद (बेतिया)
वर्मा, श्री फूलचन्द (जाजापुर)
वर्मा, श्री बी० राजरवि (पोल्लाची)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
विजयराघवन, श्री ए० (पालघाट)
विश्वनाथम, डा० (श्रीकाकुलम)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (पेड्डापल्ली)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वेकारिया, श्री एस० एन० (राजकोट)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्कोडी)
शकीलुर्रहमान, डा० (दरभंगा)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री धर्म पाल (उधमपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शास्त्री, श्री अनिल (वाराणसी)
शास्त्री श्री कपिल देव (सोनीपत)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई (बनासकांठा)
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी (कच्छ)
शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवनकर, प्रो० महादेव (चिमूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई (जूनागढ़)
शेखर, श्री एम० जी० (धर्मपुरी)
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी० (हसन)
श्रीनिवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ (पटना)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (मुजफ्फरनगर)
समद, श्री अब्दुल (बेल्लोर)
सरताज सिंह, श्री (होशंगाबाद)
सरवर हुसैन, श्री (बुलन्दशहर)
सरोज, श्री सरजू प्रसाद (मोहनलालगंज)
सहाय, श्री सुबोध कान्त (रांची)

साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या (शोलापुर)
सान्याल, श्री माणिक (जलपैगुड़ी)
साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)
साय, श्री ए० लरंग (सरगुजा)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
सारण, श्री दौलत राम (चुरू)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या (तेनाली)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंह, श्री अजय (आगरा)
सिंह, श्री आनन्द (गोंडा)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्रीमती ऊषा (बैशाली)
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री ललित विजय (बेगूसराय)
सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)
सिंह, श्री तेज नारायण (बक्सर)
सिंह, श्री धनराज (मुंगेर)
सिंह, श्री धर्मंगज (शाहाबाद)
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र (मथुरा)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मानधाता (लखनऊ)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, श्री रामदास (गिरिडीह)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लोकेन्द्र (दमोह)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री सुखेन्द्र (सतना)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हर गोविन्द (अमरोहा)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री ए० एन० (आस्का)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सुंदरराज, श्री एन० (पुडुकोट्टाई)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुच्चा सिंह, बाबा (भटिंडा)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंहभूम)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूबेदार, श्री (राबर्ट्सगंज)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंचेरी)
सेमा, श्री शिकिहो (नागालैंड)
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर (चेंगलपट्टु)
सेल्वाराजु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोड़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, सूरजभानु (धार)
हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरीश पाल, श्री (मेरठ)
हर्षवर्धन, श्री (महाराजगंज)
हान्डू, श्री प्यारे लाल (अनन्तनाग)
हीरा भाई, श्री (बांसवाड़ा)
हेत राम, श्री (सिरसा)
होटा, श्री भवानी शंकर (अजमेर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री रवि राय

उपाध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

सभापति तालिका

डा० तम्बि दुरै
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री जसवन्त सिंह
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
श्रीमती गीता मुखर्जी

महासचिव

श्री के० सी० रस्तोगी

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री चन्द्र शेखर
उप प्रधान मंत्री	श्री देवी लाल

लोक सभा

बृहस्पतिवार, 16 नवम्बर, 1990/25 कार्तिक, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम थोड़े अन्तराल के बाद आज मिले हैं, मैं दुख के साथ सभा को सूचित करता हूं कि हमारे दो भूतपूर्व साथी श्री अमर सिंह राठवा और श्री मोहम्मद इस्माईल अब हमारे बीच नहीं रहे।

श्री अमर सिंह राठवा ने 1977-79 में छठी लोक सभा में तथा जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा में गुजरात के छोटा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने अपना समूचा जीवन आदिवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान में लगाया। वह अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे। उन्हें कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जिनके लिए उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाएं और छात्रावास स्थापित किए। श्री राठवा एक योग्य संसदविज्ञ थे तथा वे सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति, आवास समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

श्री राठवा का निधन 10 नवम्बर, 1990 को 48 वर्ष की अल्प आयु में एक कार दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के कारण हो गया।

श्री मोहम्मद इस्माईल 1967-70, 1971-77 और 1980-84 के दौरान क्रमशः चौथी, पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1945-50 में वह कलकत्ता नगर निगम के सदस्य रहे।

श्री इस्माईल एक प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा 1928 में उन्होंने

खिलाफत आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह ट्रेड यूनियन और राजनीतिक गतिविधियों के कारण कई वर्ष तक जेल में रहे।

श्री इस्माईल एक जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता थे तथा दिल्ली में हुए प्रथम भारतीय श्रमिक सम्मेलन के सलाहकार होने के साथ-साथ विभिन्न ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध थे।

श्री इस्माईल सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। वह बड़े मृदुभाषी थे तथा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी जाती थीं। उन्होंने सदैव मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया।

श्री इस्माईल का 14 नवम्बर, 1990 को 78 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया।

हम अपने इन मित्रों के अपने बीच में न रहने पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और मुझे यकीन है कि यह सभा शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

इस सभा के सदस्य अब दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

11.05 म० पू०

दिल्ली के कुछ भागों में हाल ही में हुए दंगों के बारे में

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर जो दंगे हो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मैंने आपको लैटर लिखा है, उसके बारे में आप बताएं कि आप उस पर क्या करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, पहले स्पीकर को सुनिए। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री हमारे क्षेत्र में गए हैं और हमें बुलाया भी नहीं गया। यह कितना पक्षपात है? (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी पहले हमारी बात सुनें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री जी सुन रहे हैं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहना है। मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, लोगों की हत्या की जा रही है। वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी मांग है कि इस पर एक वक्तव्य दिया जाए। आपको प्रधान मन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, लोढा साहब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कालेप्स हो गया है और दिल्ली पुलिस बिल्कुल फेल हो गई है···(व्यवधान)···आप प्रधान मन्त्री जी से कहें कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया है। अतः वह उस बारे में स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री जी आपकी बात सुन रहे है। वह जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : क्या आप स्टेटमेंट दिलवाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं कुछ कहने वाला हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : आप उनसे वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कह सकते?

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, दिल्ली के बारे में प्रधान मन्त्री जी स्टेटमेंट देंगे या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नानी बाबू बैठ जाएं।

[अनुवाद]

मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

11.09 म० पू०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पंजाब के तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री सिमरनजीत सिंह मान का 12 अक्तूबर, 1990 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने 12 अक्तूबर, 1990 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

मुझे यह भी सूचित करना है कि मुझे हरियाणा के कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री गुरदयाल सिंह सैनी का 9 नवम्बर, 1990 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने 9 नवम्बर, 1990 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करेगी···

(व्यवधान)

11.10 म० पू०

दिल्ली के कुछ भागों में हाल ही में हुए दंगों के बारे में

—(जारी)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : यह सरकार कौन चला रहा है ? गृह मन्त्रालय कौन चला रहा है ? हम वक्तव्य चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम प्रधान मन्त्री से एक वक्तव्य चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुला रहा हूं लेकिन आप सभी खड़े हैं। मैं इसे समझ नहीं सकता। मैं खड़ा हुआ हूं। क्या आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । सैफुद्दीन चौधरी, बोलो न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया आपको ? मैं सैफुद्दीन चौधरी को बुला रहा हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (क्वेलीकारा) : मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट यहां एकजुट हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, श्री चावड़ा, क्या आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम सभी दिल्ली में दंगों के बारे में चिन्तित हैं । प्रशासन ने स्थिति को खराब कर दिया है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सबने मांग की है कि मैं प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए बुलाऊं । आपको प्रधान मन्त्री की बात सुननी पड़ेगी । प्रधान मन्त्री ने आप सबकी बात सुनी है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने आपको लैटर लिखा लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया । (व्यवधान) मैंने आपको लैटर भेजा है, आप उनको कहिए कि स्टेटमेंट दें । (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : हमने आपको दिल्ली के दंगों के बारे में लिखकर दिया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने प्रधान मन्त्री से एक वक्तव्य मांगा है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें यहां वक्तव्य देना है ।

श्रीमती सुभाषिनी अली : ये सब क्यों हो रहा है ? सरकार कौन चला रहा है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गृह मन्त्री कहां हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 4 घण्टे तक झगड़ा हुआ और दिल्ली में 15 हजार लोग इकट्ठे [ए···

(व्यवधान)

श्री कालका दास : दिल्ली में कत्लेआम हुआ है और प्रधान मन्त्री दिल्ली पुलिस को सर्टिफिकेट दे आए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० अकबर बैठ जाओ। आप क्या समाधान चाहते हैं? पहले तो आप प्रधान मन्त्री का कान्फीडेंस मोशन पर भाषण सुनेंगे। ठीक है? तो मैं प्रधान मन्त्री को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए बुलाने पर सहमत हो गए हैं। अब मैं प्रधान मन्त्री को बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप प्रधान मन्त्री को सुनना चाहते हैं और मैं प्रधान मन्त्री को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभा अब सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा करेगी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मन्त्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आप चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए बुलाया जाए। अब प्रधान मन्त्री खड़े हैं। कृपया प्रधान मन्त्री की बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधान मन्त्री की बात सुनें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो दंगे हुए हैं और उस पर जो चिन्ता व्यक्त की गई है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : उस पर हम समान रूप से चिन्तित हैं। यह हमारे लिए दुःख और लज्जा की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में दंगे हुए। दंगे जिन लोगों ने करवाए···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको आपने सर्टिफिकेट दिया।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : दंगे जिन लोगों ने करवाए, उनको मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : आप हमारी बात सुनना चाहते हैं या अफसोस करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रश्न यह है कि दंगे किसने फैलाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखें। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाएं। अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वसुदेव आचार्य : कांग्रेस (आई) ने जलूस निकाला।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : परमिशन किसने दिया था ?

श्री चन्द्र शेखर : परमिशन किसने दिया था, अधिकारियों ने दिया था। बिना परमिशन के जलूस नहीं निकला था। (व्यवधान)···जलूस निकालने के पहले जलूस नहीं निकालने वालों ने आश्वासन दिया था कि जलूस शान्तिमय होगा और जब तक जलूस निकला, तब तक शान्ति रही। लेकिन जब जलूस ईदगाह के मैदान में पहुंचा, तो वहां पर कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक भाषण दिए और सारी उत्तेजना उससे फैली। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप पोस्टर दिखाएं। सभा में पोस्टर दिखाना ठीक नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : कांग्रेस (आई) के नेताओं ने जलूस निकाला था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, उस जलूस को संगठित करने वाले सिक्ख स्टूडेंट फैडरेशन का संगठन है···(व्यवधान)···माइनोरिटीज फ्रन्ट में सिक्ख स्टूडेंट फैडरेशन का एक वर्ग है और मुस्लिम जमात के कुछ लोग हैं···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, इससे न तो इनकी देशभक्ति का परिचय मिलता है और न उनकी धर्म-निरपेक्षता का परिचय मिलता है।···(व्यवधान)···मैं केवल इतना कहना चाहता हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनुदेव आचार्य : क्या कांग्रेस (आई) के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है ? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : उन्होंने वक्तव्य देने की बात कही। यदि वे नहीं सुनते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

मैं प्रत्येक तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में जितनी सूचना है, जितना सच है मैं सब बताऊंगा। घबराए क्यों हैं ? संगठित करने वाले एक माइनोरिटीज फ्रन्ट के नाम से एक संगठन है जिसमें सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के कुछ लोग और मुस्लिम जमात के कुछ लोग थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया मुझे सुनें। मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिए, श्री आचार्य, मैं खड़ा हूं। क्या आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। सैफुद्दीन जी, आप चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री वक्तव्य दें। आप इस तरह प्रधान मन्त्री के भाषण के बीच बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिपलब जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखें। मैं खड़ा हूं। मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे प्रधान मन्त्री की बात धैर्य से सुनें। कृपया प्रधान मन्त्री को बाधा नहीं पहुंचाएं जबकि मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं । जैसा आपने चाहा था वह वक्तव्य देंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था मैं किसी व्यक्ति का नाम छिपाना नहीं चाहता हूं लेकिन वाक्य तो पूरा करने दीजिए । मैंने कहा स्टुडेंट्स फेडरेशन के लोग, सिख फेडरेशन के लोग, उनका एक वर्ग···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : कांग्रेस (आई) के बारे में क्या किया है ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : कोई मेहता ग्रुप है वो, मुस्लिम फ्रन्ट के लोग, एक व्यक्ति जिनको आप कांग्रेस का व्यक्ति कह रहे हैं, उनका नाम श्री एफ० एम० खान है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उनका नाम भी संगठनकर्ताओं में था । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : राकेश ?

श्री चन्द्र शेखर : मेरे पास राकेश नाम नहीं है, हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देखूंगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बात पोस्टर में है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : मैं देखूंगा अध्यक्ष महोदय ।

[अनुवाद]

मैं इस पर गौर करूंगा श्री एफ० एम० खान···(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : श्री एफ० एम० खान कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं ।

श्री चन्द्र शेखर : वह मैं जानता हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं जानता हूं, बैठिए । एफ० एम० खान कांग्रेस से बहुत दिन पहले अलग हो गए हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे जनता दल (एस) का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो,

मैंने पुलिस को यह कहा कि जिसने भी दंगा कराया है, इसमें जिसका भी हाथ है, किसी भेदभाव के बिना उसको गिरफ्तार किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

मेरे मित्र खुराना जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं उनको साथ नहीं ले जा सका, यह बात सही है । जब कहीं दंगा होता है तो यह प्रशासन की बात होती है कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में सरकारी मन्त्रियों को नहीं जाना चाहिए । लेकिन बार-बार अफवाहें आ रही थीं कि बड़ी जोरदार आगजनी वहां पर हो रही है । लोग मौत के घाट उतर रहे हैं । मैंने दोपहर में जब अध्यक्ष महोदय आपके यहां भोजन हो रहा था तो विरोधी दल के नेताओं से कहा कि अगर हम लोग कोशिश करें, चलें, लेकिन उसके बाद अचानक मुझे वहां जाना पड़ा । आडवाणी जी ने कहा था कि मैं विजय कुमार मल्होत्रा जी से सम्पर्क करूं, मल्होत्रा जी अपने घर पर नहीं थे, मैं वहां गया, उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वहां पर साथ थे और किसी भी पार्टी का'''।

श्री मदन लाल खुराना : बीजेपी को टी० वी० पर ब्लैक आउट किया गया है । (व्यवधान)

श्री कालका दास : मेरा क्षेत्र था, मुझे सूचना नहीं दी । (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि माननीय सदस्यों की उपेक्षा की जाए । यह मेरी गैर-जानकारी की वजह से हुआ । (व्यवधान)

आप ऐसा मत समझिए कि आप जो कहें वही मैं कहने लगूंगा, जो मैं समझता हूं, वही कहूंगा ।

अभी खुराना जी ने कहा कि बीजेपी को टी० वी० पर ब्लैकआउट किया गया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे नेताओं से निवेदन करूंगा कि टी० वी० की भूमिका, दूरदर्शन की भूमिका ऐसे समय में क्या होनी चाहिए और आज ही मैं दूरदर्शन के लोगों से कहूंगा कि सारे नेताओं के पास जाएं और उनके बयान इस बात के लिए लें कि इस देश में सद्भावना और शांति रहे, उसमें चाहे बीजेपी के हों, चाहे और किसी अन्य पार्टी के हों, किसी भी पार्टी की उपेक्षा नहीं की जाएगी । दूरदर्शन में समाचार दिखाते समय क्या हुआ, मैं नहीं जानता और आप जानते हैं कि दूरदर्शन की अपनी परम्परा है, जिस परम्परा को बनाने में खुराना साहब का मुझसे ज्यादा हाथ रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़े दिन उसको बरदाश्त करें, उसके बाद ठीक कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां संयम से काम लिया और आज स्थिति नियन्त्रण में है । कुछ इलाकों में तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे कि घबराहट हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हर परिस्थिति में शांति रखी जाएगी ।

श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : जो नारे लगाए गए ?

श्री चन्द्र शेखर : नारे बहुत भद्दे लगाए गए, उन नारों को मैं नहीं दोहरा सकता ।

श्री मदन लाल खुराना : चार घण्टे तक नारे लगाए गए, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया ।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : वहां पुलिस तीन घण्टे बाद पहुंची। आपने कहा कि पुलिस ने ठीक काम किया है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : आपत्ति करने वाले नारों पर अगर पुलिस एक्शन लेने लगे तो बड़ा मुश्किल होगा। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : नारों से मालूम पड़ गया था कि ये क्या करने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : पुलिस की सीमाएं हैं। मैं आपके कहने से पुलिस को कभी यह निर्देश नहीं दूंगा कि किसी के बोलने और किसी के नारे पर, जहां 10 हजार लोग हैं, वहां भीड़ पर दमन की कार्यवाही करे। मैं यह जरूर कहता हूं कि जो नारे लगे वे बहुत आपत्तिजनक थे और नारों के खिलाफ पुलिस उस समय कार्यवाही नहीं कर सकती थी।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : वहां पर कांग्रेस के सारे लीडर्स कैसे पहुंचे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : प्राईम मिनिस्टर ने पहले ही पक्षपात दिखाना शुरू कर दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सारे टी० वी० पर आप लोगों को दिखाया गया।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, नाराजगी यही है तो सदन के तुरन्त बाद मैं दिल्ली के सभी संसद सदस्यों को निमन्त्रण देता हूं कि मेरे साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों में चलें और टी० वी० पर उनका पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री कालका दास : आपने तो पक्षपात को उजागर करना है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। मैं सदन के हर सदस्य को बराबर समझता हूं और किसी सदस्य में तथा दूसरे सदस्य में कोई भेदभाव करना मेरा मन्तव्य नहीं है। अगर ऐसी भावना बनी है तो मुझे इसका बड़ा दुःख है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हर एक सदस्य चाहे किसी दल का हो, चाहे मुझसे उसके कितने ही राजनीतिक मतभेद हों उसका वही सम्मान, वही आदर मेरी दृष्टि में है न कि किसी और दृष्टि में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही अपील है कि दंगे के सवाल पर अगर हम लोग यहां पर तेजी न दिखाएं तो हम लोग राष्ट्र का और देश का ज्यादा भला करेंगे। इस सवाल के ऊपर हम सब एक होकर शांति और अमन के लिए, आपसी सौहार्द के लिए काम करें। हमारे झगड़ों के लिए बहुत सारे मौके हैं। दंगे के सवाल पर हम में एकता होनी चाहिए ताकि हम सारे देश में एकता कायम कर सकें और सौहार्द कायम कर सकें। धन्यवाद।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इसकी जूडिशियल इन्क्वायरी करवाई जाए। यह सारे हिन्दुस्तान में रिपीट होगा अगर इसकी इन्क्वायरी न करवायी गयी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर जाफर शरीफ···

(व्यवधान)

11.34 म० पू०

मन्त्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मन्त्रि-परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाले सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

जैसाकि 15 नवम्बर, 1990 को पार्टियों/दलों के नेताओं के साथ मेरे द्वारा की गई बैठक में निर्णय लिया गया था, चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए तथा प्रधान मन्त्री 3.30 बजे वाद-विवाद का जवाब देंगे। यद्यपि बैठक में इस बात पर सहमति हो गई थी कि सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित नहीं होगी, आज शुक्रवार होने के कारण, मेरे विचार में, 1 बजे म० प० पर सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होगी।

सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि, जैसाकि उपरोक्त बैठक में यह आम सहमति हो गई थी, माननीय सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था और मतविभाजन संख्या में प्रधान मन्त्री, उप-प्रधान मन्त्री और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें नए स्थान और मतविभाजन संख्या दी गई है, के सिवाय आज की बैठक के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा।

माननीय प्रधान मन्त्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। (व्यवधान) महोदय, सभा के नियमों के अनुसार सभा के समक्ष रखा जाने वाला प्रस्ताव सुस्पष्ट होना चाहिए। जो प्रस्ताव माननीय प्रधान मन्त्री ने रखा है उसमें केवल यह कहा गया है और व्यापक शब्द 'मन्त्रि-परिषद' प्रयोग में लाया गया है। मन्त्रि-परिषद का अध्यक्ष कौन है ? (व्यवधान) क्या उन्हें अपना नाम लेने में डर लगता है या उन्हें और किसी से डर लगता है ? (व्यवधान) सभा को यह जानने का अधिकार है। (व्यवधान) महोदय, कोई मन्त्रि-परिषद नहीं है। (व्यवधान) प्रस्ताव सुस्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान) दूसरे, मन्त्रि-परिषद कहां है ? (व्यवधान) इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 नवम्बर से भारत सरकार कैसे चलाई जा रही है ? क्या संविधान इस बात की अनुमति देता है ? क्या संविधान के अनुच्छेद 77 के अधीन कोई कार्य किया गया है जोकि अनिवार्य है ? (व्यवधान) उनका प्रभारी कौन है ? क्या सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रभारी लाऊ हैं ? (व्यवधान) पिछले कुछ दिनों में सरकार कैसे चलाई गई है ? (व्यवधान)

श्री माणी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री नाणी भट्टाचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न स्पष्ट है। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 74(1), 75(1) और 352(3) से सम्बन्धित है। यह अनुच्छेद 77(1) और 77(2) से भी सम्बन्धित है। संविधान के प्रावधानों तथा इस सभा के नियमों के अनुसार 'मन्त्रि-परिषद' फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। यह एक बात है। फिर मन्त्रि-परिषद बनाने के लिए प्रधान मन्त्री के अलावा एक मन्त्री और चाहिए क्योंकि 'मन्त्री' शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है।

फिर विभागों के बंटवारे का प्रश्न सामने आता है। केवल यही नहीं; विभागों के बंटवारे का मन्त्रि-परिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। संविधान में एक प्रक्रिया है, विशेषतौर पर संविधान के अनुच्छेद 77(2) के अधीन है। परन्तु उसे नहीं अपनाया गया है। विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है।

संविधान का आशय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का आशय यह है कि सत्ता का अधिक केन्द्रीकरण एक या दो हाथों में ही नहीं होना चाहिए और कार्यों के बंटवारे तथा सामूहिक दायित्व की भावना कायम रखी जानी चाहिए। केवल शब्दों को ही नहीं अपितु संविधान के प्रावधानों के आशय को भी यथा सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधान मन्त्री द्वारा यथा प्रस्तावित प्रस्ताव का आशय—महोदय, जैसाकि अपने प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत करने को कहा—सभी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। ऐसे प्रस्ताव का आशय निरंकुश इरादे से स्वीकृति की मुहर प्राप्त करना है। ऐसे प्रस्ताव द्वारा एक खतरनाक प्रक्रिया स्थापित की जाती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं फिर यह कहूंगा कि यदि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो यह गलत और असंवैधानिक होगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह प्रस्ताव एक धोखा है। कोई मन्त्रीमण्डल अभी नहीं बना है। केवल छोटा-सा मन्त्रीमण्डल है। (व्यवधान)

अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "भविष्य में गठित होने वाले मन्त्रीमण्डल में विश्वास मत होना चाहिए।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात सुनें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैंने एक संशोधन दिया था। आपने शायद इसलिए उसे अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। यदि माननीय प्रधान मन्त्री सहमत हों तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

मेरा यह संशोधन था कि 'परिषद' शब्द से पूर्व 'प्रस्तावित' शब्द लगा दिया जाए अर्थात् यदि वह सहमत हों तो इसे "प्रस्तावित मन्त्रि-परिषद में विश्वास" व्यक्त कर दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, कृपया संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, सभा में कोई प्रस्ताव तभी बैध हो सकता है, जब वह सही मायनों में देश के संविधान के अनुरूप हो।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उच्चतम न्यायालय को इसकी व्याख्या करनी है न कि श्री चित्त बसु को। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री चित्त बसु आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : दल बदल करने वाला मुख्य व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जाने की बात कर रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु क्या आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे।

श्री चित्त बसु : सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में विश्वास प्रकट करती है।"

कोई नहीं जानता। मुझे प्रेस और दूरदर्शन से पता चला कि श्री चन्द्र शेखर के नेतृत्व में कोई सरकार है। (व्यवधान) इस प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रधान मन्त्री का नाम नहीं है। (व्यवधान)

महोदय, संविधान का अनुच्छेद 74 देखिए। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि :

"राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद होगी जिसके प्रधान प्रधान मन्त्री होंगे···"

इस समय कोई भी मन्त्रि-परिषद नहीं है। किसी के नेतृत्व में कोई सरकार नहीं है। (व्यवधान) अतः यह प्रस्ताव बैध नहीं है।

दूसरे, मन्त्रि-परिषद के सम्बन्ध में अनेक बातें है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : अनेक बातें नहीं बल्कि अनेक उलझनें हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : निहितार्थ से उलझनें पैदा होंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री चित्त बसु : संविधान के अनुसार सरकार और प्रधान मन्त्री अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन स्थिति लागू कर सकते हैं। यदि श्री चन्द्र शेखर देश में आपातकालीन स्थिति लागू करना चाहते हैं (व्यवधान) परन्तु राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरी मन्त्रि-परिषद का इस सम्बन्ध में ठोस संकल्प न हो (व्यवधान) अतः मन्त्रि-परिषद के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(व्यवधान)

मन्त्रि-परिषद में उप प्रधान मन्त्री के पद का भी कोई प्रावधान नहीं है। केवल प्रधान मन्त्री का ही प्रावधान है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आपने अपनी बात कह ली है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री चित्त बसु : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात दोहराइए नहीं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : केवल श्री चन्द्र शेखर और श्री देवी लाल मन्त्री हैं। सरकार का कार्य कैसे होगा ?···(व्यवधान)···अन्य मन्त्री कौन से हैं ?···(व्यवधान)···अब मैं नियमों की बात करता हूं। नियम 2(1) में उल्लेख है कि जो मन्त्री हैं, वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। अब मन्त्रिमण्डल कहां है ? अतः, महोदय सभा की कार्यवाही चलाई नहीं जा सकती है। विचारार्थ प्रस्ताव सही मायनों में संविधान के अनुरूप नहीं है। यह सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 2(1) का उल्लंघन है। अतः मेरी आपसे अपील है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, हम यहां सभा के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने के लिए हैं। हम यहां यह देखने के लिए हैं कि जब तक आप इस कुर्सी पर आसीन हैं कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) इसलिए मैं समझता हूं कि श्री चन्द्र शेखर भी इससे सहमत होंगे और यह पूर्णतया सही है कि उप-प्रधान मन्त्री के लिए संविधान में कहीं भी कोई भी उपबन्ध नहीं है। केवल एक मन्त्री से कोई मन्त्रि-परिषद गठित नहीं की जा सकती···(व्यवधान)···यह अत्याधिक गैर-कानूनी है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक आप अध्यक्षपीठ पर आसीन हैं, कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रपति को यह सिफारिश करें कि वह आज 4 बजे म० प० तक कम-से-कम एक और मन्त्री को शपथ दिलाएं और फिर वह वापस यहां पर आएं। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह उचित और सही होगा। महोदय, कृपया ऐसा कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। प्रस्ताव सही रूप में है। प्रस्ताव में प्रधान मन्त्री को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी टीम का चयन करना तो प्रधान मन्त्री का कार्य है। मन्त्रि-परिषद के आकार के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में तो प्रधान मन्त्री को तय करना है। संविधान की व्याख्या करना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है। ये व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधान मन्त्री।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मन्त्रिमण्डल के न बनने से हमारे कई मित्रों को बड़ा सदमा पहुंचा है और उनकी बड़ी इच्छा है कि वे मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों के चेहरे जल्दी-से-जल्दी देख लें। मिनिस्टरों की तस्वीर देखते-देखते आदत इतनी बिगड़ गई है कि बिना उन्हें देखे उनको संसद निरर्थक मालूम होती है। उन्होंने हमसे कारण जानना चाहा। कई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से यह काम हमने संभाला है और हमारे मित्रों ने बार-बार यह आवाज उठायी है कि संसद में हमारा कोई बहुमत नहीं है। मैं उनको इस बात के लिए कोई मौका

नहीं देना चाहता था कि उनकी इच्छा के बिना या संसद की इच्छा के बिना मैं बड़े पैमाने पर मन्त्रि-मण्डल का विस्तार करूं। इसलिए एक ही कारण था कि संसद से विश्वास प्राप्त करने के बाद तुरन्त मन्त्री-मण्डल का विस्तार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह कारण उनकी समझ में पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन यह कारण अगर उनकी समझ में नहीं आता तो जैसे एक खास तरह की चिड़िया होती है, जिसे सूरज की रोशनी में कुछ दिखायी नहीं देता तो इसमें सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं है, चिड़िया की आंख का दोष है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, देश की हालत बुरी है। एक ओर नहीं, चारों ओर हालत बुरी है। मैं यहां किसी के ऊपर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। (व्यवधान)

मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता और मैं इस समय कोई लम्बा-चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहता, सिर्फ जो दो-एक सवाल उठाए जाते हैं, केवल उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। सवाल है कि क्या यूपिस का मैन्डेट हमें प्राप्त है या नहीं, लोगों ने जन-समर्थन दिया है या नहीं। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है और यह बहुत जायज सवाल है। यह सवाल बहुत उचित सवाल है। जब हम पिछले चुनावों में जीते थे, जनता ने हमें सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, उस समर्थन में हमारे माननीय मित्र आडवाणी जी भी थे, सोमनाथ चटर्जी जी भी थे, इन्द्रजीत गुप्त जी भी थे, उस समय हमने कहा था कि हम कांग्रेस के विरोध में सरकार बनायेंगे। उस समय जो घोषणा पत्र जारी किया गया था आडवाणी जी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम धारा 370 के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी तरह से आडवाणी जी ने कुछ दूसरे सवाल भी उठाए थे, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। हमने भी कहा था कि कुछ सवालों पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी दामबंधी पार्टियों के लोगों ने भी कहा था कि कुछ बिन्दुओं पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। उस समय हमने यह भी विश्वास दिलाया था कि हम पांच वर्ष तक उस सरकार को चलायेंगे। यह भी जन-समर्थन पाने का एक आधार था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार को गिराने में क्या मेरा कोई हाथ था?···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने सरकार के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया था जो सरकार निष्प्राण थी, उस दिन से वह निष्प्राण हो गई थी जिस दिन से आडवाणी जी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जनतन्त्र के इतिहास में, संसदीय जनतन्त्र में आप मुझे केवल एक ही उदाहरण बता दीजिए कि कोई भी प्रधान मन्त्री स्पष्ट रूप से बहुमत का समर्थन खोने के बाद सदन में इस तरह से कुर्सी से चिपका रहा हो···(व्यवधान)···यहां राजनैतिक नैतिकता का सवाल उठाया जाता है और मुझे कहा जा रहा है कि मैंने उस सरकार को गिराया था। मैं उस समय के प्रधान मन्त्री के विरोध में था, इस बात को मैंने कभी नहीं छिपाया, लेकिन सरकार को गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। सरकार अगर गिरी तो उन दो मित्रों के आपसी मतभेदों की वजह से गिरी, जो आज साथ-

साथ बैठे हुए हैं। यदि पिछली सरकार चल रही थी तो उनके सहयोग की वजह से चल रही थी। सरकार अगर चल रही थी···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अनिल बाबू, आप बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट। विप्लव बाबू, आप भी बैठ जाइए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन सवालों को यहां उठाना नहीं चाहता था, अगर हमारे मित्र इन सवालों का जवाब चाहते थे तो सुनने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये सवाल···(व्यवधान)·· क्योंकि मेरी नजर में ये सवाल बुनियादी नहीं हैं। बुनियादी सवाल है कि देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, सवाल यह है कि देश किस हालत में है और जो लोग बड़े जोरों से वाह-वाह के नारे लगा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिस तरह से देश को 11 महीने तक चलाया गया है, जिस हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़ा गया है अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहने के लिए सदन में स्वतन्त्र नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहूंगा सारी पार्टियों के नेताओं से कि उन सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हू जिन परिस्थितियों में देश को छोड़ा गया है। अगर अध्यक्ष महोदय, वह सदन तैयार हो और अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं उन सारी परिस्थितियों को सदन के सामने रखने को तैयार हूं। इन छः दिनों में सरकार की हालत, देश की हालत वहां नहीं पहुंची है, जो हालत हमको विरासत में मिली है। मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को आज विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सारी कोशिशों के बावजूद यह देश टूटेगा नहीं। हजारों वर्षों की तहजीबोतमददुन का यह देश, हजारों करोड़ों लोगों की जन-शक्ति है, इस देश को बचाने के लिए, यह देश बचेगा। पिछले 11 महीनों में दुनिया के सामने क्या संकेत दिए गए, क्या नीतियां रखी गयीं दुनिया के सामने, इन सबके कारण आज देश के लोगों के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के स्थायित्व के ऊपर, देश की एकता और अखण्डता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और उस प्रश्न चिन्ह को समाप्त करने का एक ही तरीका है—आज देश के करोड़ों लोगों का हम सहयोग लें और करोड़ों लोगों में तथा भारत की अर्थव्यवस्था में वह ताकत है कि बिगड़ी हुई स्थिति को हम बना सकते हैं। सारे देशवासियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि कठिनाई का समय है, चुनौती का समय है, लेकिन हमें उनका सहयोग चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए। मैं सारी पार्टियों के नेताओं से आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देखें – मैं कुछ बातें कहने के लिए स्वतन्त्र हूं, लेकिन जितनी बातें आपके माध्यम से कही जा सकती हैं, मैं कहने के लिए तैयार हूं और जो बातें मैं आज कह रहा हूं, यदि उनमें एक प्रतिशत भी अतिशयोक्ति हो, तो न केवल प्रधान मन्त्री के पद से, बल्कि इस सदन की सदस्यता से हटने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में जानकारी थी और इस जानकारी को मैं आज, यहां नहीं बता रहा हूं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, कई महीनों से मैं इनसे कह रहा हूं—आडवाणी जी, जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हो, वह रास्ता विनाश का रास्ता है। उस समय मैंने वामपंथी पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि हम बरबादी की ओर, विनाश की ओर जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमने कांग्रेस के लोगों का समर्थन लिया और मुझे ऐसा करने में कोई ग्लानि नहीं है। मैंने समर्थन लिया है और वही समर्थन मैं चाहता हूं और मित्रों से भी, जो आज यहां खेम-खेम कह रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सवाल किसी व्यक्ति के गौरव का नहीं है। यह सवाल किसी व्यक्ति के अभिमान का नहीं है। यह सवाल देश की बचाने का है और इस देश को बचाने

के सवाल पर हम सबका एका चाहते हैं, सब की ताकत चाहते हैं, न केवल सदस्यों से, बल्कि सारे देश-वासियों से।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि एक दिन इस देश को बचाने के लिए आडवाणी जी आपके लिए देवता थे, आज आडवाणी आपके लिए राक्षस हो गए हैं, तो यह राजनीति आपकी है, मेरी नहीं। आज ये वामपंथी दल के लोग जो ऐसा समझते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल गया है—जिसको चाहे प्रगतिशील कह दें, जिसको चाहें प्रतिक्रिया-वादी कह दें, मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यही कहना चाहता हूं कि मैंने भी इस देश की राजनीति में कुछ समय बिताया है। इन बड़े बहादुरों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले वे जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें और सारे वामपंथी नेताओं, खासतौर से उन नेताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में काम किया है, जिनके पीछे एक इतिहास है, उस इतिहास के नाते मैं, उनका आदर करता हूं और आज भी मैं समझता हूं कि उनको शायद परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है।

12.00 मध्याह्न

जिस हालात में आज देश पहुंच गया है इसकी उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे स्वयं जानकारी करें और जानकारी करके यह सोचें कि देश को बचाने के लिए सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है या नहीं। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा, कई बार कहा जाता है, इधर से नारे लगाए जाते हैं कि प्रधान मन्त्री कौन है? आज अभी आपको मालूम नहीं है, कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि प्रधान मन्त्री कौन है, ज्यादा अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, प्रधान मन्त्री वह है जिसको इस संसद का समर्थन प्राप्त है, प्रधान मन्त्री वह है जिसको संविधान के जरिए देश ने स्वीकार किया है। इसलिए प्रधान मंत्री की चिन्ता मत कीजिए, देश के भविष्य की चिन्ता कीजिए, इस देश की बिगड़ी हुई हालत को बनाने की चिन्ता कीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि यद्यपि हालत खराब है लेकिन फिर भी हमारे देश में एक बड़ी शक्ति है। हमारे किसानों, मजदूरों के हाथों के पौरुष से इस देश को फिर से बनाया जा सकता है। हमारे देश के करोड़ों लोगों के मन में आज भी देश के लिए गौरव और राष्ट्र प्रेम है, मैं उनका भी सहयोग चाहूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि देश को बचाने के लिए हमको किसी का सहारा चाहिए, हमें देश के लोगों की शक्ति चाहिए। इसी कारण हमने यह काम शुरू किया है। मुझे विश्वास है इस बड़े काम में हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। किसी को चुनौती देने के लिए नहीं, केवल वास्तविकता की जानकारी के लिए मैं केवल एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि भाषण देते समय एक बात का ध्यान रखें, कहीं मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें न कहनी पड़ें जहां फिर आप लोगों के बीच में भाषण देने के लायक न रहें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर स्वयं विचार करें। मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि देश की वास्तविक स्थिति देश के सामने आए तो आप अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लें और देश के प्रधान मन्त्री के नाते मैं आपके सामने वे सारे तथ्य रखना चाहता हूं जिनके आधार पर मैंने इस सरकार का विरोध किया है और जिन तथ्यों के आधार पर मैंने देश की सारी ताकतों के साथ एका किया है। (व्यवधान)

देश को नई शक्ति देने के लिए, एक नई प्रेरणा देने के लिए, एक विश्वास, उत्साह देने के लिए और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को देश का भविष्य प्यारा है, जिन लोगों को देश की असीमता में,

गौरव में आज विश्वास है वे लोग हमारा साथ देंगे। आज जरूरत झगड़े की नहीं है, आपसी सद्भाव की है। भाई-भाई का खून न बहाए, एक-एक आदमी की जिन्दगी प्यारी है, एक आदमी भी यदि मरता है तो हिन्दुस्तान का कोई बेटा या बेटी मरती है। मैं चाहूंगा आज साम्प्रदायिकता के सवाल पर, जात-बिरादरी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर हमको एकमत होकर एक ऐसी राह ढूंढनी चाहिए जिससे दुखी दिलों पर मरहम लगा सकें, एक नई ताकत पैदा कर सकें और नया देश बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे।

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे औचित्य का प्रश्न है, पाइण्ट आफ आर्डर नहीं कह रहा हूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि माननीय सदस्य भाषण देते समय यह ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात न कहें जिससे मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ें कि वे जनता के बीच बोलने के लायक न रहें। औचित्य का प्रश्न यह है कि अगर प्रधान मन्त्री को किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई ऐसी जानकारी है, उसने कोई ऐसा काम किया है कि प्रधान मन्त्री द्वारा भाषण के बाद वह जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेगा तो प्रधान मन्त्री को इसका इन्तजार नहीं करना चाहिए कि वह सदस्य उनके खिलाफ बोले, उसके बाद वे इस बात को बताएं। यह संसदीय प्रक्रिया है कि अगर हम यह कहें कि माननीय सदस्यों को ब्लैकमेल करने की कोशिश है तो यह गलत नहीं होगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई बातें उनकी जानकारी में हैं तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा होगा कि वह सदन को और जनता को विश्वास में लें। (व्यवधान)

12.05 म० प०

उप-प्रधान मन्त्री का परिचय

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का सवाल है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हरि शंकर महाले : मेरा एक औचित्य का सवाल है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। औचित्य का कोई सवाल नहीं होता है। आप बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : आप इनको बोलने की इजाजत दें। आप इनके साथ पक्षपात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि यह सदन की परम्परा है कि जब कोई नया मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है तो उनसे प्राइम मिनिस्टर सब का परिचय

करवाते हैं। नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, उनका परिचय सब से करवाया जाना चाहिए था। अतः बहस शुरू होने से पहले प्रधान मन्त्री जी उनका सब से परिचय करवाएं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। श्री देवी लाल जी उप प्रधान मन्त्री हैं और आप सब उन्हें जानते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

12.06 म० पू०

मन्त्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—(जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज के दिन को हमारे संसदीय काल के इतिहास में सबसे दुखद क्षण मानता हूं। महोदय, यह दुखद क्षण इसलिए नहीं है कि हम सत्ता से बाहर हैं। इस दुखद क्षण का पहला कारण तो यह है कि 40 वर्षों से हमारे एक सहयोगी ने सरकार बनाई है और विश्वास मत प्राप्त कर रहे हैं तो दुर्भाग्य से मैं इस विश्वास के प्रस्ताव में अपना समर्थन नहीं दे सकता। लेकिन, इसके अलावा इस सभा और सरकार की कुछ संसदीय परम्पराएं रही हैं, दुर्भाग्य से उनका अतिक्रमण किया जा रहा है।

जहां तक इस नई सरकार के गठन का सम्बन्ध है, मेरे साथी प्रधान मन्त्री चन्द्र शेखर जी के कथन के बावजूद यह मान्य तथ्य है कि जिस तरीके से इस सरकार का गठन हुआ है, वह मतदाताओं के बहुमत के माध्यम से नहीं हुआ है। (व्यवधान) मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बहुमत क्या है।

जहां तक पिछले चुनावों का सम्बन्ध है, हम में से जो सदस्य इस पक्ष में बैठे हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, जो गैर-कांग्रेसी पार्टियों से हैं, उन्होंने मतदाताओं से यह फैसला चाहा था···

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी सहित ?

प्रो० मधु दण्डवते : हां, भारतीय जनता पार्टी सहित। हम सब ने मतदाताओं से जो बहुमत मांगा था, वह कांग्रेस की कार्य पद्धति, इसकी नीतियों के खिलाफ था। (व्यवधान) माननीय कांग्रेसी सदस्य, आप कैसे जानते हैं ? हमने चुनाव लड़ा है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि आप कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे। हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे। वर्ष 1989 के चुनाव में हम में से प्रत्येक विजयी सदस्य कांग्रेस के विरुद्ध मंच से जीता। महोदय, दुर्भाग्य से जो नई सरकार बनाई जा रही है, वह उन वायदों का उल्लंघन कर रही है, जो हमारी तरफ से मतदाताओं से वायदे किए गए थे, कि हम पिछली कांग्रेसी सरकार की नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे। हमने इसी आधार पर अपनी सरकार का गठन किया था। इतना

ही नहीं, जो नई सरकार गठित की गई है, वह मूल पार्टी से अलग-अलग गुटों को मिलाकर बनाई गई है और यह कांग्रेस की मदद से बने रहने का प्रयास कर रही है। यह सरकार इसी आधार पर गठित हुई है।

महोदय, कुछ मित्रों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसमें पूछा गया है कि क्या कोई मन्त्रि-परिषद् है। इस प्रस्ताव को श्री चन्द्र शेखर ने प्रस्तुत किया है। किन्तु मुझे यह कहना पड़ेगा कि श्री देबीलाल इस प्रस्ताव के वास्तुकार हैं। सौभाग्य से एक उप-प्रधान मन्त्री उपलब्ध हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मन्त्रिपरिषद है जिसमें दो सदस्य हैं और इसलिए मन्त्रिपरिषद् के लिए विश्वास मत हासिल करने का उनका प्रस्ताव बिल्कुल उचित है। मैं तकनीकी प्रश्न नहीं उठाना चाहता पर जिस तरीके से सरकार बनाई गई है, मैं उस पर प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे देश में राजनैतिक जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करने की मुझे कृपया अनुमति दें। मैं हमारे महान समाजवादी नेता, वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी श्री आचार्य नरेन्द्र देव का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि 1934 में श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० लोहिया जैसे प्रख्यात नेताओं तथा अन्य नेताओं द्वारा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी।

महोदय, 1948 में, समाजवादी दल के मासिक अधिवेशन में हमने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय किया। आचार्य नरेन्द्र देव ने कांग्रेस छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु, जब हमने 1948 में कांग्रेस छोड़ी, तो उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिस पर पूरे देश को गर्व है। जब 1948 में हमने कांग्रेस छोड़ी और समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग एक स्वतन्त्र समाजवादी दल के रूप में कार्य शुरू कर दिया, तो आचार्य नरेन्द्र देव और उनके कई साथियों ने, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। आचार्य नरेन्द्र देव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में खड़े होकर घोषणा की "मैं और मेरे साथी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस दल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और अब क्योंकि हमने कांग्रेस दल छोड़ दिया है, इसलिए हम सब उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।" उस समय मुख्य मन्त्री, जो एक वरिष्ठ कांग्रेसी थे, उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव से अनुरोध किया "आचार्य जी आपको सदस्य बने रहना चाहिए, आप इस सदन की गरिमा के प्रतीक हैं।" कुछ सदस्यों ने आचार्य नरेन्द्र देव को बताया कि केन्द्र में या राज्यों में कोई दल विरोधी कानून लागू नहीं है और कानूनी तौर पर यह आवश्यक नहीं है कि आप विधानसभा से इस्तीफा दें। आचार्य नरेन्द्र देव ने तब कहा था "कागजी कानून मेरा दिशानिर्देश नहीं करते अपितु मेरी अन्तरात्मा मेरी पथ प्रदर्शक है और अब मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं।" और उन्होंने उत्तरप्रदेश विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने चुनाव लड़े और वे सभी हार गए।

श्री राम धन (लालगंज) : एक को छोड़कर और सभी हार गए। श्री गजाधर प्रसाद निर्वाचित हुए थे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भूल सुधार करता हूं।

महोदय, जब आचार्य नरेन्द्र देव चुनाव में हारे थे, तो आपको स्मरण होगा उस समय किस प्रकार का अभियान चलाया गया था। इस अभियान में कहा गया था :

[हिन्दी]

"प्रभु राम चन्द्र की भूमि के ईश्वरवादी मतवाला निरीश्वरवादी आचार्य नरेन्द्र देव को वोट देंगे ?"

[अनुवाद]

चुनावी अभियान का स्तर इतना गिर गया था।

मुझे याद है एक चुनावी अभियान में, जब पं० जवाहरलाल नेहरू को आमन्त्रित किया गया, तो उन्होंने अभियान में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। उस समय राजनीति का यह स्तर था। आचार्य जी को हरा दिया गया किन्तु, उनकी हार और उनके द्वारा लिए गए निर्णय और इस तथ्य के बावजूद कि तब कोई दल-बदल विरोधी कानून नहीं था, फिर भी उन्होंने विधानसभा छोड़ने का निर्णय लिया, उनके इस निर्णय ने इस देश में निष्पक्ष और स्वच्छ राजनीति की नींव डाली। मैं बहुत प्रसन्न होता यदि श्री चन्द्र शेखर और मेरे साथियों ने, कांग्रेस की सहायता लेने की अपेक्षा यह मांग की होती और सुझाव दिया होता कि "नए चुनाव करवाए जाएं और हम नए सिरे से जनादेश लेंगे" और चुनाव करवाए गए होते। वह इस देश की राजनीति को जलाए रखने का एक उचित उपाय होता।

हमारे मित्र, श्री चन्द्र शेखर, जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं, ने कांग्रेस दल का सहयोग लिया है। मैं किसी व्यक्ति पर साथ आरोप नहीं लगाना चाहता। किन्तु जहां तक राजनीति का प्रश्न है, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि अब चूंकि श्री चन्द्र शेखर ने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल का समर्थन प्राप्त कर लिया है, दोनों दलों के नेताओं के एक-दूसरे के बारे में और अपने दलीय संगठन के बारे में क्या विचार है? मैं उनके शब्दों में—श्री राजीव गांधी के शब्दों में—आपको यह दर्शाना चाहूंगा। मैं याद करने का प्रयत्न करूंगा जो उन्होंने श्री चन्द्र शेखर के सम्बन्ध में इस सदन में कहा था और श्री चन्द्र शेखर जी ने कांग्रेस (ई) और इसके नेता श्री राजीव गांधी के बारे में कहा था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री वी० पी० सिंह के बारे में क्या कहेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : हां, मैं सब का उद्धरण दूंगा। किन्तु मैं आपका उद्धरण नहीं दूंगा क्योंकि आप के शब्द उद्धृत किए जाने योग्य नहीं हैं। (व्यवधान) मैं श्री चन्द्र शेखर पर आ रहा हूं। (व्यवधान) सितम्बर, 1987 में, हमारे साथी श्री चन्द्र शेखर ने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया था। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था :

> "राजीव गांधी भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चला रहे हैं। यह सरकार हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इसे जाना ही पड़ेगा" दल के नेता श्री चन्द्र शेखर ने राजधानी में संवाददाता सम्मेलन में प्रेस के लोगों से कहा था।
>
> जनता दल के नेता ने कहा था : "श्री गांधी का अपना विमान नहीं है। वह अभी भी एक विमान चालक के समान हैं जिन्हें नियन्त्रण कक्ष से निर्देश प्राप्त करने की आदत है।"

मैं नहीं जानता कि आज वह नियन्त्रण कक्ष कहां पर स्थित है। (व्यवधान) और, मेरे साथी श्री चन्द्र शेखर जी ने कहा था :

> "जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि विदेशी ताकतों द्वारा उन्हें ब्लैक-मेल किया जाता, वहां राजीव गांधी का विदेशी देशों द्वारा ब्लैक-मेल किए जाने का अन्देशा है,"

उन्होंने कहा था।

मेरे मित्र चन्द्र शेखर जी के श्री राजीव गांधी और उनके राजनैतिक दल के बारे में, जिसका समर्थन वे अब चाहते हैं, ऐसे विचार थे। (व्यवधान) उनके नेतृत्व में, बंगलौर में जनता दल की आम सभा की एक बैठक हुई थी और वहां, कांग्रेस के स्थान पर एक ऐसे राष्ट्रीय विकल्प का निवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें जनता दल केन्द्र में हो और यह कहा गया था कि प्रधान मन्त्री ने अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है और उनके इस पद पर बने रहने से देश की एकता और अखण्डता को खतरा है।

मैं कई उद्धरण बता सकता हूं, किन्तु मेरे विचार में, यह सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त है कि कांग्रेस (ई) के नेता के बारे में, जिनका आज वे समर्थन चाहते हैं, उनके ये विचार थे।

महोदय, इसी सदन में, संसद में मेरे कई साथियों को यह याद होगा कि मैंने कई बार पंजाब पर चर्चा कराई थी; और चन्द्र शेखर जी के साथ हमारे कितने भी मतभेद हों, पंजाब की इस चर्चा के दौरान जो मैंने आरम्भ कराई थी, उसमें मैंने उनके द्वारा अपनाए गए निर्भीक रवैये की प्रशंसा की थी। हमें इस संयोजन पर गर्व है, और हम इस संयोजन पर गर्व करते रहेंगे और हम कभी भी प्रतिरक्षात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। मुझे याद है, एक अवसर पर जब मैंने पंजाब पर चर्चा कराई थी तो उस समय के प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी और गृह मन्त्री, श्री बूटा सिंह ने कई टिप्पणियां की थीं। ब्लू स्टार कार्यवाही के पश्चात् श्री चन्द्र शेखर जी द्वारा की गई टिप्पणियों से वे बहुत विचलित थे। क्या वे उन टिप्पणियों के कारण विचलित थे जो उन्होंने अल्पसंख्यकों, सिक्खों के अधिकार की प्रतिरक्षा में दी थी? एक अवसर पर जब मैं सदन में खड़ा था, तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने मुझे एक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा था: 'क्या आप सदन में' पंजाब की स्थिति, जो ऐसे बिन्दु पर पहुंच चुकी है जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है, के सम्बन्ध में श्री चन्द्र शेखर द्वारा की गई टिप्पणियों और दिए गए वक्तव्यों के बारे में एक वक्तव्य देंगे? क्या आप श्री चन्द्र शेखर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?" मैंने उठकर कहा था, मैंने श्री बूटा सिंह को कहा था, "न तो कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उठता है और न ही इससे आपका कोई सम्बन्ध है कि हम दल के अन्दर क्या करते हैं। श्री बूटा सिंह, यदि मैं आपसे अपने नेता श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए कहूं तो क्या आप श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं? इस मामले में, सिक्ख समुदाय की प्रतिरक्षा में जो विचार श्री चन्द्र शेखर जी ने व्यक्त किए थे उनसे हम सहमत थे। वे सिक्खों की घायल मन:स्थिति पर मरहम लगाने का प्रयास कर रहे थे। और श्री राजीव गांधी मैंने इसी सदन में आपसे कहा था—श्री प्रधान मंत्री, मैं आपका हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं पिछले प्रधान मन्त्री की ओर संकेत कर रहा हूं—कि जब हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती थी और जब हमारी देशभक्ति को चुनौती थी तब हमने महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के चरणों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति वफादारी की सीख ली थी। श्री राजीव गांधी, आपसे देशभक्ति का सबक लेने का अब समय नहीं है।" मैंने आपसे यह कहा था। हम जानते हैं कि चन्द्र शेखरजी के बारे में आपके क्या विचार थे। मैं उन दिनों को याद करना चाहता हूं। (व्यवधान) जहां तक उनका प्रश्न है, मैं जानता हूं कि आपके क्या विचार थे। आप्रेशन ब्लू स्टार के बाद हुई अनेकों गतिविधियों का हमने बार-बार उल्लेख किया था। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (बंगलौर): आपने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते: जब मैं अत्याचारों पर बात कर रहा हूं, तब वह अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं, जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तब वह अत्याचारों की बात करेंगे। (व्यवधान) यह नवम्बर

1984 के दंगों के बारे में है। यह आपके लिए एक संवेदनशील बात है। जब कभी भी हमने नवम्बर 1984 के दंगों का मामला उठाया जिसमें दिल्ली की निर्दोष सिख आबादी पर अत्याचार किए गए थे, यहां तक कि जिन सिखों ने नुकसान उठाया उन्होंने भी यही कहा "कि दिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों के विरुद्ध उन्हें कोई शिकायत नहीं है वह उनके हिन्दू और मुसलमान पड़ौसी ही थे जिन्होंने उस दिन उनकी रक्षा की।" अपितु सिख समुदाय पर हुए अत्याचारों के दोषी पुलिस और राजनीति से प्रेरित लोग हैं। जब गुंडागर्दी और बर्बरता की जा रही थी तब आप जानते हैं कि हमारे प्रधान मन्त्री की मशहूर टिप्पणी क्या थी। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा :

[हिन्दी]

जब बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती भी हिल जाती है।

[अनुवाद]

जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती भी हिल जाती है।

एक माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ मैंने कहा आप उसे स्वीकार करते हैं। (**व्यवधान**) उन्होंने यह औचित्य दिया था।...(**व्यवधान**) यहां तक कि नियुक्त किए गए आयोग ने भी यह कहा था कि मोटे तौर पर 3000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। जब हमने यह मामला उठाया और चन्द्रशेखर जी ने दिल्ली में हुए अत्याचारों पर कहा तब इसी दल ने जो कुछ उन्होंने कहा उसका विरोध किया था और आज वह ही प्रधान मन्त्री का समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें और मैं यह भी चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा था उसे चन्द्रशेखर जी भी याद रखें। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : आज हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : हम प्रधान मन्त्री के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। अब बोफोर्स के प्रश्न पर आता हूं...(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या इस पर बोलने का उन्हें कोई अधिकार है। हमने प्रधान मन्त्री वी० पी० सिंह को सभा पटल पर सभी पत्रों को रखने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा नहीं किया (**व्यवधान**) बेतन देने के लिए तो धन है नहीं और वह बोफोर्स की बात करते हैं। 11 महीने वह क्या कर रहे थे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जब कभी हम बोफोर्स के विरुद्ध बोलते हैं वह ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम उनका विरोध कर रहे हैं।...(**व्यवधान**) मैं कांग्रेस (ई) के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोफोर्स के बारे मे बात कर रहा हूं (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं बोफोर्स के बारे में बात कर रहा हूं उनके बारे में नहीं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित करें।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को यह लगता है कि बोफोर्स कांग्रेस (ई) का उपनाम है अतएव हम जब बोफोर्स का विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे हम उनका विरोध कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हमने आपसे सभी पत्रों को प्रस्तुत करने को कहा था लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : जी, हां अतः एक सदस्य ने सभा पटल पर पत्रों को रखने का मामला उठा दिया। यहां सभी सदस्य मौजूद हैं। सभी गैर-कांग्रेसी दल हमारे साथ सहमत हैं। जब हमने कुछ महत्व-पूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहा तब स्वीडिश सरकार ने कहा कि यदि आगे भी आप महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहते हैं तो आपको उन्हें सभा पटल पर नहीं रखना चाहिए। हम आपको पहले ही दिए हुए दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार थे। हम और दस्तावेज चाहते थे। वास्तव में मामला स्विटजरलैण्ड की संघीय अदालत में लम्बित है। यह आपके लिए दुःख की बात है कि आज जब हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं तब सभी समाचारपत्रों में स्विस संघीय अदालत का वह निर्णय पहले ही प्रकाशित हो चुका है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जो भी दस्तावेज वे अभी तक गोपनीयता के नाम पर नहीं देना चाह रहे थे, अब उन्हीं दस्तावेजों को भारत सरकार को जांच-पड़ताल हेतु सौंपा जा सकता है। स्विटजरलैण्ड की संघीय अदालत के निर्देशानुसार इस समय भारत सरकार के सभी जांचकर्ता उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकेंगे। (व्यवधान) उनका तरीका देखिए। जब कभी भी मैं बोफोर्स से सम्बन्धित जांच-पड़ताल का जिक्र करता हूं वे परेशान हो जाते हैं जैसे कि वे अदालत में खड़े हुए हों।

महोदय, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे प्रधान मन्त्री चन्द्रशेखर जी ने एक असंगत टिप्पणी की है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कभी-कभी वह कोई बात हल्के-फुल्के ढंग से कह देते हैं कि "यह प्रधान मन्त्री का कार्य नहीं है कि वह बोफोर्स मामले तथा उसमें किए गए भ्रष्टाचार की जांच-पड़ताल करे। यह पुलिस सब-इन्स्पेक्टर का कार्य है कि वह इस मामले की जांच-पड़ताल करे।" उन्होंने यही कहा है। मैं जानता हूं कि चन्द्रशेखर जी थोड़े मजाकिया प्रवृत्ति के हैं तथा मैं भी उनकी तरह हूं तथा इसीलिए वह उसे हल्के-फुल्के ढंग से लेना चाहते हैं। चन्द्रशेखर जी, साउथ एवेन्यू, नं० 3 स्थित आवास में रहने वाले चन्द्रशेखर भिन्न हैं तथा प्रधानमन्त्री पद पर आसीन चन्द्रशेखर भिन्न हैं। जिस समय आपने इतनी अविवेकशील टिप्पणी की थी कि बोफोर्स मामले में छान-बीन करने का कार्य पुलिस सब-इन्स्पेक्टर का है तथा यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है तब क्या आप यह समझते हैं कि आपने इस सभा के निर्णय का विरोध किया है? यह वही सदन था जहां पर अपनी विवेक-शीलता से बोफोर्स मामले में जांच-पड़ताल हेतु एक विशेष संसदीय संयुक्त समिति का गठन करने का निर्णय किया गया था। निश्चित रूप से यह ठीक है कि हमने संयुक्त समिति की शर्तों का अनुमोदन नहीं किया था। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने यह महसूस नहीं किया कि बोफोर्स मामले की छानबीन पुलिस सब-इन्स्पेक्टर द्वारा की जानी चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं कुछ कहना चाहूंगा। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री तथा भूतपूर्व सरकार के मन्त्रीगण इस सभा को गुमराह कर रहे हैं। संसदीय लोक लेखा समिति में हमने निर्णय लिया था कि बोफोर्स मामले में जांच-पड़ताल की जाएगी तथा निवर्तमान प्रधान मन्त्री रक्षा मन्त्री थे तथा रक्षा मन्त्रालय के सचिव की ओर से एक पत्र भेजा गया था जिसमें उल्लिखित था कि "हम कोई कागजात नहीं दे सकते, हमें समय दीजिए।" इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने लोक लेखा समिति के सदस्यों को भी कागजात देने से इंकार कर दिया है। अब वह देश को गलत सूचना दे रहे हैं। आप लोक लेखा समिति के समक्ष सारे कागजात रख दीजिए। उन्होंने वे कागज देने से मना कर दिया।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, इस मामले के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा तथा लेखा महानियन्त्रक ने उन सभी फाइलों के सम्बन्धी कागजातों की मांग की थी तथा उन्होंने जो कुछ भी मांगा था हमने उन्हें दे दिया था। अतएव इस सम्बन्ध में उचित अधिकारीगण द्वारा मांगे गए किसी भी आवश्यक दस्तावेज को नहीं छुपाया गया था। एक अन्य बात जो कही गई थी वह यह है कि इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है तथा जैसाकि सभा में बताया गया है हमने जूरिक में मुकदमा जीत लिया था। हमें आज सूचना प्राप्त हुई है कि संघीय अदालत ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। इस मामले में जो उपलब्धि हमने प्राप्त की है वह भूतपूर्व सरकार ने क्यों नहीं हासिल की ? इस मामले की उचित तरीके से तहकीकात की जानी चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : रक्षा सचिव ने समिति को कागजात देने से इन्कार कर दिया था। यदि आवश्यक हुआ तब हम इसे सभा पटल पर रख देंगे···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। समिति में जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर सभा में तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती। वह यह सब कैसे कर रहे हैं ? उन्हें सभा की परम्परा को बनाए रखना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं लोक लेखा समिति को छोड़ने के लिए तैयार हूं। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह क्या हैं। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती ऐसा कभी नहीं किया जाता है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव ने एक प्रश्न उठाया है मैं सही बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। यदि आप स्मरण करें तो पाएंगे कि इस पूरे मामले में किसी हद तक गोपनीयता के तर्क के कारण भी काफी व्यवधान पड़ा है। यह मामला स्विटजरलैंड न्यायालय में लम्बित पड़ा रहा था। ए० ई० सर्विसेज ने पहले ही यह अपील की थी कि भारतीय जांचकर्ताओं को इस सम्बन्ध में दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। दुर्भाग्यवश आज ही समाचारपत्रों में स्विटजरलैंड की संघीय अदालत का निर्णय प्रकाशित हुआ है तथा हम उन्हें आश्वासन दे सकते हैं कि जो कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अलावा भी वे गुप्त दस्तावेज जो स्विटजरलैंड की संघीय अदालत के निर्णय से पहले उपलब्ध नहीं थे वे सब दस्तावेज भी अब इस सभा में तथा लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधान मन्त्री जी, वे सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्विटजरलैंड की अदालत के अनुसार उन सभी के ऊपर से गोपनीयता का आवरण उठ गया है तथा श्री सन्तोष मोहन देव जी को अब सन्तुष्टि हो सकती है तथा वह अब लोक लेखा समिति का कार्य जारी रख सकते हैं तथा इस मामले की जांच-पड़ताल कर सकते हैं···(**व्यवधान**) महोदय, मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। परन्तु समाचारपत्र में बताया गया है कि नए प्रधान मंत्री बोफोर्स से सम्बन्धित मामलों को वापस लेना चाहेंगे···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह शर्म की बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं शर्म की बात तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस रिपोर्ट में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा नए प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि स्विटजरलैंड के संघीय न्यायालय के निर्णय और समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित होने के बाद कि बोफोर्स से सम्बन्धित मामलों को वापस लेने के

लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दबाव डाला जा रहा है, चर्चा के जवाब के दौरान यह स्पष्ट रूप से आश्वासन दें कि बोफोर्स से सम्बन्धित किसी मामले को वापस नहीं लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री यह आश्वासन दें। मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन देंगे। मैं उन पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमने श्री चन्द्रशेखर से कभी भी बोफोर्स के बारे में बातचीत नहीं की है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में बहुत-सी बातें प्रकाशित हुई हैं। विगत एक महीने के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता ने कभी भी बोफोर्स का उल्लेख नहीं किया है। यदि कुछ सहयोगी समझते हैं कि देश की समस्याएं हर बार बोफोर्स की चर्चा करने से हल हो जाएंगी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं अपने सहयोगी श्री दण्डवते को आश्वासन देता हूं कि कानून अपने तरीके से काम करेगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने यही कहा था और अब भी गम्भीरता-पूर्वक कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामले हर बार प्रधान मन्त्री को ही सम्बोधित नहीं किए जाने चाहिए। सब-इन्सपेक्टर से मेरा अभिप्राय यह था कि यह कार्य खुफिया एजेंसी का है। मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री का कार्य मामलों की जांच करना नहीं है बल्कि देश का पुनर्निर्माण, विकास और जनता का उत्थान करना है। इसके विपरीत स्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जैसाकि श्री राजीव गांधी ने सभा में स्पष्ट किया है कि उन्होंने बोफोर्स से सम्बन्धित मामलों को वापस लेने की कोई मांग नहीं की है, इस आश्वासन से मुझे प्रसन्नता है इससे कम-से-कम यह विवाद तो हल होगा। जहां तक प्रधान मन्त्री का सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि मैं उस रिपोर्ट में विश्वास नहीं करता। परन्तु यह अच्छी बात है कि दोनों तरफ से इस विषय के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अब इन मामलों के बारे में कार्यवाही के लिए रास्ता बन जाएगा। संघीय न्यायालय के निर्णय के अलावा मेरे विचार से बोफोर्स के मामले को हल करने के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठा रहा हूं। मैं इसका जिक्र उस ढंग से नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां तक नयी सरकार के गठन और इसकी सदस्यता का सम्बन्ध है, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और संविधान के अन्तर्गत इसका बड़े रुचिकर ढंग से गठन किया जा रहा है। हमने दल-बदल विरोधी कानून बनाया है। हमने सभा में इस पर बड़ी चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि दल-बदल और विभाजन के अनुसार इसका गठन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सत्तारूढ़ दल का गठन हुआ है। नवम्बर के प्रथम सप्ताह में सत्तारूढ़ दल, अथवा मैं इसे सत्तारूढ़ गुट कह सकता हूं, द्वारा अध्यक्ष महोदय के समक्ष एक सूची प्रस्तुत की गई थी। मैं किसी ऐसे प्रश्न को नहीं उठाना चाहता जिससे अध्यक्ष महोदय का सम्बन्ध हो। परन्तु मैं इस कानून की विकृतियों और अनियमितताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम में से जिन लोगों ने इस सभा में दल-बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा की थी उन्हें इस कानून की व्याख्या, जो संविधान विशेषज्ञों ने की थी, याद होगी। उस व्याख्या में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कभी दल-बदल के कारण विभाजन होता है—चाहे अपने आप भी विभाजन होता है तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है, यह अधिकार आपको प्राप्त है—और विभाजित सदस्यों की संख्या पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम होती है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया

जा सकता है। मैं इसका विस्तार से उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। परन्तु वे लोग भी, जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने विभाजन किया और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में अध्यक्ष के समक्ष सूची प्रस्तुत की थी उनका मत है कि नियमों के अनुसार दल-बदल की प्रक्रिया एक महीने में पूरी हो जानी चाहिए। मैंने नियमों को बारीकी से पढ़ा है और आप कम-से-कम यह याद रखिए कि मैं जब कभी भी सभा में बोला हूं और नियमों की व्याख्या की है तो मैंने हमेशा उद्देश्यपूर्ण ढग से नियमों की व्याख्या करने का प्रयास किया है। एक नियम में यह भी कहा गया है कि जब कभी कोई नई पार्टी बनती है तो एक महीने के अन्दर उसका विवरण दिया जाना चाहिए। लेकिन जब आप जनता के निर्णय के अनुसार कोई नयी पार्टी नहीं बनाते हैं और अपनी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह विभाजन अथवा दल-बदल इस नियम के क्षेत्र में नहीं आता है। कुछ लोगों का मत है कि वे 5 या 6 नवम्बर को पार्टी में विभाजन पैदा कर सकते हैं, उनके नामों की घोषणा की जाए और आपको तथा समाचारपत्रों को भेजे जाएं तब ही प्रत्येक दूसरे, तीसरे अथवा चौथे दिन दल बदलने वालों को पार्टी में सम्मिलित किया जा सकता है। जब लोग हर बार नई पार्टी बनाते हैं तो यह एक नया विभाजन होता है। नियमानुसार जब कभी विभाजन होता है तो बाद में विभाजित होने वाले सदस्यों की संख्या शेष बचे हुए सदस्यों की एक तिहाई होनी चाहिए। इस प्रकार दल-बदल की प्रक्रिया एक महीने तक नहीं चल सकती है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य प्रश्न उठाना चाहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी का 5 नवम्बर को विभाजन हुआ था? यदि हां, तो उसमें उन्होंने क्या भूमिका निभाई है?

प्रो० मधु दण्डवते : श्री चिदम्बरम मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला अध्यक्ष के विचाराधीन है क्योंकि जब तीस लोगों ने जनादेश का और ह्विप का उल्लंघन किया है और जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वह एक-तिहाई से कम हैं इसीलिए, वह प्रश्न भी अध्यक्ष के विचाराधीन है।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : प्रो० मधु दण्डवते ने अभी कहा है कि विभाजन नहीं हुआ है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद बहुत से लोग विभाजित हुए ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। यह परस्पर विरोधी बात है और विभाजन के बारे में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय नहीं दिया है। इस मामले में हमारा चर्चा करना उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस विभाजन को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं।

श्री चन्द्र शेखर : मैं प्रो० मधु दण्डवते से अनुरोध करता हूं कि वह इस चर्चा के औचित्य को समझें। यदि अन्य भी इस प्रश्न पर चर्चा शुरू कर देंगे, तो अध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए बहुत ही कठिन होगा, इसीलिए महोदय आप इस प्रश्न पर सकारात्मक रुख अपनाइए। जब यह मामला आपके विचारार्थ है, यदि वह कुछ निवेदन करना चाहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन, उन्हें यह जानना चाहिए कि इस सभा में हमारी बातचीत की कुछ सीमा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री चन्द्र शेखर ने एक संसद सदस्य के रूप में मुझे जो सीमा प्राप्त है उसके बारे में मुझे याद दिलाया है। मैं यहां गत 20 वर्षों से हूं और जो यहां नियम बनाए गए हैं, मैं उनमे से किसी का भी उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं केवल यह बताने का

प्रयास कर रहा हूं कि अपना राजनीतिक खेल खेलने के लिए, हम इस सभा की परम्पराओं तथा दल-बदल विरोधी कानून का किस प्रकार तोड़-मरोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैंने आपके क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : मेरी बात सुनें, मुझे भी कहने का हक है···

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। (व्यवधान)

मैं श्री चन्द्र शेखर सहित माननीय सदस्यों के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, कि हमें पीठासीन अधिकारी के कार्यक्षेत्र को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसके विपरीत इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें राजनीतिक समस्याएं इस तरह उठानी चाहिएं कि पीठासीन अधिकारी के बारे में मर्यादा का बिल्कुल भी उल्लंघन न हो और दोनों सदनों की अलग-अलग पहचान भी बिल्कुल समाप्त न हो। मुझे यह कहते हुए बहुत ही खेद है कि नई सत्ताधारी पार्टी के वक्ताओं में से एक ने दो पीठासीन अधिकारियों की कार्यवाहियों की तुलना करने का प्रयास किया था। राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सभा की कुछ परम्पराएं हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी यहां पर बैठे हैं। मैं इस सभा के एक अन्य सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी के पिता श्री एन० सी० चटर्जी, जो लोक सभा के सदस्य हुआ करते थे, का उल्लेख करूंगा। मैं एक विषय विशेष को उठाना चाहता हूं जोकि आज की राजनीति में घट रहा है, उनसे सम्बद्ध है। एक अवसर पर जब राज्य सभा ने विशेष विवाह विधेयक पारित किया था, श्री एन० सी० चटर्जी, जोकि लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने मद्रास में एक सम्मेलन में कहा था कि, "जो भी हो जिन्होंने विशेष विवाह विधेयक पारित किया है, अर्थात् राज्य सभा के छोकरों के एक बैच ने विशेष विवाह विधेयक पारित किया था।" उसके परिणामस्वरूप, हालांकि वह लोक सभा के सदस्य थे, राज्य सभा में श्री एन० सी० चटर्जी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद श्री एन० सी० चटर्जी को एक नोटिस भेजा गया था। वह लोक सभा के सदस्य थे और यह मामला राज्य सभा में लाया गया था। अतः, श्री एन० सी० चटर्जी इसके विपरीत लोक सभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए थे। श्री मावलंकर पीठासीन थे। अध्यक्ष महोदय कृपया यह याद करने का प्रयत्न कीजिए कि आपको लोक सभा में किस प्रकार की शानदार परम्पराएं उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष श्री मावलंकर 12 बजे उठे और उन्होंने घोषणा की : "मुझे श्री एन० सी० चटर्जी से विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस मिला है और उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव यह है कि यद्यपि वह लोक सभा के सदस्य हैं, जबकि विशेषाधिकार प्रस्ताव राज्य सभा में लाया गया है।" दोनों सभाएं स्वतन्त्र हैं। दोनों की पहचान समाप्त नहीं की जा सकती और जब उन्होंने यह कहा, तो तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने गुस्से में कहा : "यह सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए हैं लेकिन, उन्होंने राज्य सभा के विरुद्ध किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं ? मैं नहीं समझता कि उन्हें वर्जित किया जा सकता है।" इस पर अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने कहा : प्रधान मन्त्री जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जब तक मैं इस सभा का अध्यक्ष

हूं, मैं अपने सदस्य की राज्य सभा के क्षेत्राधिकार में चर्चा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। दोनों सभाओं की पहचान बनाए रखनी होगी और आप उन्हें समाप्त नहीं कर सकते।" महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कि नए सत्ताधारी दल के वक्ता संसद की दोनों सभाओं के दो पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों और विनिर्णयों की खुलेआम तुलना कर रहे हैं। आप राजनीतिक खेल खेल सकते हैं लेकिन, राजनीतिक खेल खेलते समय, दोनों सभाओं की अलग पहचान तथा अध्यक्ष और सभापति—दोनों पीठासीन अधिकारियों के विनिर्णयों को विवाद में लाने का प्रयास न कीजिए। यही वह मुद्दा है जिसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए, मेरे मित्र श्री चन्द्र शेखर ने कहा है कि यहां तक कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, हमने सत्ता से चिपके रहने का प्रयास किया था। अभी आज ही राष्ट्रपति ने एक वक्तव्य दिया कि जब कभी भी बहुमत सिद्ध करने का कोई प्रश्न हो, उसे सभा में ही सिद्ध किया जाना चाहिए। उसके अलावा, मैं प्रधान मन्त्री द्वारा उठाए गए एक अन्य मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा : "उन्होंने यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस लिए जाने के बाद भी सत्ता से चिपके रहने का प्रयास किया था।" यदि श्री वी० पी० सिंह को सत्ता से चिपके रहना होता और प्रधान मन्त्री बने रहना होता, तो उनके पास सबसे आसान तरीका यह था कि वह श्री आडवाणी से समझौता कर लेते, विश्व हिन्दू परिषद से समझौता कर लेते और उन्हें बताते कि हम उनकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार है···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, दण्डवते जी ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने वरिष्ठ मन्त्रियों में से दो टटोलने वालों को हमारे पास भेजा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं आपको बताता हूं कि यह एक सफेद झूठ है···(व्यवधान) मैं कांग्रेस से ऐसे प्रस्ताव कभी नहीं करूंगा।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, श्री मिर्धा यहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बातचीत की थी। शायद वह उसे स्पष्ट करना चाहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा प्रमुख सिद्धान्त यह है कि हम सभा के अन्दर और बाहर कांग्रेस के साथ पूरी शक्ति से लड़ाई करेंगे···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि मेरी राजीव जी से मुलाकात हुई थी। उस समय सारे बैठे हुए थे। मैंने उस समय यह कहा कि देश हित के लिए ठीक रहेगा। जो चन्द्र शेखर जी कह रहे हैं, देश हित में है तो मैंने भी यही उनसे कहा कि देश हित में ऐसा करना चाहिए क्योंकि जो वातावरण आज बना हुआ है, उसको देखते हुए आपस में बैठकर बातचीत करके देश की हवा को ठीक करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, यदि मैं श्री मिर्धा को याद दिलाऊं—और यह केवल श्री मिर्धा ही नहीं बल्कि श्री फर्नान्डीज ने भी मेरे से सम्पर्क किया था···(व्यवधान)

[हिन्दी]

खत्म तो करने दीजिए, शुरू तो करवा दिया आपने ।

[अनुवाद]

महोदय, ये वे बातें हैं जिन्हें आमतौर पर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं कहता है लेकिन श्री दण्डवते जिस तरह के नम्र व्यवहार की छवि पेश कर रहे हैं, उससे मैं समझता हू कि इन बातों का खुलासा करना आवश्यक है ।

महोदय, हमें दो स्पष्ट संकेत दिए गए । श्री मिर्धा यदि चाहें तो इन्कार कर सकते हैं लेकिन जो कुछ उन्होंने श्री कुरियन और फिर मुझे कहा था वह यह था कि किसी भी तरह से हमें 7 नवम्बर को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बचाना चाहिए । (व्यवधान) वह कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार थे बशर्ते हम सात तारीख को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटा दें । हमने कहा था 'नहीं' । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप में से···(व्यवधान) जी हां, मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं । हमने इसे बिलकुल स्पष्ट रूप मे कहा है । अपने गत 40 वर्ष के राजनैतिक जीवन में मैंने कभी भी ऐसा गोपनीय लगने वाला व्यवहार नहीं किया है और वह ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए हैं कि मैंने सन्देश भेजा है । महोदय, कई बार···(व्यवधान) न केवल एक मर्तबा···

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें माफी मांगनी चाहिए । उन्होंने कहा था यह साफ झूठ है । इसकी मिर्धा जी ने पुष्टि की है । उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : बिल्कुल भी नहीं । महोदय, न तो श्री मिर्धा न ही···(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, इन···**···को प्रवचन देने से रोकिए । (व्यवधान) आप···**···प्रवचन दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फैलीरो जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । वह नहीं मान रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय वह हमें '···' कहने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या एक सदस्य दूसरे सदस्य को '···' कह सकते हैं ? (व्यवधान) वह श्री दण्डवते को '···' कह रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके मुझे '···' कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, ये '···' शब्द कह रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उनके मुझे एक '···' कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है । (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत मे निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं सुना है। यदि उन्होंने यह कहा है तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवानी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री फैलीरो इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे और केवल कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देने से बात नहीं बनेगी। उनकी टिप्पणी इतनी घृणित, इतनी आपत्तिजनक है कि उन्हें इन्हें वापस लेना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उनका भाषण उनके व्यवहार से मेल नहीं खाता है। ऐसे भाषण देश को नष्ट कर रहे हैं। आपने इस देश का धन बर्बाद किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फैलीरो जी, आप बैठ जाएं, शान्त हो जाएं।

[अनुवाद]

मैं अभी भी श्री फैलीरो को इसमें संशोधन करने का अवसर देता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फैलीरो जी जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं कहता हूं आपको माफी मांगनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इनको विदड्रा करने के लिए कहिए। इन्होंने विदड्रा नहीं किया।

श्री कालका दास : इन्होंने गलत बात कही है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विगत में अनर्गल भाषा प्रयोग करने के लिए श्री के० के० तिवारी को सभा से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें संसद की अदालत के सम्मुख पेश किया गया तथा फटकारा गया। जब वह इस प्रकार का शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें इसे वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखें। बैठ जाएं।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ उन्होंने कहा वह मैं शोर के कारण नहीं सुन पाया। लेकिन यदि इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो मैं अपने सदस्य की तरफ से माफी मांगता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इसे वापस ले लें।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें माफी मांगने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री फैलीरो को सुनना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि श्री फैलीरो अपनी भूल सुधार सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सभा को गुमराह करने के लिए श्री दण्डवते को माफी मांगने दीजिए। (व्यवधान) उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहा था। यह गलत है, श्री मिर्धा और श्री फर्नान्डीज···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें मेरे विरुद्ध यह '···' शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री फैलीरो को पुनः उत्तर देने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चन्द्र शेखर, अब आप इन्हीं लोगों की संगत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, कोई भी असंसदीय शब्द कहने की मेरी भावना नहीं थी। लेकिन मुझे और सारी सभा को इन बेबुनियाद तथा गुमराह करने वाले भाषणों से दुःख हुआ। (व्यवधान) अतः मैं चाहता हूं कि श्री दण्डवते सभा को गुमराह करने के लिए माफी मांगें और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो ने माफी मांग ली है। मैंने सुन लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या मैं यह समझ लूं कि माननीय सदस्य ने मुझे '····' कहने के लिए माफी मांग ली है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, अभी विरोधी दल के नेता ने मेरा नाम लेकर यह बात कही कि मैं समर्थन मांगने के लिए उनके पास गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकार के लिए उनका समर्थन मांगने गया था, ऐसी कोई बात उन्होंने कही, परन्तु अध्यक्ष जी, अपने जीवन में मैंने इनसे कभी बात तक नहीं की, फिर पता नहीं कैसे इन्होंने कह दिया कि मैं अपनी सरकार के वास्ते समर्थन मांगने उनके पास गया था।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा था कि श्री फर्नान्डीज ने मुझसे सम्पर्क किया था। मैंने यह कहा था कि श्री मिर्धा ने मुझसे सम्पर्क किया था। मैंने कहा था कि श्री फर्नान्डीज ने मुम्बई में श्री शरद पवार को फोन किया था। उन्होंने श्री शरद पवार को दिल्ली आकर विस्तार में बात करने के लिए कहा। श्री शरद पवार जी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा था, जी हां, हमें पता

लगाना चाहिए कि उनके मन में क्या है। वह दिल्ली आए, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने हमें प्रस्ताव पेश किया जिसे हमने रद्द कर दिया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लार्ड फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, न केवल श्री शरद पवार बल्कि इनके दल के अनेक लोग मुझसे पिछले दिनों मिलने आए थे, उन्होंने मुझसे जो इनके बारे में कुछ कहा, मेरी उनके साथ जो भी बातचीत हुई, यदि उस सब को मैं यहां कहूं तो इनको डूब कर मरने की स्थिति हो जाएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विपक्ष के नेता या सरकार के समर्थक को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे प्रस्ताव किए गए कि 7 तारीख को वर्तमान सरकार को समर्थन प्रदान करने के वास्ते कोई भी समझौता किया जा सकता है। मैंने साफ-तौर पर इससे इन्कार किया। यह एक** है; यह झूठ है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने '....' शब्द का इस्तेमाल किया है। यह असंसदीय है इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : महोदय, '....' असंसदीय है। मधु जी बता सकते हैं कि मेरी बात सही है। मधु जी ने यह प्रश्न कई बार उठाया था और इसे असंसदीय घोषित कर दिया गया। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, '....' के बजाय मैं झूंठ कह रहा हूं। (व्यवधान)

1.00 म० प०

श्री राजीव गांधी : हम चाहते हैं कि वह क्षमा मांगें। अब हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्षमा की मांग करते हैं। उन्होंने एक असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। जैसे श्री फैलीरो ने क्षमा मांगी है वैसे ही वह भी क्षमा मांगें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : मैंने स्वयं हस्ताक्षर युक्त पत्र देखे हैं जिनमें समर्थन मांगने की बात थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हां, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : '....' शब्द के बजाए मैं 'झूठ' कहूंगा।

श्री राजीव गांधी : महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि वह क्षमा मांगे।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। मैं विशेषतौर पर राजीव जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर जोर न डालें क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है और कुछ लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आपको उनसे कुछ हमदर्दी होनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक मूलभूत सच सामने आ गया है कि इस विभाजन से पहले भी एक महीने से भी पहले वे सम्पर्क में थे। उन्होंने बोफोर्स पर चर्चा नहीं की अपितु उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि दल में विभाजन कैसे हो। कम से कम इस सच की पुष्टि दोनों ने कर दी है। (व्यवधान) मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब मैं विपक्ष में हूं।

महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि यह सरकार को बचाने का प्रश्न होता तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर सकते थे और सरकार को बचा सकते थे। परन्तु हमने होश में निर्णय लिया कि हम सरकार को कुर्बान कर देंगे परन्तु इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे।

अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने होशोहवास में 23 तारीख को ही सरकार की बलि दे दी थी। सरकार को बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह इस मुद्दे को बचाने का प्रश्न था।

जिन टोह लेने वालों का आपने जिक्र किया है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के बहुत से सदस्यों—यदि मैं नाम लूं तो कई सदस्यों के नाम गिनवा सकता हूं—ने मुझसे सम्पर्क किया और कहा कि वे यहां पर उपस्थित नेतृत्व से उकता गए हैं और कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान) उन्होंने श्री शरद पवार का नाम लिया है। जो कुछ उन्होंने भरोसे में कहा उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री राजीव गांधी : उनके नाम बताइए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो टोही उन्होंने हमारे पास भेजे थे उनके बारे में उन्हें सचेत रहना चाहिए। श्री राजीव गांधी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। उन्हें सावधान रहना चाहिए।

[हिन्दी]

उप प्रधान मन्त्री (श्री देवी लाल) : स्पीकर साहब, जो बात कही है उसमें सच्चाई है, यह तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मुझे लाने के लिए मेरे पास हवाई जहाज भेजा गया था। मैं उस समय धुलिया डिस्ट्रिक्ट में था। मेरे साथी श्री प्रीतीश नन्दी, जिसकी बिनाह पर मुझे बरखास्त किया गया, उसे लाया गया था ताकि वह देवी लाल को ले आए। मुझे टेलीफोन किया गया और मुझे टेलीफोन पर कहा गया कि आडवाणी साहब कोई फैसला नहीं कर पाए है। मैंने कहा कि फैसला नहीं कर पाए हैं तो

कुछ ऐक्शन लीजिए। उन्होंने कहा कि आप जल्दी आइए। मैंने कहा कि मैं परसों आऊंगा लेकिन परसों का इन्तजार नहीं किया और रात को हवाई जहाज भेज दिया। प्रीतीश नन्दी को साथ भेजा। नासिक से 160 मील धुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर जहाज भेजा गया। जब मैं यहां पर आया तो मैंने कुछ सुझाव रखे। मैंने कहा कि राज करना है तो राज चलाना सीखो। मैंने आते ही दो तजवीजें रखीं कि जब बी० जे० पी० ने सपोर्ट विदड्रा कर लिया है तो आप राजस्थान में सपोर्ट विदड्रा करो और चिमन भाई को कहो कि इनके वजीरों को कैबिनेट से बाहर निकालें और शरद पवार से कान्टैक्ट करो। शरद जी के पास मैंने दो आदमियों के नाम कहे, वे तो भेजे नहीं जार्ज साहब को भेज दिया। मैंने आखिर में पूछा कि कुछ पोजीशन है, कहा कि हो रहा है। मैंने पूछा कि किसको भेजा है तो कहा कि वह तो अभी रहने दो। जार्ज ने शरद पवार जी से बातचीत की, उनको कहा कि किसी तरह से बचाओ, वे बचा नहीं सके। ऐसी हालत है, यह मैं बताना चाहता हूं कि यह बात सच्ची है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : हाल ही के राजनैतिक संकट में भारतीय जनता पार्टी साथ रही है, वामपंथी दल साथ रहे हैं और हमारी पार्टी साथ रही है। एकमात्र व्यक्ति जो अपने सदस्यों को साथ नहीं रख सके और जिन्होंने अपने दल को विभाजित कर दिया है वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे दूसरों के रिश्ते टूटने पर बहुत खुश हैं। यह संतुष्टी है जो वे दूसरों को परेशान करके हासिल करते हैं?

जो विपथन और विकृतियां आ गई हैं उन्हें सभा के समक्ष रखने के बाद मैं एक बहुत भयंकर प्रवृत्ति का उल्लेख करना चाहता हूं जो आज राजनैतिक मामलों में आ गई है। हम 1952 से 1989 और 1990 में गठित लोक सभा को देखा है। परन्तु दुर्भाग्यवश···(व्यवधान) मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपको सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो आज राजनीति में आ गई है। हमने 1952 से लेकर 1989 तक के लोक सभा चुनाव देखे हैं। हमने विभिन्न तरह के मन्त्रालयों का पुनर्गठन भी देखा है। महोदय, मैं यहां व्यक्तिगत रूप से किसी 'क' या 'ख' के विरुद्ध कोई आरोप लगाना नहीं चाहता क्योंकि यह इस सभा की परम्परा नहीं है। परन्तु आज दिल्ली में किसी गली या कूचे में जाइए। आप पत्रकारों के पास जाइए। आप संवादाताओं के पास जाइए। आप विदेशी संवादाताओं के पास जाइए। आपको वे उस सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे जो आज राजनीतिक ढांचे में घर कर गई है यानी आज सदस्यों की खरीद-फरोख्त हो रही है···(व्यवधान) महोदय, यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस खरीद-फरोख्त से एक दिन, किसी समय एक संगठन को लाभ हो सकता है। दूसरे क्षण दूसरे संगठन को लाभ हो सकता है। परन्तु इस सारी प्रक्रिया में राजनैतिक दल प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आज आप विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संवाददाताओं से पूछिए। वे आपको बताएंगे कि अशोक होटल में सत्ता का स्थान क्या है। वे विभाजन की बात करते हैं। वे खरीद-फरोख्त की बात करते हैं। यदि आप जन-प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त की अनुमति देंगे तो याद रखिए कि चाहे कोई पार्टी अस्तित्व में रहे और चाहे कोई पार्टी अस्तित्व में न रहे पर संसदीय प्रजातंत्र का इस देश में निश्चित रूप से अस्तित्व मिट जाएगा। यह एक खतरनाक हथियार है, यह एक दोहरी धार वाला हथियार है। अन्त में मैं इस सभा को चेतावनी देना चाहता हूं कि जहां तक स्वस्थ राजनैतिक जीवन का सम्बन्ध है, हमें यह देखने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उद्योगपति हमें राजनैतिक नैतिकता सिखाने की कोशिश न करें। एक दिन जब हम संसद से बाहर जा रहे थे तो ऐक उद्योगपति

कह रहे थे "यदि आप राजनैतिक नैतिकता का अनुसरण करते और अपने नेता को बचा लेते तो आपकी सरकार बचाई जा सकती थी।" मैंने कहा : "श्रीमान आप अपना औद्योगिक कार्य करते रहिए। हममें से उन लोगों को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाने की कोशिश मत करिए जो 40 वर्ष या अधिक समय तक आन्दोलन में रहे हैं। हम आपसे राजनैतिक नैतिकता नहीं सीखना चाहते।" बात यह है कि संस्थाएं नष्ट होती जा रही हैं। खरीद-फरोख्त हो रही है। धन शक्ति का बोलबाला है। हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा। हमारे प्रधान मन्त्री को मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांग रहे हैं। यह आप अपने जोखिम पर कर रहे हैं। भविष्य में इस प्रयोग को देखने के लिए आप जीवित रहेंगे। हम भी भविष्य में इस प्रयोग को देखने के लिए जीवित रहेंगे। आज हम आपस में अलविदा कह रहे हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि इन लोगों के अनुभवों, जो इन्होंने 1979 में दिखाए, से सीखने के बाद एक समय आएगा जब हम अपने अनुभव बांटेंगे और भविष्य के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस टिप्पणी के साथ, कर्त्तव्य की अनिवार्यता और प्रजातान्त्रिक मानदण्डों के कारण मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो मेरे साथी और मित्र, प्रधान मन्त्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.18 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

मन्त्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

—(जारी)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आडवाणी साहब को बोलने के लिए निमन्त्रण देने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं :

[अनुवाद]

जैसाकि सभा जानती है, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार क्या जनता दल में विभाजन हुआ है और इससे सम्बन्धित अन्य मामले मेरे विचाराधीन हैं। इसलिए, मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को सभा में न उठाएं।

अब श्री आडवाणी बोलें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस प्रकार यह मामला रद्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम यह जानना चाहेंगे कि आपके विनिर्णय के तहत क्या श्री मधु दण्डवते, जो कुछ पहले ही कह चुके हैं, वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित होगा या नहीं। आप अपने विनिर्णय के तहत क्या इस पर गौर करेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय का यह अर्थ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष जी, अभी मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली के इन्सीडेंट को लेकर के किसी पोस्टर में मेरे नाम की बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : कहां कही गई है ?

श्री आर० एन० राकेश : गत 14 नवम्बर को मुझे मालूम नहीं है कि मेरा नाम पोस्टर में आया या नहीं आया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और न मैंने किसी मीटिंग या कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है···(व्यवधान)···अगर इस ढंग से मेरा नाम किसी पोस्टर में आया है, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा नाम छपाया है, उनके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही की जाए और उपेक्षित जांच करवाई जाए। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है और यह उन्हीं की भी हो सकती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं यह कार्य बड़ा ही घृणित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो गया है। आप बैठ जाएं।

श्री आर० एन० राकेश : धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी द्वारा जो विश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें अभी तक केवल विपक्ष के लोग ही बोले हैं। मैं यह चाहता हूं कि एक या दो भाषण पक्ष की तरफ से होने चाहिए। आडवाणी जी से पहले तो उनके पक्ष में किसी को बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि विश्वास प्रस्ताव के विरोध में एक विपक्षी नेता बोले हैं। सभा के लिए और उचित वाद-विवाद के उद्देश्य से यह सही होगा कि प्रस्ताव के पक्ष में कोई सदस्य बोले और उसके बाद मुझे बोलने के लिए कहा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : अन्यथा वे यह घोषित करें कि कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करना नहीं चाहता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं। इसी कारण, मैं श्री जनार्दनन को बोलने के लिए कह रहा हूं।

***श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन** (तिरुनेलवेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ए० आई० ए० डी० एम० के० तथा तमिल जनता सहित भारत के लोगों की तरफ से मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर जी द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

मैं नए प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय लोगों में विश्वास पैदा करें। वे गत ग्यारह महीनों में अपना विश्वास खो बैठे हैं और मुझे आशा है और विश्वास है कि कन्याकुमारी से हिमालय तक हमारे भारत में घूमे नए प्रधान मन्त्री लोगों के दिमाग तथा गरीब वर्गों को जानते हैं। वे अभी भी पीड़ित हैं और मुझे विश्वास है कि नए प्रधान मन्त्री कसौटी पर खरे उतरेंगे और गत ग्यारह महीनों में अपना विश्वास खो बैठे लोगों में विश्वास उत्पन्न करेंगे।

मुझे यह कहते हुए दुख है कि प्रो० मधु दण्डवते ने कहा कि आज भारत में सबसे दुखद दिन है। लेकिन, हम समझते हैं कि यह भारतीय इतिहास में सबसे सुखद दिन है। ग्यारह महीने के बाद सरकार पूर्णतया नियम सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर बदली गई है। लेकिन, देश के लोगों द्वारा चुने गए ये संसद सदस्य सच्चे हैं और वे गांधीवाद का समर्थन करते हैं और विदेशी शक्तियों की भांति अन्य रास्तों पर नहीं चलते। किसी तरह का रक्त-पात किए बगैर महान लोकतान्त्रिक तरीके से ही यह परिवर्तन हुआ है।

तमिलनाडु के महान सन्त कवि थिरुवल्लुवर एक दोहे में कहते हैं कि आप एक ऐसा शब्द बताइए जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा शब्द न हो। लेकिन, हमने सुबह देखा कि किस प्रकार महान नेता एक शब्द के लिए लड़ रहे थे।

*हमारी ऐसी गौरवपूर्ण परम्परा रही है और हमने महसूस किया है कि लोगों ने जो विश्वास खो दिया है, वह नए माननीय प्रधान मन्त्री ने पुनः स्थापित कर दिया है। इस पुनीत सभा को यह जानना चाहिए कि यह सरकार हमारी ओजस्वी नेता माननीया सेल्वी जयललिता और श्री राजीव गांधी द्वारा समर्थित है और इस प्रकार उन लोगों द्वारा समर्थित है, जिन्होंने तमिलनाडु में मौजूदा सरकार को 1989 में पूर्णतया अस्वीकार किया था।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

इस प्रस्ताव का समर्थन करके हम अब तमिलनाडु के लोगों की इच्छा पूरी कर रहे हैं।

*हम पिछले दो वर्षों से इस पुनीत सभा के समक्ष केन्द्र सरकार द्वारा विचार हेतु अनेक मुद्दे रखते रहे हैं। हमने तमिलनाडु में शांति भंग होने की घटनाओं के बारे में अनेक बार कहा। इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस सारी समस्या को अनदेखा कर दिया। दूसरी ओर, उन्होंने तमिलनाडु सरकार का समर्थन किया।

[अनुवाद]

लेकिन, आज मैं बड़े दुख के साथ राज्य की स्थिति बता रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र ने एक समाचार प्रकाशित किया। माननीय प्रधान मन्त्री को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस समाचार के तहत किसी संसद सदस्य या विधायक अथवा किसी मन्त्री द्वारा विचार व्यक्त नहीं किए गए थे। यह तो एअर वाइस मार्शल रामदास का मत है। इस समाचार का शीर्षक यह है "लन्कन तमिल्स लैट आफ बास टी० एन० गवर्नमेंट"। इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने किस प्रकार से नौ सेना द्वारा पकड़े गए तस्करों को छोड़कर कानून का खुलेआम उल्लंघन किया है। तमिलनाडु सरकार राज्य के सभी जिलों में उग्रवादियों को भेज रही है। कामराज, चिदम्बरनार और पोन मुथुरामलिंगम जिले ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर उग्रवादियों की गतिविधियां पूरे जोरों पर है। ऐसी स्थिति में हमें माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर में पूरा विश्वास है कि पिछले दो वर्षों से प्रभावित तमिलनाडु की इस समस्या का शीघ्र ही समाधान होगा।

जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, हमारा मत है कि धर्म कोई भी हो, हम सभी धर्मों को बराबर समझते हैं।

*माननीय प्रधान मन्त्री, जिन्होंने पदयात्राएं कीं और लोगों का दिल जीता, वह निश्चित रूप से मौजूदा साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे।

*महोदय, सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों सहित अनेक देशों में राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। इन देशों ने लोकतन्त्र को अपनाया है जोकि भारत में अनेक शताब्दियों से सुचारू रूप से चल रहा है।

*महोदय, मैं इस अवसर पर एक तमिल साप्ताहिक द्वारा बहुत घटिया स्तर के लेखन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक विख्यात साप्ताहिक है। इसमें कहा गया है कि इस लोक सभा के 525 सदस्य चुनावों से डरते हैं।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है "हमें डर है; हम लोगों का सामना नहीं करना चाहते।" मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों तथा अन्य से अनुरोध करता हूं : क्या हमें लोगों से भय है ? हमें कभी भी लोगों से भय नहीं रहा है। लेकिन समाचारपत्र लोगों से डरते हैं। वर्ष 1989 में हुए चुनाव

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समाचारपत्रों और लोगों के बीच एक लड़ाई थे। उत्तर में समाचारपत्र जीते हैं और दक्षिण में लोग जीते हैं।

*महोदय, मैंने जिस साप्ताहिक का उल्लेख किया है उसने एक कार्टून दिखलाया था जिसमें संसद सदस्य चुनावों से भागते हुए दिखलाए गए थे। यह सच नहीं है। मेरा मामला ही लीजिए। मुझे पिछले चुनाव से पहले वाले चुनाव में 2.75 लाख मत मिले थे और पिछले चुनाव में 3.84 लाख मत मिले।

[अनुवाद]

मुझे पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में लगभग 1 लाख 90 हजार मत अधिक मिले।

*हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी स्थिति महत्वपूर्ण है, इसलिए, समाचार पत्रों को इस प्रकार हमारी स्थिति की निन्दा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन आरोपों पर रोक लगनी चाहिए। आज भारत में कैसी स्थिति है। साम्प्रदायिक और धार्मिक झगड़ों में कितने निर्दोष लोग मरे हैं।

[अनुवाद]

हम साम्प्रदायिक और धार्मिक झगड़ों में दूसरे महायुद्ध से भी अधिक लोगों की जान गवां चुके हैं। क्या हम भारतीय लोगों के जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

*हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधान मन्त्री चन्द्र शेखर जी साम्प्रदायिक और धार्मिक झगड़े नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

दिल्ली में सदर बाजार क्षेत्र में नए प्रधान मन्त्री के दौरे के बाद से देश के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ है।

हमें आपमें विश्वास है। उन्होंने समाचारपत्रों में कहा था कि वह अफसरों और विपक्षी सदस्यों के प्रति बदले का रवैया नहीं अपनाएंगे।

*आपने ठीक ही कहा है :

*"मैं समस्याओं पर वार्ता करते समय प्रधान मन्त्री के रूप में अपनी निजी प्रतिष्ठा को विघ्न नहीं बनने दूंगा।"

*बातचीत करने की इस तत्परता से लोगों में नई आशा जगी है। इसके विपरीत पूर्व सरकार लोगों को शर्तों के तहत वार्ता के लिए बुलाती थी जिससे इतने ज्यादा लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए न केवल माननीय प्रधान मन्त्री जी को बल्कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को लोगों का सामना करने और उनसे बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे हम पर वार कर सकते हैं, हमें डांट सकते हैं और मार सकते हैं। लेकिन, हम में उनका सामना करने की सहन शक्ति होनी चाहिए।

मैं श्री अन्ना और श्री एम० जी० आर० का अनुयायी हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और दूसरी बार भारी बहुमत से विजयी होकर आया हूं। तमिल पत्रिका 'अला बिकटन' में सभी संसद सदस्यों अथवा महाराजाओं की यह कहकर आलोचना की गई है कि वह लोग शाही जीवन व्यतीत करते हैं और जनता का सामना करने से घबराते हैं। मैं इस सभा में सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

हम केवल समस्या के बारे में ही बातचीत करें। हम हस्तक्षेप न करें। हम में एक-दूसरे की बात सुनने का धैर्य और सहनशक्ति होनी चाहिए। तभी हम अपने देश को सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं।

मैं अपने नये प्रधान मन्त्री में पूरा विश्वास प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि वह भारतीय जनता में विश्वास पैदा करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तब मैंने यह कहा था कि इस सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में बहस नहीं की जा सकती क्योंकि इस सरकार ने अभी सत्ता संभाली है। आज यदि यह सरकार संसद में विश्वास मत प्राप्त कर लेती है, तो बाद में इस मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा कि इसका कार्यकरण कैसा रहा। आज केवल हम इस सरकार की प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं। जैसाकि पिछली बार मैंने नवम्बर, 1989 में कहा था कि हम जनादेश और हमने उसे किस रूप में लिया, इस बात पर बहस कर सकते हैं और इस आधार पर सरकार के प्रति अपना रवैया बना सकते हैं।

मैं इस प्रस्ताव का तीन मुख्य कारणों से विरोध कर रहा हूं जिनमें से एक का मेरे मित्र श्री दण्डवते ने उल्लेख किया है। मेरा मत है कि इस सरकार को जनादेश प्राप्त नहीं है। ऐसा ही है। मेरा यह भी कहना है कि इस सरकार का गठन जनादेश का उल्लंघन है। यह जनादेश, इसे आप जो भी कहें निश्चित रूप से कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस जिसकी पिछली लोक सभा में सदस्य संख्या 400 से ऊपर थी, वह इस देश के लोगों द्वारा पांच वर्ष बाद कम करके 190 और शायद 192 अथवा 193 कर दी गई।

एक माननीय सदस्य : यह 212 है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। मैंने ऐसा किसी भी लोकतन्त्रीय देश

में नहीं देखा है कि दो लगातार चुनावों में सत्ताधारी दल की सदस्य संख्या में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ हो और सत्ताधारी दल सहित प्रत्येक व्यक्ति ने पूर्ववर्ती सरकार को अस्वीकार कर दिया हो। निश्चित रूप से यह कांग्रेस दल के विरुद्ध मतदान था और इस दल, जिसे 1989 में अस्वीकार कर दिया गया था, के समर्थन से जो भी सरकार बनाई जाएगी, वह जनादेश प्राप्त होने का दावा नहीं कर सकती। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह पहला कारण है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि मेरा दल इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। मैं उन कठिनाइयों को विस्तार से नहीं बताना चाहता जिनका इस दल को सामना करना पड़ेगा। यदि हम कुछ खोज करें और उन सदस्यों के पिछले वर्ष के भाषण देखें जो आज सत्ताधारी दल के साथ हैं, तो हम देखेंगे कि उन्होंने कांग्रेस दल के बारे में, उनके नेता के बारे में क्या-क्या बोला, मुझे विश्वास है कि हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, जो मेरे मित्र दण्डवते जी ने पहले बताए हैं और हमें इनके नेता श्री चन्द्र शेखर की कांग्रेस दल और श्री राजीव गांधी के बारे में की गई टिप्पणियों के बारे में पता चलेगा। इसके अनेक उदाहरण हैं। मुझे याद है कि दिसम्बर, 1989 में विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सत्ताधारी दल की ओर से पहले वक्ता श्री जनेश्वर मिश्र थे।

श्री आर० एन० राकेश : ऐसा तब हुआ जब श्री वी० पी० सिंह यहां थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, वर्ष 1989 में वह यहां थे और उस समय मुख्य और पहले वक्ता श्री जनेश्वर थे। वह स्वयं उस समय दिए गए अपने भाषण को पढ़ें तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कांग्रेस दल के बारे में उस समय क्या कहा था कि यह भ्रष्ट दल है, यह लोगों में फूट डाल रहा है और 'फूट डालो राज करो' की नीति अपना रहा है तथा इस आधार पर इतने वर्षों तक शासन कर रहा है। उन्हें अपना भाषण स्वयं पढ़ना चाहिए। मैंने उसे पढ़ा नहीं है। इन 63 अथवा 68 में से, मुझे पता नहीं है, जो श्री चन्द्र शेखर को समर्थन दे रहे हैं, कोई व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो।

एक माननीय सदस्य : इनकी संख्या 75 है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है। प्रत्येक को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और जब आप जनादेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो आपको सदैव शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति जनादेश के विरुद्ध कार्य करेगा, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जनादेश क्या है क्योंकि इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। यह हमारा अपने मतदाताओं के प्रति एक चुनावी दायित्व है। लेकिन, यदि आप हम में विश्वास प्रकट करें तो हम इस कार्यक्रम के आधार पर इस आगे बढ़ा सकते हैं और जो वायदे हमने किए हैं हम उनके प्रति वफादार रहेंगे। यदि हमने आपसे यह वायदा किया कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखेंगे, तो मैं यह देखूंगा···

डा० तम्बि दुरै (करूर) : क्या आप कुछ समय के लिए चुप होंगे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चुप नहीं हो सकता। मैंने अभी अपनी बात प्रारम्भ की है। अभी मैंने कुछ नहीं कहा है···(व्यवधान)·· जनादेश प्रत्येक संसद सदस्य और सरकार का मतदाताओं के प्रति चुनावी दायित्व है। अचानक ही अब मुझे यह पता चला है कि जो दल आज सत्ता में है, उसका जनता के साथ चुनावी दायित्व नहीं बल्कि कांग्रेस दल के साथ है। इसने कांग्रेस दल के साथ समझौता कर लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राकेश कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस मामले में हुआ यह है कि जब श्री वी० पी० सिंह और उनकी सरकार ने त्यागपत्र दिया तो माननीय राष्ट्रपति ने विपक्ष के नेता को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वह स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में हैं। यदि श्री राजीव गांधी वह आमंत्रण स्वीकार कर लेते और कहते "हां मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूं", तो मेरा कहना है कि वह जो सरकार बनती, उसे भी जनादेश प्राप्त नहीं होता । लेकिन, यह वैध होता क्योंकि यह संसदीय नियमों के अनुरूप होता । नियमों के अनुसार यदि कोई सरकार त्यागपत्र दे देती है तो राजाध्यक्ष विपक्ष के नेता को बुलाने और यह पूछने के लिए बाध्य है कि "क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं ?" यदि वह स्वैच्छिक तौर पर यह कह देता है कि "हां मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूं" और वह ऐसी सरकार बना लेता है, जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, परन्तु, यह एक वैध सरकार होगी । मैंने देखा कि जब श्री राजीव गांधी माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद बाहर आकर संवादाताओं से मिले तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "मैंने नई सरकार बनाने से इन्कार कर दिया है क्योंकि हमें बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है ।" ऐसा करना सही तरीका है । अतः, यदि उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन, मैं उनका इस बात के लिए सम्मान नहीं करता कि वह ऐसी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है और यहां तक कि यह वैध भी नहीं है । इस सरकार में राजनैतिक वैधता नहीं है ? इस सरकार का आधार क्या है ? प्रधान मन्त्री ने स्वयं इस सरकार को संकटकालीन कहा है । संकटकालीन एक अच्छा शब्द है, किन्तु मेरे विचार से यह एक स्वार्थ साधन के लिए निर्मित सरकार है । संकटकालीन सरकार नहीं है । इससे अधिक कुछ नहीं है ।

मैं यह नहीं सोच सकता कि श्री चन्द्र शेखर जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार इस पर सहमत हो गए । मैं उन लोगों से भी सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि वही करेंगे जो कांग्रेस उनसे करवाना चाहेगी । मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, और मैं सोचता हूं कि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य करना चाहेंगे । किन्तु सीमाएं इतनी स्पष्ट है, कि कोई भी इसे देख सकता है, और इससे मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने स्थिति को स्वीकार कैसे कर लिया ।

पहली बात तो यह है, कि उनकी सरकार को जनादेश प्राप्त नहीं है । दूसरे, यह राजनैतिक रूप से वैधानिक नहीं है । तीसरा कारण भी जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, वह यह है कि पहली बार इस देश में ऐसी सरकार आई है जिसका कोई वैचारिक आधार नहीं है और ना ही यह किसी कार्यक्रम पर आधारित है । मैं ऐसी सरकार और पार्टियों की कल्पना कर सकता हूं—इन्हें हम इस देश में पहले भी देख चुके हैं—जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, और ना ही उनके पास कोई निश्चित कार्यक्रम है, बल्कि प्रायः वे नेता पर आधारित होती हैं । हम उन्हें देख चुके हैं । किन्तु, इस मामले में, इस दल और इस सरकार को मैं उस वर्ग में भी नहीं रख सकता । यह सही है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि यह एक नेता से जुड़ी हुई है, किन्तु सम्बन्ध एक नेता की स्वीकृति का नहीं है, अपितु उसकी अस्वीकृति का है । सिर्फ इसी सीमा तक इसे नेता पर आधारित कहा जा सकता है, अन्यथा कई बार मुझे उन लोगों के बारे में सोचकर आश्चर्य होता है, जिन्होंने जनता दल छोड़ दिया है, कि किस प्रकार मन्त्रि-परिषद का एक व्यक्ति जो गृह मन्त्री के रूप में कार्य कर रहा था अचानक एक दिन अपना पक्ष छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है । यह कैसे हुआ ? अगर इस प्रकार का एक दल सरकार बनाता है, तो क्या वह वास्तव में स्थिर रह सकती है, क्या यह वास्तव में जनता की सेवा कर सकती है ?

मुझे याद है, कुछ समय से इस तरह के विचार प्रकट किए जा रहे थे; कि एक राष्ट्रीय सरकार क्यों न बनाई जाए। मैं सदन के उन नियमों का आदर करता हूं, जिनके अनुसार हम। उच्च पदों पर बैठे कुछ व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करते। किन्तु यह सत्य है कि राष्ट्रीय सरकार के निर्माण पर गहन विचार हुआ था।

और जो तर्क दिए गए थे, उनकी मैं सराहना करता हूं। यह तर्क दिए गए थे कि अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है; देश बाह्य धमकियों के दबाव में है जो वास्तव में बहुत गम्भीर है और जिनके बारे में हम बाहर बात नहीं कर सकते; इसके अतिरिक्त समाज में जातीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक, सभी प्रकार के तनाव व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में, अगर एक राजनैतिक विवाद कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है, मान लीजिए, एक वर्ष की अवधि के लिए, तो यह देश के हित में होगा। मैं इन तर्कों को समझ सकता हूं और वे सारगर्भित भी हैं, हालांकि मैंने कठिनाइयां भी बताई है किन्तु मैं यह नहीं सोच सकता कि इस स्थिति के कारण इस प्रकार की सरकार गठित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह नहीं समझ सकता और मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि इस प्रकार की सरकार जिसमें 60, 63 या 68 सदस्य हैं जिन्हें 193 सदस्यों के दल का समर्थन प्राप्त है और कुछ अन्य समर्थक दल भी हैं जिससे कुल संख्या 205 या 210 तक पहुंचती है···

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी (श्रीनगर) : 220 हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 220 मान लो, मैं तो 420 भी मान लेता हूं।

[अनुवाद]

क्या यह इतना कमजोर आधार नहीं है कि इस पर दल नहीं बनाया जा सकता और सरकार बनाने के लिए क्या यह एक बहुत कमजोर आधार नहीं है ? मैं या मेरा दल किस प्रकार इस तरह की सरकार का समर्थन कर सकते हैं ?

मैं प्रधान मन्त्री की बात सुन रहा था और अपने उदघाटन भाषण में उन्होंने सिर्फ यही मुद्दा उठाया था कि वे वी० पी० सरकार के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। मैं इसमें अपनी भागीदारी से इन्कार नहीं करता। यदि मेरे दल के समर्थन वापस लेने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरी होती तो मुझे वास्तव में दुःख हुआ होता। इसलिए, मैं उस दल के पतन के उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं करता हालांकि बिना किसी मुद्दे, बिना किसी विचारधारा और बिना किसी मूलभूत मतभेदों के उस सरकार के विभाजन को मैं उचित नहीं ठहरा सकता। चाहे यह मन्दिर का मुद्दा हो या मण्डल कमीशन हो अतः विरोधी विचारों वाले सदस्य दोनों ही ओर हैं। अतः यह विभाजन किन्हीं मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ। कारण कुछ और ही हैं।

महोदय, इस बहस के प्रारम्भ होने से पूर्व आपने विभाजन के बारे में दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं; और इसलिए, मैं वह सब नहीं कहना चाहता। किन्तु क्योंकि मेरे मित्र श्री दण्डवते ने इस मुद्दे का उल्लेख किया है इसलिए मैं कहूंगा कि हमने यह दल-बदल विरोधी कानून कुछ वर्ष पहले ही पारित कर दिया होता। मैं सोचता हूं कि संसदीय समिति द्वारा उस कानून की कार्य-प्रणाली का पुनरावलोकन किए हुए काफी समय हो गया है। पिछले 4-5 वर्षों में

इसने किस प्रकार कार्य किया है ? आखिरकार, इस दल-बदल की समस्या पर विचार करने के लिए कई समितियां बनी हैं । पहले 1967 या 1968 में एक समिति गठित की गई थी जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण भी थे । श्री कुंजरू भी थे और अन्य प्रख्यात व्यक्ति भी उस समिति में थे, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए । तत्पश्चात्, दो या तीन संसदीय समितियों ने भी इस पर विचार किया । 1985 में एक कानून लागू किया गया । अब, समय आ गया है कि हम इस कानून पर विचार करें ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपातकाल के दौरान आप वहां थे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया गया था । (व्यवधान)

मैं यह उल्लेख करूंगा कि निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों पर एक समिति बनी थी, तो हमने यह उसे सौंप दिया था । हमने कुछ सुझाव भी दिए थे । मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न पर गहनता से विचार किए हुए हमें काफी समय हो गया है । एक ओर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दल-बदल की यह बुराई खत्म हो जाए और दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि दल-प्रणाली स्थिर रहे । दण्डवते जी ने भी एक बात कही थी और मैं सोचता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभी को विचार करना है । कि आपको इन धनवानों, इन बड़े पूंजी पतियों और उद्योगपतियों को राजनैतिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

डा० लम्बू बुरं : हमारे राजनैतिक ढांचे को नियन्त्रित करने वाले यह पूंजीपति और उद्योगपति कौन होते हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह एक भी ऐसे सदस्य का नाम बता सकते हैं जिसने पैसे लिए हों । उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए । यह सत्य नहीं है । उन्हें उस सदस्य का नाम बताना चाहिए जिसने पैसे लिए हों ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी है । श्री आडवाणी ने दल-बदल विरोधी कानून के बारे में दिए गए कुछ सुझावों का उल्लेख किया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन सुझावों में से एक भी सुझाव में यह कहा गया है कि दल-बदलू को कम-से-कम एक वर्ष के लिए मन्त्री बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह पहली समिति का सुझाव था, जिसमें जे० पी० भी थे । किन्तु उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया और उसके बाद संसदीय समिति ने कानून के वर्तमान रूप की सिफारिश की जिसमें इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया था । वर्तमान कानून एक व्यक्ति को मन्त्री बनने से नहीं रोकता । कानून विभाजन के तथ्य को भी मान्यता देता है । किन्तु सम्पूर्ण दल-बदल विरोधी कानून के पुनरावलोकन के लिए एक स्पष्ट मामला है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दल-बदल जो एक बुराई है, जहां एक व्यक्ति एक दल को कुछ बातों के आधार पर प्रलोभन में आकर छोड़ देता है, इसको रोका जा सके और दूसरी ओर यदि एक दल ऐसी स्थिति में है जिसमें लोग इकट्ठे होकर काम नहीं कर सकते और उसमें विभाजन हो जाता है, तो उस विभाजन को भी मान्यता दी जा सके । यह कैसे करना है यह एक समस्या है । किन्तु जब एक विभाजन हो जाता है, अगर आप कई प्रकार के छल कपट का सहारा लेते हैं तो समस्या जटिल हो जाती है ।

आज सुबह, दण्डवते जी ने बोफोर्स के बारे में जो कहा था, उस पर प्रतिक्रिया करते हुए प्रधान मन्त्री जी ने एक बार फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की । पहली दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उन्होंने तब की थी

जब उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रधान मन्त्री से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि यह पुलिस के एक सब इन्स्पेक्टर का मामला है। उन्होंने आज इसे इस तरह से समझाने का प्रयास किया। आज विवरण देते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते है कि केवल 'बोफोर्स' जपने से ही देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं उनमें से बिलकुल नहीं हूं। किन्तु मैं यह मानता हूं कि बोफोर्स के मुद्दे को हल्केपन से छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। पिछले 40 वर्षों में, कई बार, विभिन्न चुनावों में राजनैतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया है और कई घांधलियों के बारे में भी चर्चा की गई है। किन्तु मैं एक भी ऐसे घोटाले के बारे में नहीं जानता जो एक आम आदमी के शब्दकोश में इतना घुलमिल गया हो जैसे बोफोर्स। इसलिए विशेष तौर पर स्विट्जरलैण्ड में आज लिए गए न्यायालय के निर्णय के बाद जिसके अनुसार···

प्रो० मधु दण्डवते : इसी प्रकार का आरोप श्री फिरोज गांधी के विरुद्ध लगाया गया था जब उन्होंने मुद्रा स्कैण्डल को उठाया था। उन्होंने सदन के बीच ठीक कहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ए० ई० सर्विसिज की ओर से लोगों ने जो अपील की थी वह स्विटजरलैण्ड की संघीय अदालत ने अस्वीकार कर दी है और यह निर्णय लिया कि बोफोर्स भारत हॉविटजर सौदे के सम्बन्ध में किए गए गैर-कानूनी भुगतानों के विवरण सहित बैंक दस्तावेज भारतीय जांचकर्त्ताओं को स्थानान्तरित कर दिए जाएं।

और "स्विटजरलैण्ड की उच्चतम अदालत की यह सनसनीखेज घटना इस बात की पुष्टि करती है, यदि पुष्टि की आवश्यकता है, कि ए० ई० सर्विसिज को बोफोर्स द्वारा 1986 की दर से 7.6 मिलियन डालर का जो भुगतान किया गया वह रिश्वत थी न कि करार समेटने के लिए किया गया भुगतान, जैसाकि दिखाया गया। मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इसे केवल एक घोटाले के रूप में ही न लें। उन्हें इसे ऐसे दृष्टिकोण से देखना चाहिए यदि समाज में उच्चतम स्तर पर ऐसे लोग हैं जो घांधलियों में लिप्त रहते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता और राज्य की दण्ड व्यवस्था इधर-उधर केवल छोटे चोरों को पकड़ने में लगी रहती है। राज्य-सत्ता खोखली हो जाएगी। आखिरकार, यह बोफोर्स का मामला धन-सम्बन्धी गम्भीर घांधली का एक स्पष्ट मामला है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। जो कोई भी अपराधी है, और वह चाहे कोई भी, चाहे इस पक्ष का हो अथवा उस पक्ष का, उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि यद्यपि यह मामला तीन वर्ष पहले आया था, फिर भी इसे छिपाने का लगातार प्रयास रहा है। मैं उस सत्तारूढ़ दल को जो पहले सत्ता में था, पर दलाली खाने के पाप का आरोप लगाता हूं। जन मोर्चा सरकार पर मैं लापरवाही और सुस्ती का आरोप लगाता हूं। किन्तु जहां तक श्री चन्द्र शेखर जी का सम्बन्ध है, वे ऐसी स्थिति में हैं कि इसे खुले दिमाग से सुलझा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी? (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज कांग्रेस दल के नेता ने कहा है कि वे बोफोर्स के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बोले हैं। स्वयं प्रधान मन्त्री ने इस बात की पुष्टि की है कि बोफोर्स के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की गई है। मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री की बात को स्वीकार करता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसमें बिलकुल भी देर न करें और अगले सत्र में पहले ही दिन सभा-पटल पर बोफोर्स सम्बन्धी सभी दस्तावेज रख दें। सदन को सत्य की सूचना दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे प्रसन्नता है कि श्री आडवाणी ने हमारे द्वारा मांग किए जाने के एक

वर्ष बाद, उन्होंने हमारी मांग के महत्व को पहचाना और हमारी मांग का समर्थन किया कि दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखा जाए। श्री वी० पी० सिंह अपनी जगह पर नहीं हैं किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि श्री आडवाणी ने पहचाना कि पिछले एक वर्ष से जो कांग्रेस की यह मांग है वह तर्कसंगत है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने मेरी इस मांग की प्रशंसा की है इसका अर्थ यह है कि वे इसे अगले सत्र के पहले दिन ही करने जा रहे हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : अगला सत्र कब होगा ?

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि आडवाणी जी ने मेरा काम काफी आसान कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि सभा-पटल पर दस्तावेजों को रखने के पश्चात् सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाएगा कि आगे जांच को सम्भव नहीं बनाया गया। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरी मंशा किसी तथ्य को छिपाने की नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को बचाना चाहता हूं। सभा-पटल पर सूचना रखने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं क्योंकि मैंने अपने भाषण के आरम्भ में कहा था कि यह ऐसा विषय है जो हमारे लोगों को उद्वेलित कर रहा है और पूरे देश को बड़ी शर्मनाक स्थिति में ला खड़ा कर रहा है।

3.00 म० प०

मेरे विचार में इस देश को शर्म से बचाया जा सकता है। जो कोई भी दोषी है उसे दण्डित किया जाना चाहिए या उसे लोगों के सामने लाना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि यह प्रधान मन्त्री का कार्य नहीं है, मैं सोचता हूं कि बोफोर्स एक अच्छा स्कैण्डल है किन्तु यह एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है कि प्रधान मन्त्री इसमें अपना सारा ध्यान लगाएं। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी ओर आपको ध्यान देना है। यह एक अकेला मुद्दा नहीं हो सकता है, मैं एक और मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अर्थात् 1984 के दंगे। स्वयं सरकार के अनुसार, इन 1984 के दंगों में, 2700 व्यक्तियों की हत्या की गई थी और एक भी दोषी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया गया, इससे संस्था के अधिकार और ख्याति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। (व्यवधान) आज सुबह श्री मल्होत्रा, श्री खुराना और श्री कालका दास ने दिल्ली में पिछले दो दिनों में हुई घटनाओं, केवल दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हर व्यक्ति जानता है कि अधिकारियों को इस प्रस्तावित जुलूस की पूर्व सूचना थी। चार या पांच दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली के मुसलमानों और सिक्खों को जुलूस में भाग लेने के लिए और अल्पसंख्यकों इत्यादि पर हो रहे अत्याचारों को सामने लाने के लिए आमन्त्रित किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दिल्ली के सिक्खों ने इस जुलूस में भाग नहीं लिया और सिक्खों की सभी प्रतिनिधि संस्थाओं ने इस जुलूस की निन्दा की थी। मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि मुसलमानों के जिम्मेदार प्रतिनिधियों में से भी किसी ने परसों इस जुलूस में भाग नहीं लिया—मैं उनसे असहमत भी हो सकता हूं—फिर भी इस निर्णय के लिए जाने से पहले इनमें से कुछ ने प्रथम बैठक में हिस्सा लिया था। यह एक अच्छा सूचक है। मैं इस स्तर तक स्थिति का स्वागत करता हूं। किन्तु मेरे विचार में ग्रन्थ साहिब को जलाए जाने की चार घटनाओं एक दिल्ली में तथा तीन पंजाब में के तुरन्त बाद ऐसा हुआ है, इस विषय को अब बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल का एक वक्तव्य है कि पाकिस्तान, अपने एजेंटों और हिंसा भड़काने वाले लोगों को भारत भेजने में सफल हो गया है जो इस प्रकार की शरारत करने में सक्षम हैं।

यह ऐसा विषय है जिसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि परसों दिल्ली में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए जिसमें पंजाब के राज्यपाल द्वारा प्रकाश में लाए गए इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि यदि ऐसे व्यक्ति देश में घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं तो वे न केवल दिल्ली में ही बल्कि अन्यत्र भी कुछ भी शरारत कर सकते हैं।

मैं एक अथवा दो और बातें कहना चाहता हूं। तीन दिन पहले मेरे छः मित्र अयोध्या गए थे तथा वे जिस प्रकार की कहानियां मुझे बता रहे हैं वे बड़ी भयंकर हैं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि स्वतन्त्र भारत में ऐसी स्थिति भी हो सकती है तथा विशेषतः मुझे अत्यन्त दुःख पहुंचा जब मैंने देखा कि प्रधान मन्त्री जी ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का इस प्रकार से बचाव किया था जैसे कि वहां कुछ भी गलत नहीं हुआ है तथा वहां जो कुछ भी हुआ था वह होना जरूरी था।

ऐसा किया ही जाना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि वह कुछ वीडियो टेप देख सकते हैं जो अब बिना किसी प्रतिबन्ध के उपलब्ध हैं तथा देख सकते हैं कि वास्तव में वहां क्या हुआ था तथा कैसे हुआ था। वे वीडियो टेप झूठ नहीं बोल रहे हैं तथा आप देखेंगे कि पूरी तरह से निष्पक्ष, शान्त कारसेवकों अथवा तीर्थयात्रियों को कितनी क्रूरता से पीटा गया, उन पर लाठी बरसायी गयीं तथा अश्रु गैस छोड़ी गयी। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं समझ सकता हूं कि एक हिंसा पर उतारू भीड़ वहां आती है तथा पुलिस को मजबूरन उनके खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु इस मामले में, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जा रही थी। लोग पूरी तरह से अहिंसा के सिद्धान्त पर चल रहे थे, शान्त बैठे हुए थे तथा राम धुन सुन रहे थे किन्तु पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा तथा इस बात का बचाव किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वहां जो कुछ भी घटा है, उससे प्रधान मन्त्री जी को स्वयं को अलग करना चाहिए'''(व्यवधान) अयोध्या में 30 नवम्बर तथा 2 नवम्बर को हुए अपराध एक ऐसा कलंक है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। (व्यवधान) मैं अपनी बात कर रहा हूं। (व्यवधान) मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। (व्यवधान) मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। वे अपनी बारी आने पर उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान) मैंने इसका उल्लेख किया है क्योंकि जैसाकि मैंने कहा था'''(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप बैठ जाइए। आडवाणी जी के अलावा अन्य किसी सदस्य का भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि चन्द्र शेखर जी ने इस सरकार को गिराया है। मैंने कहा था कि मेरे दल की जिम्मेवारी है क्योंकि मेरा

विश्वास है कि केन्द्र सरकार ने अयोध्या मसले से सम्बन्धित अपराधों को गलत ढंग से देखा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यन्त क्रूर अत्याचार किए हैं···(व्यवधान) मैंने दूसरे दिन भी कहा था कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दो अन्य मामले भी हैं। श्री जनार्दन ने एक मामले को उठाया था। श्री जनार्दन ने तमिलनाडु की स्थिति का जिक्र किया था। मैं सोचता हूं कि सरकार चाहती है कि भारत की जनता इसको तुरन्त नोट करे तथा वास्तव में यह एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति है कि किसी भी राज्य में चाहे वह तमिलनाडु हो अथवा आसाम हो वहां पर उग्रवादी राज्य सरकार के सहयोग से अपनी गतिविधियां जारी रख रहे हैं। (व्यवधान) आखिरकार, हम उग्रवाद का सामना कर रहे हैं। (व्यवधान) हमारा देश कश्मीर तथा पंजाब में भी उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना कर रहा है। यदि पंजाब तथा कश्मीर में उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं तो वह पाकिस्तान कर रहा है। यदि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वह सीमा पर पाकिस्तान ही उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। परन्तु आसाम में मैंने वीडियो टेप देखी हैं जहां पर देश के अन्दर प्रशिक्षण कक्षाएं, प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं यहां तक कि स्वयं आसाम में ही प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं। केन्द्र सरकार इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है ? हम नहीं कर सकते। अतएव, मैं नई सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि यह सभा में अपना बहुमत हासिल कर लेती है तथा यह सत्ता में बनी रहती है तो इसे तुरन्त ही तमिलनाडु तथा आसाम की समस्या के समाधान की ओर कार्य करना होगा।

एक अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं। मैं नए प्रधानमन्त्री से कहना चाहता हूं। आखिरकार यह इस देश में चौथी अल्पसंख्यक सरकारें बन चुकी हैं। पहली अल्पसंख्यक सरकार वर्ष 1969 में बनी थी जब कांग्रेस पार्टी गिरी थी तथा उस समय यद्यपि चन्द्रशेखर जी सरकार में नहीं थे परन्तु सरकार से बाहर रहकर भी वह उस सरकार के एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तथा भारतीय साम्यवादी दल के समर्थन से ही सरकार इस सभा में बहुमत प्राप्त कर सकी थी। दूसरा अवसर वर्ष 1979 में हुआ था ठीक दस वर्ष पश्चात् जबकि कांग्रेस ने ठीक वही तरीका अपनाया था तथा उन्होंने वही नीति आज अपना ली है तथा चन्द्र शेखर जी को देश का प्रधान मन्त्री बना दिया है। उनकी भी अल्पसंख्यक सरकार थी जो उन लोगों के समर्थन से बनी थी जो सरकार से बाहर थे। तत्पश्चात् वर्ष 1989 में दस वर्ष पश्चात् एक ऐसी सरकार आई जिसे जनता द्वारा निकाल बाहर किया गया, यह भी एक अल्पसंख्यक सरकार थी। (व्यवधान) वह तीसरी सरकार भी एक अल्पसंख्यक सरकार थी। इसे दो दलों, दो वर्गों, वामपंथी तथा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था तथा जब उन्होंने इस सरकार का समर्थन किया था तब उन्हें जनादेश प्राप्त था, वे जनादेश के खिलाफ नहीं गए। (व्यवधान) इस समय इन सभी मामलों में यद्यपि वह एक अल्पसंख्यक सरकार थी तथापि इस सरकार की काफी अच्छी स्थिति थी। परन्तु आज समर्थनकारी दल की शासक दल से लगभग तिगुनी संख्या है।

मैं केवल प्रधान मन्त्री जी को सावधान करना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्थिति में जहां दो सहयोगी दल साथ-साथ आते हैं तथा उनमें से एक बड़े दल का केवल एक चौथाई अथवा एक तिहाई ही हैं छोटा दल सरकार में है तथा बड़ा दल सरकार से बाहर है तब ऐसी स्थिति में कठपुतली की तरह उसको अपने इशारों पर नचाने का प्रलोभन स्वाभाविक है। मैं चन्द्रशेखर जी पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वह कठपुतली बन गए हैं। (व्यवधान) नहीं, अभी तो नहीं। परन्तु मैं केवल इतना ही कह

रहा हूं कि कठपुतली की तरह इशारे पर नचाने का प्रलोभन काफी तीव्र है। तथा चन्द्रशेखर जी सतत दुविधा में पड़ सकते हैं। यदि वह कठपुतली की भांति कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं तो सरकार तथा देश दोनों के लिए इसके परिणाम अत्यन्त नुकसानदायक होंगे। परन्तु यदि वह कठपुतली की भांति कार्य करने से इन्कार कर देते हैं तो उनकी सरकार का अन्त हो सकता है। उन्हें इस दुविधा का सामना करना पड़ेगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि उनकी सरकार का अन्त भी हो जाता है तो भी उन्हें कभी भी किसी ऐसे दल के हाथों कठपुतली बनना स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया हो तथा इस दल को केवल जनादेश प्राप्त होने पर ही देश पर शासन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : आप अपनी संख्या की गिनती कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी लाल जी अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं केवल एक मिनट लूंगा। बोफोर्स के मामले में श्री आडवाणी ने अपना रुख बदल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : श्री चन्द्र शेखर जी ने कहा है कि यदि "मैं बोफोर्स सम्बन्धी दस्तावेजों को प्रस्तुत करता हूं तो आपको मुझ पर गोपनीयता भंग करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए।" लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी जिम्मेदारी श्री चन्द्र शेखर जी की है और वे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

उप प्रधान मंत्री (श्री देवी लाल) : स्पीकर साहब, हमारे जनता दल एस पार्टी को बने हुए एक हफ्ता हुआ है। हम अपनी कारगुजारी और परफार्मेंस हेतु आपकी मार्फत हाउस से समर्थन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम समर्थन इस बात के लिए मांग रहे हैं कि हमारी जो नेक नीति है किसानों व मजदूरों के लिए हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें हमें आपका सहयोग मिले। हमारी सरकार की बाबत मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि इस सरकार को बनाने में हमने बड़ी कोशिश की थी। कांग्रेस के खिलाफ मैंने सबको इकट्ठा करके एक सम्मेलन बुलाया था। हमने सब पार्टियों को इकट्ठा करके कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की थी···(व्यवधान)···इसके लिए मैंने सभी पालिटिकल पार्टियों को दिल्ली के नजदीक सूरजकुण्ड में इकट्ठा किया था और सबको नजदीक लाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ महानुभाव हमारे साथ शामिल नहीं हुए। हमने फिर कोशिश की और चण्डीगढ़ के पास पिंजौर में जाकर इन लोगों को इकट्ठा किया। वहां श्री चन्द्रशेखर भी थे, बीजू पटनायक और हमारे महानुभाव पिछले प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, अजीत सिंह भी थे और दूसरे कई साथी थे। मैंने आपसे

पूछा—ये चन्द्र शेखर जी कहते हैं कि मैं नहीं था। इन्होंने पूछा कि किसको मानोगे लीडर, मैं अर्ज किया कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे लीडर होंगे। चन्द्र शेखर ने कहा, लीडर तो मैं नहीं मानता, मैंने कहा कि लीडर तो मैं भी नहीं मानता और हैं भी नहीं···(व्यवधान)···स्पीकर साहब, मैंने कहा कि लीडर तो मैं भी नहीं मानता और लीडर दरअसल हैं भी नहीं लेकिन किसी न किसी को प्रधान मन्त्री बनाया जाय, इस बात पर सभी मुत्तफिक हो गए और हमने मन बनाया कि इनको प्रधान मंत्री बना कर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करें, हमने जगह-जगह जुलूस निकाले, जलसे किए और हर जगह मैंने यह कहा कि वी० पी० सिंह अगले प्रधान मन्त्री होंगे और इनको यह दिखाने के लिए कि मजमा आपके नाम से इकट्ठा नहीं हो रहा है, राजस्थान में सांगरिया मण्डी है, उसकी आबादी 25 हजार है, मेरे एक रिश्तेदार ने इनको इन्वाइट कर लिया, मेरे गांव से वह 5 मील के फासले पर है, मैंने कहा, तैंने इन्वाइट तो कर लिया, कुछ इन्तजाम तो करना था, हम इसे प्रधान मन्त्री बनाना चाह रहे हैं, लोग इकट्ठे कहां से करोगे। मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर दो लाख आदमी इकट्ठे किए और उन दो लाख आदमियों से पहली दफा सांगरिया में मैंने कहा, यह हमारे प्रधान मंत्री होंगे। शाम को इन्हें गंगानगर जाना था, जहां मैं साथ नहीं गया वहां की आबादी डेढ़ लाख है, वहां कुल 20 हजार आदमी इकट्ठे हुए ताकि इन्हें पता लग जाय कि तेरी औकात क्या है।···(व्यवधान)···स्पीकर साहब, हाउस से अर्ज कीजिए, मुझे कुछ बोलने तो दें। मैंने यह सिलसिला सारे देश में शुरू किया और नतीजा यह निकला कि सारे लोग इन पर मुत्तफिक हो गए कि यह हमारे लीडर होंगे। दरअसल मैंने स्ट्रेटेजी के तौर पर यह इकट्ठे किए थे।

आज हमारे रामविलास पासवान कहते हैं कि मैं पांच लाख 40 हजार वोट से हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में कामयाब हुआ हूं, मेरा पहला नम्बर है। यही रामविलास पासवान हरिद्वार से खड़े हुए थे तो जमानत जब्त हुई थी···

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप भी हारे थे। हरियाणा में आप हारे हैं।

श्री देवी लाल : फिर इन्होंने कोशिश की और ये बिजनौर से खड़े हुए, बिजनौर में भी हार गए। जब यह हालत थी कि राजपूत और भूमिहार, ये ताकतवर कौमें थीं, ये कब्जा करके···(व्यवधान)···भाई, सुन तो लो, मैं 20 दफा हार गया, अब तो बैठो।

अध्यक्ष महोदय : देवी लाल जी, स्पीकर को एड्रैस कीजिए।

श्री देवी लाल : स्पीकर साहब, मैं आपसे ही अर्ज कर रहा था। ये कहते हैं कि मैं भी हार गया था। मैं हारा हूं, मैं 36 इलैक्शन लड़ चुका और इलैक्शनों के मामले में मेरा मुकाबला राजीव का कुनबा तो कर सकता है लेकिन यह नहीं कर सकते। गांधी परिवार ने 16 इलैक्शन लड़े हैं, मेरा परिवार 36 इलैक्शन लड़ा है। मैं अकेला 16 इलैक्शन लड़ चुका और लड़ा ही नहीं, 16 में से 12 मैं जीता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि जब यह हालात थे तो मैंने यह मुनासिब समझा कि हिन्दुस्तान में पांच बिरादरी तो हर जगह मिलती है, कोई जमाना हो, हजामत कराने के लिए उन दिनों में सेफ्टी रेजर नहीं हुआ करते थे, नाई की जरूरत पड़ा करती थी, नाई हर गांव में मिलते हैं। कोई जमाना हो, बरतन नहीं होते थे, उन दिनों में यह चीनी के, कांसे के बरतन नहीं हुआ करते थे, मिट्टी के बरतन बनते थे तो मिट्टी के बरतन बनाने के लिए कुम्हार जरूर हर गांव में मिलते हैं। इसी तरह से खाती की भी जरूरत पड़ती है, वह भी हर गाव में मिलता है। अगर पैदा हो बच्चा तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, रिश्ता करना हो तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, अगर मर जाय तो क्रिया कर्म के लिए ब्राह्मण की

जरूरत पड़ती है। हर गांव में एक ब्राह्मण मिलता है। उत्तरी भारत में 700 साल से राजपूतों का राज रहा है, राजपूतों के घर हर गांव में एक-दो, एक दो जरूर मिल जाते हैं। मैंने इन दोनों में यह समझा कि ब्राह्मण तो इन्दिरा को, राजीव को मान गए, हमारे साथ आते नहीं। मेरे 6 वजीर ब्राह्मण थे हरियाणा की कैबिनेट में। बाई-इलैक्शन हुए फरीदाबाद और सिरसा में, मुझे पांच फीसदी वोट मिले और इनका नाम इतना था, वी० पी० सिंह की वजह से राजपूत एक मैम्बर नहीं है, लेकिन मुझे 85 फीसदी वोट मिले। मैंने इस वजह से यह समझा कि एक राजपूत होना चाहिए, ताकि गरीब और बैकवर्ड को भी वोट मिल जायें और रिरिंग न हो। राजपूत के साथ होने से एक हवा चली सारे देश में और उस हवा के बलबूते पर···(व्यवधान)···स्पीकर साहब, आपको पता है कि इस हाउस में कुल 542 मैम्बर थे और 542 में पांच हुआ करते थे—गुजरात से सरदार पटेल, प्रो० एन० जी० रंगा आंध्र प्रदेश से, रनवीर पंजाब और हरियाणा के हुआ करते थे जो अभी तक जिन्दा हैं, एक श्री बदन सिंह बदाऊं डिस्ट्रिक्ट के हुआ करते थे और डा० राम सुभग सिंह बिहार के हुआ करते थे—और 538 बड़े-बड़े सेठ हुआ करते थे। इन्हें राजनीतिक तौर पर आगे लाया और इसका नतीजा यह निकला कि ये लोक सभा में बैठे हैं 319 एम० पी०। कभी पंचायत के सरपंच नहीं बन सके थे···(व्यवधान)···मेरे कहने का मतलब यह है कि रणनीति के तौर से हमने लीडर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाया था श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमने जो इलैक्शन मैनिफैस्टो बनाया था उस इलैक्शन मैनिफैस्टो के मुताबिक हमने एक फैसला यह भी किया था, एन० टी० आर० साहब हमारे साथ थे, एन० टी० आर० और मैंने कहा—जैसे किसान की जमीन पर सीलिंग है, तो इन बड़े-बड़े सेठों के खिलाफ इनकी शहरी जायदाद पर सीलिंग क्यों न हो। यह भी हमने किया।···(व्यवधान)···अम्बानी को शक्ल से नहीं जानता हूं···(व्यवधान)···मैं तो गोयन्का को जानता हूं··· (व्यवधान)···हमने इलैक्शन मैनिफैस्टो बनाया और उस इलैक्शन मैनिफैस्टो के मुताबिक हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं। एक चीज को मानना पड़ेगा कि इलैक्शन मैनिफैस्टो पर हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने कुछ अमल किया और सारे सैक्रेटेरिएट में एक सर्कूलर जारी कर दिया कि कोई भी फैसला करने से पहले यह सोच लेना कि हमने वायदा क्या किया है। अब उस इलैक्शन मैनिफैस्टो के ऊपर मेरे बहुत से साथी दो बातें बहुत उछाल रहे हैं। उस इलैक्शन मैनिफैस्टो में केवल हमारे में ही नहीं, कांग्रेस में और बी० जे० पी० में भी मण्डल कमीशन का जिक्र···(व्यवधान)···इलैक्शन मैनिफैस्टो में हमने यह माना था। मंडल कमीशन की बाबत मैं यह बता दूं कि 1977 को पांच दिसम्बर को मैं और श्री राम अवधेश सिंह जो उन दिनों एम० पी० हुआ करते थे, जो आज भी एम० पी० हैं, ने यहां सत्याग्रह किया था। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और सात-आठ सौ आदमी गिरफ्तार हुए थे। उसकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कोरम नहीं हो सका, वरना इनको क्रैडिट नहीं मिलता, क्रैडिट मिलता चौधरी चरण सिंह को। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इलैक्शन मैनिफैस्टो के मुताबिक मंडल कमीशन का फैसला इन्होंने ईमानदारी से किया होता तो कुछ होता। मैं मण्डल कमीशन सब कमेटी का कंवीनर था, यह मामला दो दफा कैबिनेट में आया। मैंने कहा—तुम स्टेटों से राय ले लो और अच्छी तरह से पढ़ लो। इतना बड़ा पोथा राजीव ने नहीं पढ़ा और तुम पास करवाना चाह रहे हो। मैंने कहा—पढ़ा तो आपने भी नहीं होगा। मैं अभी तक यह यकीन करता हूं कि वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं। मुझे बीच में क्योंकि बोफोर्स की चर्चा चली और मुझे उस बोफोर्स का शिकार होना पड़ा। उसकी वजह से मुझे बर्खास्त कहूं या क्या कहूं, निकाला था। लेकिन उसके बाद मुझे पता लग गया कि बोफोर्स के सिलसिले में अखबार में एक खबर आई थी और उसके सम्बन्ध में मैंने चिट्ठी लिखी थी कि बोफोर्स की वजह से आपने मुझे निकाल दिया। लेकिन आज

तो मैं नहीं हिन्दुस्तान के अखबार कह रहे हैं और उसमें मैंने एक लेटर लिखा है, इनके नाम :

[अनुवाद]

1 विलिंगटन क्रिसेंट
नई दिल्ली-110004
7 सितम्बर, 1990

प्रिय प्रधान मन्त्री जी,

कुछ दिनों से मैं समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित की गई खबरों पर कोई प्रतिक्रिया अथवा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। फिर भी इस मामले में श्री अरुण नेहरू के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो खबरें छपी हैं उस बारे में अपने विचारों को व्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं.....

[हिन्दी]

ये बड़ी लम्बी-चौड़ी चिट्ठी है। मैंने ये चिटठी उनके पास भेजी कि अब तो अरुण नेहरू का नाम सारे अखबार ले रहे हैं, इसमें आपको कुछ करना चाहिए। इसके बाद मैंने एक और लेटर भी लिखा, उसके बाद उसका जवाब भी आया। जिसमें लिखा था :

[अनुवाद]

"प्रिय चौधरी देवी लाल जी,

मुझे 7 सितम्बर 1990 का आपका पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक 29-8-90 के 'इन्डीपेन्डेंट बम्बई' में प्रकाशित दस्तावेजों, जिसका उल्लेख आपके पत्र में था, समेत बोफोर्स हावईटजर सौदे की पूरी छानबीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी वचनबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।"

[हिन्दी]

मुझे पता नहीं ये लॉ क्या करता है? और क्या नहीं करता है। (व्यवधान) लेकिन मैं इस बोफोर्स को भी नहीं समझता। यहां ये चीजें भी आ रही हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हमने मेंडेट लिया और हमारे प्रधान मन्त्री एवं हमारे साथी कहते हैं बोफोर्स की वजह से मेंडेट मिला है। स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बोफोर्स में अगर जीते होते तो कर्नाटक में जीत जाते, आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल में जीत जाते. अगर कांग्रेस के खिलाफ मेंडेट महाराष्ट्र में होता तो दण्डवते जी कैसे जीत कर आ जाते। (व्यवधान) वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट की मेंडेट है। असल में जो हरियाणा की कारगुजारी है, यानी कि वहां की सरकार ने जो काम किए उस पर मेंडेट मिला है, इसमें शक नहीं है।

आपके सामने इलेक्शन मेनिफेस्टो है, लेकिन उस मेनिफेस्टो मे यह दर्ज नहीं है जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में यह फैसला हुआ कि जो 65 साल का बुजुर्ग है, इसमें गरीब और अमीर का सवाल

नहीं है, उसको समान पेंशन मिलेगा, चाहे वह कितना ही गरीब हो या अमीर हो। उस मेनिफेस्टो में यह नहीं है कि किसी गरीब हरिजन के बच्चा पैदा हो तो 15 दिन पहले उसे तीन सौ रुपए दे दिए जाएं, लेकिन हरियाणा में ऐसा भी है। हरियाणा में और भी बहुत-सी सहूलियतें दी गयीं। हरियाणा में जो उपलब्धियां थीं, जिन्होंने ये बयान की वे तो जीत गए, जिसका हमारे कर्नाटक वालों ने जिक्र किया। जब कर्नाटक में हमारी कान्फ्रेंस हुई थी, जिसमें शायद आप भी थे। उस कान्फ्रेंस में मैंने बंगलौर में ऐलान किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई तो हम हरियाणा की तरह यहां भी, जिसे मैं जेब खर्च कहता हूं, यह जेब खर्च 100 रु० महीना हम हर पढ़े-लिखे नौजवान को देंगे। मैंने जब वहां ये ऐलान किया कि हमारे हरियाणा की बुनियाद एक नवम्बर को रखी गई थी। एक नवम्बर को कैथल में चीनी मिल की बुनियाद के समय वहां मैंने सौ रुपए हर पढ़े-लिखे नौजवान को देना तय किया। आप हैरान होंगे कि उस समय हमारे बोमई साहब ने प्रेस के लोगों को यह खबर देने से रोक दिया। शाम को जब हम किसी के घर में खाना खाने के लिए गए तो बोमई साहब बोले कि साहब, हमें तो आपने मार दिया। मैंने कहा कि क्या कह दिया—उन्होंने कहा कि आपने यह कह दिया कि हम सौ रुपए जेब खर्च, बेकारी भत्ते का हर नौजवान को देंगे, इससे तो हमारे नौजवान बिगड़ जाएंगे।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने हमारी बात को दबाया वे तो हार गए और जिन्होंने हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाया वे जीत गए। ये हमारे शरद यादव जिनके पास पहले से कपड़ा नहीं हुआ करता था, वह कपड़ा मन्त्री बन गए। शरद यादव जी की जमानत जब्त हुई थी। (व्यवधान)

इसी तरह से और दूसरे बहुत से साथी हैं। (व्यवधान)

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है, मेरी जमानत कभी जब्त नहीं हुई। बदायूं में मात्र 30000 वोटों से हारा हूं।

श्री देवी लाल : मैं अमेठी की बात कर रहा हूं। स्पीकर साहब, आपके सामने भी लोग कितना असत्य बोलते हैं, अमेठी के बारे में किसी से भी पूछ लीजिए, राजीव साहब से पूछ लीजिए। (व्यवधान)

मैंने बदायूं का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

खैर मेरे कहने का मतलब यह है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों को नेकनीयती से लागू नहीं किया गया, यह बदनीयती से अनाउंसमेंट किया गया था ताकि मेरी 9 अगस्त की रैली फेल हो जाए और उसकी वजह से हिन्दुस्तान के गांव-गांव, गली-गली में झगड़े शुरू हो गए। मैं मण्डल कमीशन के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो मण्डल कमीशन के एक कदम और भी आगे जाना चाहता हूं। मण्डल कमीशन के अन्तर्गत आए हर व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी होना चाहिए कि बन हाउस, बन सर्विस। आज अगर एक बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति सर्विस में आ जाता है तो उसके परिवार के 5-5, 10-10 व्यक्ति सर्विस में आ जाते हैं और उसी बिरादरी के गरीब आदमी को सर्विस नहीं मिलती। इसलिए मैं तो यह भी चाहता हूं कि मण्डल कमीशन के साथ-साथ बन हाउस, बन सर्विस का नियम भी बनाया जाए, ताकि गरीब आदमियों को लाभ पहुंच सके। (व्यवधान)

श्री शरद यादव : अपने घर के बारे में भी बताइए, कितने लोग सर्विस में है।

श्री देवी लाल : मेरे घर में क्या, मेरे रिश्तेदारों में भी कोई गजेटिड अफसर नहीं, घर की डेफीनेशन मुझ से पूछते हैं, वह तो कायदे और कानून के मुताबिक डेफीनेशन होती है। मैं कहना चाहता हूं

कि हर घर में एक सर्विस होनी चाहिए, ताकि एक ही खानदान के, एक ही परिवार के लोग सर्विस में ज्यादा हिस्सेदारी न पा सकें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा साहब बैठ जाइए, यहां पर सवाल-जवाब नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे साथी इस देश में हिन्दू-मुस्लिम फसाद करवाकर उससे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राम जन्म भूमि का इशू उठा रहे हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर राम जन्म भूमि इनको इतनी प्यारी होती तो 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, तब इनको राम जन्म भूमि क्यों नहीं याद आई। 40 वर्ष तक कांग्रेस राज कर गई, तब इनको राम जन्म भूमि क्यों नहीं याद आई और साढ़े 4 साल तक राजीव जी राज कर गए, तब इनको राम जन्म भूमि क्यों नहीं याद आई। अब यह रथ यात्रा निकाल कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हैं। जब 319 गांवों के लोग लोकसभा में आ गए। गोपीचन्द भार्गव की जगह हुकमसिंह आ गए, चन्द्रभानु गुप्ता की जगह मुलायम सिंह यादव आ गए, ललित प्रसाद की जगह लालू प्रसाद आ गए, मोहन लाल सुखाड़िया की जगह भैरोंसिंह शेखावत आ गए, हितेन्द्र देसाई की जगह चिमन भाई पटेल आ गए। जब ये लोग आ गए तो मेरे साथियों ने सोचा कि अब तो हम मारे गए, हम कैसे आएंगे, कोई प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहां तो सब व्यापारियों की जमात है। इसका सुबूत इस बात से दूं कि राजस्थान में 17 व्यापारी देसी बनिए हैं, 2 सिंधी बनिए हैं और 3 पंजाबी बनिए है। मैं भैरोंसिंह शेखावत से पूछा करता हूं कि आपकी सरकार किसानों की सरकार तो नहीं है, तुम्हारे साथ 2 जाट एम० एल० ए० हैं, 3 गुजर एम० एल० ए० हैं, 8 राजपूत एम० एल० ए० हैं, तो इन 13 के भरोसे चलोगे या 35 के भरोसे। (व्यवधान) 35 के भरोसे नहीं चलना। (व्यवधान) यह जो मनोबैग की बात करते हैं, 10 लाख में हमारे लोगों को, वहां पर खरीदा गया है। राजस्थान में 10-10 लाख में हमारे आदमी खरीद लिए, इस बारे में मुझे बताइए। (व्यवधान)

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब किसान और गांव के मजदूर में पॉलिटीकली जागृति आ गई है तब इन्होंने पैसा चलाना शुरू कर दिया और इस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब दलील देते हैं कि मोरारजी की सरकार, चन्द्र शेखर प्रेसीडेंट थे, नहीं चल पायी और चौधरी चरण सिंह वाक-आउट कर गए। मैं इनको याद दिलाता हूं कि चौधरी चरण सिंह सिरसा गए थे। दो लाख की हाजरी वहां थी, इनको लगा कि जाट जीत जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले वाली बात न हो, हमें पहले ही तुजुर्बा हो गया है। अब हम कांग्रेस की मदद ले रहे हैं, हम कांग्रेस को मदद दे नहीं रहे। हम तो कांग्रेस की सरकार चलाते थे। ये मुफ्ती मुहम्मद सईद कांग्रेसी है, वो इन्द्र कुमार गुजराल कांग्रेसी है, मोटे-पोटे अरुण नेहरू और सत्यपाल मलिक चले गए, वे कांग्रेसी हैं।...(व्यवधान)...हमारे उन्नीकृष्णन भी कांग्रेसी थे। मैं कह रहा हूं कि हम कांग्रेस की सरकार चलाते थे अब कांग्रेस हमारी सरकार को चलाती है। मैं यह कह रहा हूं कि यदि चोर घर में घुस जाए तो पड़ौस में जहां भी लाठी मिले, आदमी लाठी लेकर आता है और कहता है कि चोर को मारो, चोर को मारो। मैं यह कह रहा हूं कि हमारी सरकार थोड़े दिनों की कारगुजारी नहीं, बल्कि हमने तो लोगों का माहौल बनाया है, लोगों में सुख, शान्ति और अमन पैदा हुआ है। उसको कायम रखने के लिए, हमारे जनता दल के मैनीफैस्टो को लागू करने के लिए हम चाहते हैं कि हाउस इस बारे में हमें समर्थन दे। ताकि कुछ लोग धर्म के नाम पर देश में चक्रवर्ती राज कायम न कर सकें। मैं यही आपके मार्फत कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने दो मन्त्रियों वाले मन्त्रिमण्डल द्वारा दिए गए भाषणों को सुना और उनकी बात सुनने के पश्चात्, विशेषकर उप प्रधान मन्त्री श्री देवी लाल जी के भाषण को सुनने के पश्चात् मुझे विश्वास हो गया है कि यह सरकार जितनी जल्द बर्खास्त होगी देश के हित में उतना ही अच्छा होगा।

महोदय, दो सदस्यों वाले इस तथाकथित मन्त्रिमण्डल जिसमें कि अभी विभागों की घोषणा भी नहीं की गई है, के बने रहने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। इनके बने रहने का अर्थ इस देश में संसदीय लोकतन्त्र का उपहास और पतन होगा। महोदय, यह सरकार राजनैतिक अनैतिकता, संवैधानिक अनौचित्य और इस देश के लोगों के साथ विश्वासघात के आधार पर बनी है।

महोदय, इस सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों ने पिछली सरकार द्वारा अधिनायकवादी ताकतों के सामने समर्पण से लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय हितों तथा धर्मनिरपेक्षता की तुलना में व्यक्तिगत स्वार्थ को वरीयता दी है। आडवाणी जी ने इसका उल्लेख किया था। प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि वे श्री वी० पी० सिंह की सरकार के कुशासन के परिणामों से देश को बचाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सही तरीके से शासन चलाने के उद्देश्य से कांग्रेस का समर्थन स्वीकार किया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि दूसरे प्रकार से ऐसा क्यों नहीं किया गया? इस संसद की एकमात्र सबसे बड़े दल को शासन चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का राजनैतिक साहस क्यों नहीं है और श्री चन्द्र शेखर तथा उनके समर्थकों ने कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने का निर्णय क्यों नहीं किया? उनके पास कार्य-संचालन हेतु बहुमत होना चाहिए। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री चन्द्र शेखर किस घोषणापत्र को लागू करेंगे? क्या वे राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणापत्र को लागू करेंगे जिसके आधार पर वे निर्वाचित हुए थे या वे कांग्रेस (ई०) के घोषणापत्र को लागू करेंगे जिसके आधार पर विगत आम चुनावों में उनका प्रतिद्वन्दी हार गया था? उन्हें इसका उत्तर अवश्य ही देना चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणापत्र में, मुझे विश्वास है जिसमें कि श्री चन्द्र शेखर का गुट भी शामिल था, कहा गया है :

> "राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है। यहां नेतृत्व की कमी है, चरित्रवान लोगों की कमी है, लोगों में विश्वास की कमी है। निरन्तर सत्तारूढ़ कांग्रेस (ई०) विशेषकर पिछले पांच वर्षों में राजीव गांधी की सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का अन्त हो गया है। राजीव गांधी की सरकार ने जोकि सहानुभूति के कारण सत्ता में आयी थी, एक निष्पक्ष सरकार का वायदा किया था लेकिन वह सरकार भ्रष्टाचार और अयोग्यता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है।"

अब ग्यारह महीनों के अन्दर ही उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं पुनः उद्धरण देता हूं :

> "राजीव गांधी जब सत्ता में आए उस समय दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में हजारों निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब पंजाब की स्थिति बिल्कुल विस्फोटक है। सबसे दुःखदायी बात यह है कि हिंसा की वारदातें देश के अन्य भागों में भी फैल गयी है। उनके सत्ता में आने के पश्चात् एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है जबकि देश के विभिन्न भागों में निर्दोष व्यक्तियों की हत्यायें न की गयी हो।"

कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर श्री चन्द्र शेखर ने यह निर्णय दिया था। अब उन्हें इस देश

के लोगों को बता देना चाहिए कि वे किस घोषणापत्र को और किस आधार पर लागू करेंगे। क्या उन्होंने जनता दल के घोषणापत्र को लागू नहीं किया है ? क्या अब वे इस देश के लोगों से यह कहते हैं कि निर्वाचित होते समय लोगों से उन्होंने जो वायदा किया था उसे लागू करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है ? क्या अब वे इस देश के लोगों से यह कहेंगे कि उनकी सरकार उनके संरक्षक कांग्रेस (ई०) की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करेगी ? उन्हें देश की जनता से यह कहना है। यही कारण है कि यह सरकार इस प्रकार से बनाई गई है। मैं कहता हूं कि यह और कुछ नहीं बल्कि पथभ्रष्टता है। यह एक ऐसी सरकार है जिसमें दो नेता हैं और इसमें कोई अवयव नहीं हैं तथा यह उन शक्तियों के संगठन की देन है जिनका प्रतिनिधित्व श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री राजीव गांधी और श्री चन्द्र शेखर कर रहे हैं। एक सप्ताह से देश की क्या स्थिति है ? स्वतन्त्रता के समय से इस प्रकार की स्थिति हमने नहीं देखी है। एक सप्ताह तक हमारे यहां सिर्फ प्रधान मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री ही हैं और कोई भी मन्त्रीमण्डल नहीं बन पाया है। एक सप्ताह तक इस देश में कोई भी वित्त मन्त्री, गृह मन्त्री अथवा विदेश मन्त्री नहीं हैं क्योंकि किसी भी तरह से श्री चन्द्र शेखर मन्त्री पद के लिए अपने दल के लोगों द्वारा किए गए दावे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। सीमा पार इतनी गम्भीर स्थिति है परन्तु देश में कोई रक्षा मन्त्री नहीं है।

महोदय, उनकी तथाकथित पार्टी के अन्दर की कठिनाइयों के अतिरिक्त उन्हें अपने समर्थकों के विरोध को नजरअन्दाज करते हुए उन लोगों की स्वीकृति भी लेनी है जो उनका बाहर से समर्थन कर रहे हैं। हमने देखा है कि श्री चन्द्र शेखर ने दुख के साथ इस बात को स्वीकार किया है जिसे हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है और उसका खण्डन नहीं किया गया है क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके साथ किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति ने, जिसे देश का विदेश मन्त्री बनाया जा सके दल-बदल नहीं किया है तो उन्होंने श्री गुजराल से सम्पर्क किया। मैं श्री गुजराल को बधाई देता हूं कि उन्होंने दल-बदल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने यह एक विचित्र बात देखी है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के सहयोग से सरकार बनाई जा रही है जिनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, जिन्हें जनादेश प्राप्त नहीं है और जिनका कोई बहुमत भी नहीं है। उस सरकार के सामने गम्भीर समस्या है। इसी प्रकार एक ऐसी पार्टी बनाई जा रही है जिसे इस देश की जनता ने निसंकोच ढंग से अस्वीकार कर दिया है। वह अस्वीकृत पार्टी और उसका नेता इस देश को चला रहा है।

देश के संविधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

प्रो० मिजिनलंग कामसन (बाह्य मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अस्वीकृत पार्टी बताया है। इससे पहले श्री मधु दण्डवते ने भी ऐसा ही कहा है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस पार्टी को देश के 40 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हैं जबकि जनता दल को 20 प्रतिशत से कम और भाजपा को 8 प्रतिशत मत प्राप्त हैं। किस आधार पर कांग्रेस आई अस्वीकृत पार्टी है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, दल-बदल से सम्बन्धित कानून देश का कोई सीधासादा सांविधिक कानून नहीं है। यह संविधान का अंग है। यह देश के आधार-भूत कानून का अंग है। जो

लोग बार-बार यह कह रहे हैं कि वे संविधान के दल-बदल कानून को अपनाकर देश के राजनैतिक जीवन को स्वच्छ करने, इसके दोषों को दूर करने और सदस्यों की खरीद-फरोख्त रोकने का प्रयास किया है, वे ही तुच्छ राजनैतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों की निर्लज्जतापूर्वक इस देश की सरकार बनाने में सहायता कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए उकसा रहे हैं। जिस चीज को कांग्रेस पार्टी जनादेश के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकी उसे वह जनादेश का उल्लंघन करके प्राप्त करना चाहती है। इसलिए उन्होंने इस देश के शासन के लिए कुछ दल-बदलने वाले सदस्यों को सहयोग दिया है।

श्री पी० चिदम्बरम : आज सुबह आपने विनिर्णय दिया है कि कोई भी विभाजन के विषय का उल्लेख नहीं करेगा। वह उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं राजनीति में आदान-प्रदान में विश्वास करता हूं। मेरा माननीय सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी से अनुरोध है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे कि मुझे उसी प्रकार का जवाब देना पड़े।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह दुर्भाग्य की ही नहीं बल्कि गम्भीर बात भी है कि सभा में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान प्रधान मन्त्री महोदय बोलने के बारे में सदस्यों को धमकी दे रहे हैं। प्रधान मन्त्री इसी तरह से व्यवहार करेंगे। सभा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का यही तरीका है। हर बार वह दूसरों को धमकी दे रहे हैं।

दल-बदल सम्बन्धी कानून देश के आधार-भूत कानून का अंग है। जब इस देश के लोग समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं, कि उड़ीसा के एक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि उनसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का दल छोड़ने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की पेशकश की गई है, तो हम क्या जवाब देंगे ? यह बात समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है और इसका खण्डन नहीं किया गया है। आज उस माननीय सदस्य ने पक्ष बदल लिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह यहां उपस्थित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैंने इसे समाचार-पत्रों में पढ़ा है। क्या कोई प्रतिवाद किया गया था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1979 में जब दल-बदल हुआ था और तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार गिरी थी तो श्री चन्द्र शेखर पार्टी के नेता और अध्यक्ष के रूप में केवल पार्टी और सरकार के भविष्य के बारे में ही नहीं बल्कि इस देश के संसदीय लोकतन्त्र के भविष्य के बारे में भी गम्भीर रूप से चिंतित थे। उस समय उन्होंने जो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अपनाया था मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

26 जुलाई, 19 9 को चन्द्रशेखर ने असन्तुष्ट जनता नेता से सरकार बनाने के लिए कहने के तत्कालीन राष्ट्रपति के निर्णय को, मैं उद्धृत करता हूं।

> "एक ऐसा असाधारण कार्य बताया जिसने दल-बदल को लाभकारी कार्य बना दिया है।
>
> उन्होंने राष्ट्रपति के निर्णय को 'असमान्य' बताया था तथा उन लोगों के लिए पुरस्कार समझा जा सकता है जिन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी थी।"

15 जुलाई, 1979 को श्री चन्द्रशेखर ने उन लोगों की कटु आलोचना की थी जिन्होंने उस समय त्यागपत्र दिया था :

"जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि असन्तुष्टों ने उस समय प्रहार किया है जब पार्टी में परेशानी है।" दूसरे वक्तव्य में उन्होंने टिप्पणी की थी "कि जिस अनुचित ढंग से दल-बदल किया गया है उससे राष्ट्र को आघात पहुंचा है।"

22 जुलाई को जारी वक्तव्य में श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि वह कांग्रेस (आई) को यह "याद" दिलाना चाहते हैं "कि इसका सत्तावादी ताकतों पर आधारित सरकार को समर्थन देना सरकार और पार्टी के हितों के विरुद्ध है।" उन्होंने जनता पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहित किया था "कि पार्टी के सामने जो चुनौती है उसका एकजुट होकर मुकाबला करें।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उस समय वह अपरिपक्व थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनका दूसरा वक्तव्य भी उद्धृत करता हूं :

"18 जुलाई को जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने दिल्ली में कहा था कि पार्टी में वर्तमान संकट किसी विचारधारा पर मतभेद होने के कारण पैदा नहीं हुआ है बल्कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिनकी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि वे उनके शिकार हो गए हैं।"

मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने उस समय कुछ मूल सिद्धान्तों का समर्थन किया था। जिस तरीके से अर्थात् धन के दुरुपयोग और जनादेश का उल्लघन करके लोकतन्त्रीय व्यवस्था को कमजोर बनाया गया था उस पर उन्होंने एतराज किया था।

मैं उनसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं क्या आज स्थिति में परिणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हुआ है? आज हर बार जब कभी ऐसी सरकारें बनती हैं तो यह कहना बड़ा आसान है कि मुझे पिछली सरकार के शासन के प्रभावों से देश को बचाना है। परन्तु इसके लिए क्या नीति बनाई गई है तथा कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं? इस सरकार की आर्थिक नीति क्या है? राम जन्म भूमि के बारे में इसकी नीति क्या है? विवादास्पद स्थान पर कार सेवा पुनः शुरू करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद के निर्णय के बारे में उनकी क्या नीति होगी? हम सरकार से यही जानना चाहते हैं।

4.00 म० प०

महोदय इस समय विद्यमान गम्भीर परिस्थिति के अलावा अन्य गम्भीर मसले भी हैं—अलगाववाद का खतरा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और आसाम में पृथकतावाद का खतरा, गम्भीर आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान में जहां सरकार बदलने के बाद कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता आ गयी है ऐसे में सीमा के उस पार से खतरा और ऐसे में जब राष्ट्र के सामने ऐसे गम्भीर संकट हों आज तक हमें यह मालूम ही नहीं कि इस सरकार के कार्यक्रम और नीतियां क्या है।

महोदय, बोफोर्स का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। जब बोफोर्स मामले की जांच-पड़ताल जैसे गम्भीर मसले पर बात हो उस

समय एक राष्ट्र के प्रधान मन्त्री को मजाक के तौर पर ही सही मजाक करना शोभा नहीं देता। इस तरह के मजाक को सुनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमने पाया कि स्विटजरलैंड की संघीय अदालत ने अपना निर्णय दे दिया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। हमें यह भी मालूम है कि स्वीडिश सरकार ने यह कहा है कि समय पूर्व किसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट किए जाने से आगे जानकारी मिलने की सम्भावना कम हो जाएगी और इससे स्वीडन में की जा रही आगे जांच पर भी असर पड़ेगा। जब तक कि सरकार यह सुनिश्चित न कर ले कि इससे जारी जांच पर और रिश्वत और भ्रष्टाचार के दोषी लोगों का पता लगाने के काम पर असर नहीं पड़ेगा तब तक मात्र जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है। अतः दस्तावेजों को मात्र सभा-पटल पर रखने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उपलब्ध कराए दस्तावेजों से मामले की आगे की जाने वाली जांच पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक और गम्भीर बात का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह कि किस प्रकार श्री चन्द्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी से सहायता प्राप्त करने का अपना विकल्प खुला रखा है। भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका आर्गेनाइजर के 15 नवम्बर के अंक में छपा है कि किस प्रकार मेरे अच्छे मित्र श्री मुरली देवरा को श्री चन्द्रशेखर और श्री राजीव गांधी की ओर से श्री आडवाणी को मिलने भेजा गया था जिससे कि श्री आडवाणी की सहायता से उनके द्वारा दल या वफादारी बदलने से जो कार्यवाही होनी हो वह न हो सके। गद्दी के लिए वे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांग सकते हैं। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान सरकार किस तरह बचाई गयी? किन लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने के लिए उनके पक्ष में मतदान किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्यों कांग्रेस (ई) ने जो पहले शेखावत मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करने के लिए बड़ी जोरदार मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके मित्र जनता दल (समाजवादी) से समर्थन प्राप्त करने के बाद अचानक अपनी उस मांग पर जोर देना बन्द कर दिया। यह सब बहुत ही स्पष्ट है। अतएव जिन खतरों का मैं उल्लेख कर चुका हूं उनके अलावा, राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है और जिसके बारे में हम सभी को जानकारी है वह है धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा उन्माद फैला कर जानबूझकर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरे में डालना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिन्दु राष्ट्र की खुले आम घोषणा करना।

श्री मदन लाल खुराना : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता को कभी इतना खतरा नहीं था जितना इसे आज है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है? महोदय, रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सरकार द्वारा यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि यह सब श्री वी० पी० सिंह और उनकी सरकार द्वारा स्थिति से सही तरह से न निबट पाने के कारण हुआ है। 6 दिसम्बर को फिर संकट की स्थिति हो गयी है। हम नहीं जानते उस दिन क्या होगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है लेकिन पर्याप्त संख्या में धमकियां दे दी गई और इससे देश में लोगों में असंतोष और बढ़ेगा। अतः इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन अब मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यदि श्री वी० पी० सिंह ने स्थिति को सही तरह से नहीं निपटाया तो उनका हल क्या है? उनके अनुसार स्थिति से कैसे निबटा जाना चाहिए और इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता कौनसा है? क्या 6 दिसम्बर को वह कार सेवा होने देंगे? मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

जिस प्रकार सार्वजनिक जीवन में वित्तीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना है उसी प्रकार हमें राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संघर्ष करना होगा। समान नीतियों और कार्यक्रमों के बिना लोगों और राजनैतिक दलों के बीच गठजोड़ से राष्ट्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। इस सरकार के पास न तो संवैधानिक और राजनैतिक अधिकार है और ना ही लोगों से जनादेश। इसे यहीं इसी समय हटा दिया जाना चाहिए और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस सरकार को गिरना ही है और इसके गिरने पर किसी को भी अफसोस नहीं होगा।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस आठ दिन पुरानी सरकार द्वारा प्राप्त किए जा रहे विश्वास के प्रस्ताव पर आज हमने विभिन्न दलों के नेताओं और प्रसिद्ध वक्ताओं को सुना। अतः मेरा विचार था कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वे किन्हीं मूलभूत नीतिगत मामलों या सिद्धान्तों पर कर रहे होंगे। हमने पिछले ग्यारह महीनों में गाली-गलौज और आरोपों आदि को सुना और संसद में विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों के प्रति राष्ट्र ने पहले ही अपनी धारणा बना ली है। जिस मूलभूत गलती के साथ श्री वी० पी० सिंह उनके दल, भारतीय जनता पार्टी, और संयुक्त वामपंथी मोर्चा ने कार्य शुरू किया वह आज फिर न केवल देखने में आयी अपितु माननीय श्री मधु दण्डवते और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दोहरायी भी गई। यह गलती पिछले चुनावों में दिए गए जनादेश के बारे में थी। यह गलती भी इस विश्वास में कि यह जनादेश कांग्रेस (ई) के विरुद्ध था। इस गलती के साथ उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया। यदि जनता ने किसी एक दल के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया होता तो यह कहा जा सकता था कि यह किसी एक दल के पक्ष में कांग्रेस के विरुद्ध दिया गया जनादेश है। लेकिन हुआ क्या? हालांकि लोगों ने कांग्रेस दल के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त की फिर भी हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया और परिणामों के तुरन्त बाद हमारे नेता ने कहा कि :

"हम निर्णय को स्वीकार करते हैं और हम सरकार बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उनके पास कोई चारा नहीं था।

श्री बसंत साठे : जरा ठहरिए। वास्तविकता यह है कि किसी भी मापदण्ड से यदि मापा जाए तब भी कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी अकेली पार्टी है। हम जनता के जनादेश की बात करते हैं। जनता के समर्थन का कोई भी पैमाना ले लीजिए। पहला पैमाना संख्या का होता है। संसद में विभिन्न दलों की संख्या पर विचार कीजिए। कांग्रेस के 195 सदस्य है। जनता दल के 143 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के 88 अथवा 86 सदस्य हैं और संयुक्त वामपंथी दलों के कुल मिलाकर 52 सदस्य हैं। कृपया देखिए, क्या उनमें से कोई भी अकेले यह दावा कर सकता है कि उन्हें इस देश अथवा देश का शासन चलाने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है? कोई भी यह नहीं कह सकता।

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं। क्या उन्होंने पिछली जनता पार्टी को पसन्द किया था जहां जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और मोरारजी भाई के नेतृत्व में अन्य सभी दलों ने एक साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी, उनके पास एक साझा चुनाव घोषणा पत्र था, लोगों से जनादेश देने के लिए कहा गया था और लोगों ने उस पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया था। क्या इन विभिन्न पार्टियों ने लोगों को बताया था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम एक मिली-जुली सरकार बनाएंगे और हम कांग्रेस के खिलाफ आपको एक स्थायी सरकार देंगे? उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अपने-अपने चुनाव घोषणापत्र थे और वे उनके अलग-अलग चुनाव घोषणापत्रों के आधार पर समर्थन देने के लिए

कह रहे थे। तब वे कैसे कह सकते हैं कि यह कांग्रेस के खिलाफ उनके पक्ष में जनादेश था ? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सामूहिक रूप से मत देने के लिए किस प्रकार कहा है।

इसीलिए अब क्या हुआ ? लोगों का निर्णय था कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया गया है। लेकिन, कांग्रेस अभी भी अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। यह एक मानदण्ड है जो इस सभा में सदस्यों की संख्या से सम्बन्धित है।

ठीक है, अब एक अन्य मानदण्ड को लीजिए। मतदाताओं द्वारा विभिन्न पार्टियों को दिए गए मतों के प्रतिशत को लीजिए। इस तथ्य के बावजूद कि हमें लगभग आधे से थोड़ी कम सीटें मिलीं—मतों का प्रतिशत भी 42 से अधिक था—जोकि सबसे अधिक तथा किसी अन्य दल को मिले प्रतिशत मतों से अधिक था। जनता दल को 18 प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी को 7 प्रतिशत से थोड़े अधिक मत मिले और संयुक्त वामपंथी दलों को 4 प्रतिशत से कम मत मिले। इस पर भी वे कहते है कि यह जनादेश उनके पक्ष में है। यह सच्चाई की विडम्बना है।

इस पर भी हमने सोचा, ठीक है कि लोगों ने हमें स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। हमारे नेता ने कहा, हम इसे स्वीकार करते हैं और हम इस निर्णय को मानते हैं और हम किसी को भी सरकार बनाने का अवसर देंगे। हमने यह भी वायदा किया था कि जो भी सरकार बनाए, स्थाई सरकार के हित में, आगामी पांच वर्षों के लिए हम रचनात्मक सहयोग देंगे। हमने रचनात्मक सहयोग की बात की थी। जब तक कि आप संविधान के ढांचे और उसकी प्रस्तावना तथा प्रस्तावना में दिए गए सिद्धान्तों के अंदर कार्य करेंगे। हमने केवल यही शर्त रखी थी। इसके बावजूद, इन दोनों दलों की बैसाखियों के समर्थन से चलने वाली सरकार के गत ग्यारह महीनों के दौरान उसका कार्यनिष्पादन किस प्रकार का रहा है ? इन ग्यारह महीनों में इस सरकार ने यथार्थ में राष्ट्र को घोर विपत्ति और अराजकता के कगार पर ला दिया है। यदि कोई भविष्यवक्ता रहा है, तो वह श्री वी० पी० सिंह और प्रो० मधु दण्डवते रहे हैं। श्री वी० पी० सिंह ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि यदि कभी मैं प्रधान मन्त्री बना—क्योंकि इससे पहले उन्होंने इसका विरोध किया था और दूरदर्शन न्यूजट्रेक और सभी को बताया था कि वह प्रधान मन्त्री नहीं बनेंगे, बार-बार यह प्रश्न मत कीजिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं प्रधान मन्त्री नही बनूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं प्रधान मन्त्री नहीं बनूंगा और अन्ततः जब उनसे यह पूछा गया था, मान लो आप प्रधान मन्त्री बने तो तब यह पूरी तरह से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

(व्यवधान)

महोदय, लोगों को यह महसूस होने दीजिए कि वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वह निष्कपट व्यक्ति हैं, वह निस्वार्थ व्यक्ति हैं और वह प्रधान मन्त्री का कोई पद बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन, उन्होंने स्वयं यह घोषणा की है, "यदि मैं प्रधान मन्त्री बना, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वह अब उसी प्रकार सिद्ध हुआ है। उन्होंने उसी तरह का कार्य किया है।"

महोदय, एक अन्य भविष्यवाणी माननीय श्री दण्डवते ने की थी। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि इस सरकार की तिजोरियां खाली हैं। (व्यवधान) उन्होंने उस उद्देश्य के लिए कार्य किया। यथार्थ में, इन ग्यारह महीनों में, तिजोरियों मे जो कुछ था, उन्होंने उसका अपव्यय किया और यह देखने का प्रयास किया था कि ये खाली हो जाए। यह बात इस तथ्य से साबित होती है कि विदेशी मुद्रा का भंडार 5,700 करोड़ रुपए से 3,400 करोड़ रुपए रह गया है। अब दिसम्बर के महीने में यह 2,000 करोड़

रुपए रह जाएगा। यह दो सप्ताह से अधिक नहीं चलेगा ऐसी उन्होंने अब यह घोषणा की है। ठीक है, आप अपव्यय कर सकते हैं। लेकिन, आप आम आदमी की मेहनत की कमाई का अपव्यय न कीजिए। आम आदमी अपनी पत्नी के गहने शायद सबसे अन्त में बेचेगा, अपनी पत्नी का सोना बेचेगा। चीन युद्ध के संकट के दौरान इस देश को मंगल सूत्र तक दिए गए थे और आप देश को दाव पर लगाने की घोषणा करने की गुस्ताखी करते रहे हैं, "यहां तक कि अब मैं उसे भी बेच दूंगा।" आज मैंने सोचा, माननीय श्री दण्डवते ने बोलते हुए···

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप कृपया एक मिनट मेरी बात सुनेंगे ?

श्री वसंत साठे : क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जहां तक हमारे मित्र श्री वसंत साठे के मुद्दे का सम्बन्ध है, इसी सभा में, मैंने पहले भी घोषणा की थी जोकि, विदेशी मुद्रा भण्डारों की बचत और उसे बढ़ाने के बारे में थी। हम इससे पहले विदेशों से आयातित सोने के रूप में 250 करोड़ रुपए मूल्य का सोना प्राप्त कर रहे थे। जो वास्तव में आभूषणों को निर्यात करना चाहते हैं, हम यह सोना उन्हें उपलब्ध करा रहे थे। हमने 250 करोड़ रुपए मूल्य के उस सोने का आयात करना बन्द कर दिया और हमने यह निर्णय लिया कि जो भी वास्तव में हमने तस्करी का सोना पकड़ा है, विदेशी सोना जो यहां लाया जाता है, उनकी बजाए वही सोना सुनारों को बेचा जाएगा। वह विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराया जाएगा और उसे अन्तर्राष्ट्रीय दर से थोड़ी सी ऊंची दर पर बेचा जाएगा। उसका उसके लिए उपयोग किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं श्री दण्डवते को, स्वयं को भूतलक्षी प्रभाव से सही करने का प्रयास करने का बुरा नहीं मानता। लेकिन, समाचारपत्रों में हमने जो पढ़ा वह यह था, "आप यह सोना भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बन्धित और सरकार से सम्बन्धित लोगों को बेच रहे हैं। हमने यह पढ़ा है। यदि आप अपनी बात को सही करना चाहते हैं, तो आप उसे भूतलक्षी प्रभाव से कर सकते हैं···

(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : देश से बाहर।

श्री वसन्त साठे : जी, इस देश में नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए देश के बाहर और यही बात कही गई थी। उद्देश्य यही था। जो भी हो, यह मेरा मुद्दा नहीं है। मैंने सोचा कि वह कम से कम इस देश के वित्त मन्त्री के नाते गत ग्यारह महीनों के दौरान उन्होंने जो कुछ किया है, वह उसकी महान् उपलब्धि के बारे में कुछ शब्द कहेंगे। लेकिन, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। कृपया देखिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बजट घाटे को बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया है और वह इसे घटाकर 7,000 करोड़ रुपए कर देंगे। आज के नवीनतम आंकड़े यह हैं कि यह घाटा 14,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। (**व्यवधान**) रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह 25,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। यह रहा है उनका कार्य निष्पादन। कृपया मूल्य ढांचे को देखिए। देश में हर चीज महंगी हो गई है। आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसे वह खरीद सकता है। चाहे वह खाद्य तेल, खाद्यान्न हो और चाहे कोई अन्य वस्तु ही क्यों न हो। आप कोई भी चीज लीजिए। उनके दाम आकाश को छू रहे हैं। आम आदमी

क्या करे ? मैंने बजट के सम्बन्ध में चर्चा के समय बोलते हुए पिछली बार यहां इसका उल्लेख किया था : श्री वी० पी० सिंह और दण्डवते जी ने सार्वजनिक रूप से यह वायदा किया था कि वे यह देखने के लिए ठोस उपाय करेंगे कि कीमतें कम हों। सामान्यत: सितम्बर-अक्तूबर के दौरान कीमतें कम हो जाया करती थीं। इस बार क्या हुआ है ? इस अवधि में भी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10.5 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक में 9.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है। भूतपूर्व सरकार आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चिन्तित नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : कीमतें नहीं गिरीं। वे गिर गए हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : यह स्वाभाविक है कि ऐसा होगा। (**व्यवधान**) कुछ ही महीनों पहले हमने देश में अशान्ति का वातावरण देखा तथा मूल्यों में वृद्धि होने के कारण आम आदमी को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए हमने देखा। इस योजना में हम क्या देखते हैं ? इसी बात से हमें अत्यधिक कष्ट होता है।

एक माननीय सदस्य : मण्डल आयोग।

श्री बसन्त साठे : माननीय श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली इस सरकार ने भावनात्मक तथा साम्प्रदायिक अलगाव की स्थिति में देश को पहुंचाने की सबसे घटिया और घातक राजनीतिक चाल चली थी जो शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है जिसमें कि जातिवाद तथा साम्प्रदायवाद—इन दोनों के आधार पर इस देश को विभाजित करने की धमकी दी गई। जिन्ना साहब ने इस देश को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। माननीय श्री वी० पी० सिंह ने इसे 4,000 में विभाजित करने का निर्णय कर लिया था। इस देश को उनकी यह एक भेंट है। आप इसे देखें तथा आज वह धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। इस देश को धर्म अथवा जन्म के आधार पर अथवा धार्मिक तत्व जिसे जाति कहा जाता है, के आधार पर विभाजित करने से अधिक और कौनसी बात साम्प्रदायिक तथा धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध हो सकती है। यदि आप इस देश को जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयत्न करते हैं, जो मनु ने हजारों वर्ष पूर्व किया था तब आप एक दूसरे मनु का रूप धारण करते हैं जो इस देश को पुन: जाति के आधार पर विभाजित करना चाहता है तथा इससे भी अधिक आप धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं तथा साम्प्रदायिक व्यक्ति बन जाते हैं।

महोदय, जरा विचार करें कि इस देश की युवा पीढ़ी को किस बात से कष्ट होता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास, आप भी जरा सोचिए। इस देश में गांधी जी के जमाने में एक इनसीडेंट चौरा चौरी का हुआ।

[अनुवाद]

देश के स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1921 में चौरी चौरा नाम से एक आंदोलन हुआ था तथा गांधी जी ने यह कहते हुए उस आंदोलन को वापस ले लिया था कि "इसमें कुछ गलत है। सम्भवत: हमने एक काफी बड़ी गलती की है।" उन्होंने वह आंदोलन वापस ले लिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू इस पर नाराज भी थे। (**व्यवधान**)

अब देखें कि यह भी एक नेता हैं। करीब 180 युवा बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। इस पर भी आप पर कोई असर नहीं हुआ। आप महसूस नहीं करते कि इसमें कुछ गलत है। आप उन्हें समझाने, उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं करते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, इन्होंने मेरा नाम लिया है। मैं कोई ऐसा क्वश्चन नहीं पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ इनसे जानकारी चाहता हूं। चूंकि वसन्त साठे जी महाराष्ट्र से आते हैं और हम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया, बहुत बड़ा पाप किया, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को राहत देने का काम किया, हम लोग देश के सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं, हम देश के दुश्मन थे जो यह किया। लेकिन आप बताइए कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्यों घोषणा की कि मण्डल कमीशन सिफारिश के मुताबिक हम रिजर्वेशन लागू करने जा रहे हैं। (व्यवधान) कर्नाटक की सरकार से दस महीने पहले बात हो गई है। राजीव गांधी जी ने जाकर जयललिता के साथ, ए०आई०ए०डी०एम०के० के साथ मद्रास में क्या कहा ? इन्होंने कहा कि मैं मण्डल कमीशन का पूरा सपोर्ट करता हूं, शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं लागू किया गया, इसका मैं विरोध करता हूं। राजीव जी मौजूद हैं, ये मण्डल कमीशन की सिफारिश का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं।

आप महाराष्ट्र के बारे में बताइए कि शरद पवार के सम्बन्ध में आपकी क्या धारणा है ? वह कास्टिस्ट हैं या सैकुलर हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सुबह हम इस बात पर सहमत हो गए थे कि चर्चा शायद समाप्त हो जाए तथा प्रधान मन्त्री जी 3.30 बजे उत्तर दे देंगे। अब मैं देख रहा हूं कि 4.00 बज चुके हैं तथा अनेक वक्ताओं ने अपने नाम दिए हैं। अतएव यदि सभा की सहमति हो तो इस पर चर्चा 6.00 बजे तक समाप्त की जा सकती है तथा प्रधान मन्त्री जी 6.00 बजे उत्तर दे सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तब 6.30 बजे अथवा 7 00 बजे मतदान किया जा सकता है। यदि सभा की सहमति हो तो मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे पांच अथवा छः मिनट में ही अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : 5.00 बजे तक चर्चा समाप्त की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम केवल कोशिश कर सकते हैं। यह सदस्यों पर निर्भर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, मैं आपका समय कम नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि श्री देवी लाल ने आपको काफी उचित उत्तर दिया है। यह बेहतर होगा कि आप कोई अन्य निर्वाचन क्षेत्र की तलाश करें क्योंकि

आपको वही निर्वाचन-क्षेत्र नहीं दिया जा रहा है। अतः मुझे उस प्रश्न पर सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सवाल गरीबों की मदद का नहीं है। सवाल नीयत का है जिससे आप डरते हो, आपकी नीयत में खोट है। इनकी यह नीयत दिख गई है।

[अनुवाद]

वोट पाने की यह एक सस्ती चाल है तथा सबसे खराब बात अभी हाल ही में साम्प्रदायिक दंगों में घटित हुई है। महोदय, मुझे आश्चर्य है कि हमारे वामपंथी दल जो यहां पर उपस्थित हैं तथा जो अभी तक ग्यारह महीनों से हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी निष्क्रिय योगदान रहा है। हर समय वे जब चिल्ला रहे थे तथा सरकार का समर्थन कर रहे थे, वे हमारे खिलाफ भी चीख-चिल्ला रहे थे। अब क्या हो गया है तथा आज सुबह ही हमने आपको देखा था'''(व्यवधान) जैसाकि मैंने शुरू में ही कहा था कि दुर्भाग्य से जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सब कांग्रेस के खिलाफ कहा गया है। जहां तक विकास, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के लिए जनता के कल्याण से सम्बन्धित प्रगतिशील नीतियों तथा सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस दल की नीतियों, जनता पार्टी की नीतियों तथा वामपंथी दलों की नीतियों में कोई मूलभूत अन्तर है? मैं समझ सकता हूं कि कुछेक मुद्दे विशेषकर अनुच्छेद 370, तथा राम जन्म भूमि इत्यादि मुद्दे के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी में मतभेद है। महोदय, दुर्भाग्य से, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सम्बन्ध है, उनका इतिहास औरंगजेब के साथ ही रुक जाता है'' (व्यवधान) यदि आप अपने किसी महिला वक्ता के हाल ही के कैसेट को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहास का अन्त औरंगजेब के साथ ही हो गया। अतएव, औरंगजेब तथा उसके पूर्वजों द्वारा जो कुछ भी किया गया था, अब उस सबको 300 अथवा 400 वर्ष उपरांत ठीक किया जाना चाहिए। महोदय, संक्षेप में, यही उनका दर्शनशास्त्र है (व्यवधान) यदि वे इस देश को विभाजित करना चाहते हैं तब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या इस आंदोलन से वह देश में किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार देंगे? क्या वे इस आंदोलन से जनता के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं अथवा खाद्य तेलों में कोई वृद्धि करने जा रहे हैं? आप जनता को किसलिए उकसा रहे हैं? किस उद्देश्य के लिए आप संघर्ष की प्रेरणा दे रहे हैं? भावना में आकर धर्म के नाम पर आप देश की भावना तथा सभ्यता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। "सम्पूर्ण वसुधा एक कुटुम्ब है" वह इसकी बात कर रहे हैं। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि जो व्यक्ति हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति की बात करते हैं, वे पूरी तरह से स्वामी विवेकानन्द द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धांतों, मूलभूत आदर्शों के खिलाफ जा रहे हैं। विवेकानन्द को पढ़िए तो आप जान जाएंगे कि उन्होंने इस्लाम और हिन्दुत्व का किस प्रकार प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि हिन्दुत्व की आत्मा और इस्लाम के शरीर का सम्मिश्रण होना चाहिए'''(व्यवधान) ये लोग कभी-कभी विवेकानन्द की बात करते हैं लेकिन, जब ऐसा करना उनके अनुकूल नहीं होता तो वे उन्हें भूल जाते हैं। वे गांधी की शपथ लेने को तैयार रहते हैं, राजघाट जाते हैं लेकिन, आजकल उन्होंने अपने नवीनतम भाषणों में कहा है कि गांधी भी अप्रासंगिक हैं।

[हिन्दी]

गांधी ने तो तबाही कर दी।

[अनुवाद]

उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : राजीव गांधी ने, गांधी ने नहीं ।

श्री बसंत साठे : नहीं-नहीं, महात्मा गांधी की बात कही थी (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

मैं माननीय महिला सदस्या का नाम लेना नहीं चाहता ।

[हिन्दी]

सुन लो, यह तुम्हारी ही महिला की, तुम्हारे ही आदमी की है कि तबाह कर दिया गांधी ने । आप सुन लीजिए, बी०जे०पी० के आदमी की है ।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : बी०जे०पी० की किसकी है ? नाम बताइए । नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उमा भारती की है ।

श्री राजवीर सिंह : अगर उमा भारती की नहीं हुई तो ? आप गलतबयानी कर रहे हैं ।

श्री मदन लाल खुराना : हम तो महात्मा गांधी का राम राज्य ला रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मैं अपने वामपंथी मित्रों से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा विचित्र गठबन्धन किया है । अब वे कौन सी नीति चलाना चाहते हैं ? आज प्रश्न है : लोग क्या चाहते थे ? उन्होंने पांच वर्षों के लिए अपना फैसला दिया था । उन्होंने कहा : "हम चाहते हैं कि आप सब विभिन्न पार्टियों के नेता हमें एक स्थिर सरकार दें जो हमारी आर्थिक समस्याओं तथा रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करे ।" इस देश के लोग कम से कम इतना तो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से चाहते हैं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

फर्क इतना ही हुआ है कि वाजपेयी जी ने यह कहा कि राम की सेना लंका में रावण को हटाने के लिए गई, इनकी सेना रथयात्रा लेकर उल्टी अयोध्या गई । अयोध्या का नाम ही है, जहां पर युद्ध नहीं होता है और ये पहले लोग हैं, अपनी धरती के पूत, नये बन्दर जो उल्टे पत्थर लेकर अयोध्या पहुंचे, वहां आग लगाने के लिए । राम ने यह नहीं किया था ।

श्री राजवीर सिंह : इतिहास आपको याद नहीं है । यह 16 बार हो चुका है, वहां यह सत्रहवीं बार हुआ है, आप इतिहास पढ़ें । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों द्वारा चुने गए संसद सदस्यों का यह पहला

कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोगों को एक स्थिर सरकार मिले, एक ऐसी सरकार जो न सिर्फ अपने चुनाव घोषणापत्र में निहित प्रगतिशील नीतियों में विश्वास रखती हो बल्कि संविधान की प्रस्तावना में भी विश्वास रखती हो और इसलिए, एक सरकार पांच वर्षों की अवधि तक सुनिश्चित की जाए। यह तो कांग्रेस द्वारा प्रदर्शित दूरदर्शिता है कि हमने दूर रहने की बात नहीं की है। हमने शुरू से ही कहा था कि वी० पी० सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वह हमारे आदमी थे जिन पर हमें बहुत विश्वास था।

[हिन्दी]

"जिसे दोस्त माना, वह दोस्त ही दगा दे गया, तो किसके पास जाएं।"

[अनुवाद]

हमने उन्हें दूसरे स्थान पर रखा था। उन जैसे व्यक्ति के लिए हमारी बहुत अच्छी राय थी। लेकिन, उन्होंने 'ब्रूटस' की भूमिका अदा की। वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हुए जिन्हें वह मां कहते थे। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे अधिक कष्ट किससे हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ? मुझे इस बात से दुःख हुआ है कि इन दिनों में आपने इन्दिरा जी का नाम कभी नहीं लिया।

4.35 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप सभी महान नेताओं का नाम लेते हैं लेकिन, जिस महिला ने आपको मौजूदा स्थिति तक पहुंचाया और आपके लिए वस्तुतः सब कुछ किया, उन्होंने आपको सदस्यता दी, वास्तव में उन्होंने आपको सब कुछ दिया और आप उन्हें मां कहते थे, आपने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की उस बैठक को नहीं भूला हूं जिसमें आपने कहा था "राम और कृष्ण के बाद यदि कोई है, तो वह राजीव है और मैं उनके प्रति पूर्णतया समर्पित और वफादार हूं और उनके प्रति पूर्णतया वफादार और समर्पित रहूंगा।" आपके ये शब्द हैं लेकिन, बाद में क्या हुआ। आप ऐसे आदमी पर विश्वास करते हैं और आप सोचते हैं कि आप उसकी निष्ठा और ईमानदारी पर विश्वास करते हैं और वह आपसे विश्वासघात करता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है :

"अंकम् आरुह्य सुप्तं हि।
हत्वाकिम् नाम पौरुषम् ॥"

आपके कंधे पर कोई भरोसा करके सो जाए, तो उसकी हत्या कर दो, गला काट दो। उसमें क्या पौरुष है और क्या मैनलीनेस है।

[अनुवाद]

वी० पी० सिंह ने राजीव गांधी और हमारी पार्टी के साथ यह किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने ऐसा चरण सिंह के साथ किया था।

श्री वसंत साठे : नहीं, हमने ऐसा नहीं किया···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मेरे साथ जो किया, वह बताओ।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं। एक व्यक्ति की प्रकृति कभी नहीं बदलती। आपने इसका परिणाम भी देख लिया है। इन दिनों हम यही कह रहे थे कि यह सज्जन जो हमारे साथ थे और देवी लाल जी ने ठीक ही कहा—

[हिन्दी]

—कांग्रेस वाले ही तो चला रहे थे।···(**व्यवधान**)···हमने तो केवल इतना ही कहा—भाई, अब यह पागलपन से बचाओ देश को, देश झोंका जा रहा है पागलपन की आग में। इससे बचाओ और इसलिए इनसे छुट्टी कराओ तथा किसी भी दूसरे आदमी को चुन लो। मधु दण्डवते जी को चुन लेते, हम तो तैयार थे। हमने यह तो नहीं कहा था, हम यह कह रहे थे कि किसी को भी चुन लीजिए। होम मिनिस्टर, मुफ्ती मोहम्मद साहब बैठे हैं, उनको चुन लीजिए। आप जिसको चुनना चाहें, उनको चुन लीजिए, लेकिन इनसे छुट्टी दिलाओ। आप यदि इतना करते तो आप 145 के 145 बने रहते।

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : देवी लाल जी को चुन लेते। (**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : देवी लाल जी ने तो कहा था, मैं नहीं। उन्होंने आज भी कहा, मैं उतरने को तैयार था एक शर्त पर कि डिजोल्व करना चाहिए। इनकी चाहत यह कि ये लोग सारे अपने-अपने घर जायें। देवी लाल जी ने तो बाद में कहा कि ये तो सदस्य नहीं बने तो बेचारे कैसे आयेंगे। मुसीबत में डालने के लिए इन लोगों को यह किया गया। देश में आज भी हमारा यह कहना है कि स्थिर सरकार आए। हम कोई जानबूझ कर नहीं और पार्टी के लीडर ने कहा कि हमको कोई उतावलापन नहीं है, तमन्ना नहीं है गवर्नमेंट में जाने की। हमको मैनडेट मिलेगा तो आयेंगे। (**व्यवधान**)···इसमें कोई त्याग की बात नहीं है। इसमें कोई त्याग नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस मामले में बिल्कुल ईमानदार है। हम प्रारम्भ से ही यह कह रहे हैं कि स्वयं हमारे द्वारा सरकार बनाने का जनादेश हमें नहीं मिला इसलिए, हमारे द्वारा सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं है। जब भी लोग हमें यह जनादेश देंगे, तो हम अपना दायित्व निभाएंगे। लेकिन, आज हम यह नहीं चाहते कि देश साम्प्रदायिक अराजकता में डूब जाए। राष्ट्रपति ने भी एक सन्देश में यह कहा है और मैं राष्ट्रपति को उद्धृत करना नहीं चाहता। लेकिन, आज स्थिति यह है कि एक आदमी तो रथ यात्रा पर है जबकि दूसरा आदमी देश को जातीय हत्याकांड में झोंकना चाहता है। यह सही वातावरण नहीं है जिसके तहत स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें। राष्ट्रपति ने स्वयं भी अपने सन्देश में यही कहा है।

इसलिए, आज स्थिति यह है कि हमें एक स्थाई और प्रगतिशील सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इस सम्बन्ध में चन्द्रशेखर जी को ही नीति का अनुसरण करना है। यह उन

द्वारा जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वीकृत नीति भी हो सकती है। इस बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है और वह जो कुछ करते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह पूर्णतया स्वतन्त्र हैं।

आप में जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो इस नीति के आधार पर जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे, आप अब अपने मत पर पुनर्विचार क्यों नहीं करते ? आपका मुद्दा बहुत छोटा है। आप मुख्य रूप से अयोध्या की समस्या से चिन्तित हैं और यदि इसका समाधान हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि आपकी कोई अन्य समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

आडवाणी जी फिर तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।

[अनुवाद]

फिर, वामपंथी दलों का क्या कहना है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि वामपंथी दल यह कभी भी नहीं चाहेगा कि उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर चन्द्र शेखर जी के नेतृत्व में जनता पार्टी उन नीतियों के आधार पर एक स्थाई और प्रगतिशील सरकार देती है, जो वामपंथियों की नीतियों के अनुसार ही है, तो वे उनका समर्थन क्यों नहीं करेंगे ? अगर इस सम्बन्ध में उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, तो उन्हें उनका समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए ? कि आप हमें अपशब्द कहना चाहते है। आपकी नीति केवल कांग्रेस विरोधी है। हम सरकार नहीं बना रहे। हम इस सबसे बाहर रहकर खुश हैं। आप समर्थन दीजिए, साथ आइए और ऐसा कीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें एक स्थाई सरकार दीजिए और इस देश को पागलपन से बचाइए। हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं। इस देश के लोग, विशेषकर युवा वर्ग यही चाहते हैं।

हम इसीलिए इस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं आपका और पूरी सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगी क्योंकि शायद संसद में मेरा यह अन्तिम भाषण हो।

हमारा दल इस विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध क्यों मत दे रहा है, इस पर सदन के समक्ष मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यह सरकार बेईमान दलबदलुओं द्वारा बनाई गई है और प्रस्तावित सरकार के पास जनता का जनादेश नहीं है।

हमने एक संशोधन दिया था जिसे अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेकानुसार खारिज कर दिया। फिर भी, मैं इसे पढ़ देती हूं। 'मन्त्री परिषद' के स्थान पर 'प्रस्तावित मन्त्री परिषद' शब्द होना चाहिए।

सात नवम्बर को श्री वी० पी० सिंह सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने वाले दिन मैं अत्यधिक भावुक थी और आप स्वयं और बड़ी संख्या में सदस्यगण चिंतित थे और आप सबने मुझसे कई बार भावुक न होने की अपील की थी।

मैं उस समय उन स्नेहपूर्ण अपीलों का उत्तर नहीं दे सकी जिसके लिए मैं अब क्षमा मांगती हूं।

महोदय, आज मैं हर सम्भव शांत रहना चाहती हूं और विभिन्न राजनैतिक दलों के जो नेता यहां उपस्थित हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। महोदय, आज मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर देने की बजाए कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहले के कुछ प्रश्न प्रस्तावित प्रधान मन्त्री से पूछना चाहती हूं।

मुझे किसी से एक किस्से के बारे में पता चला है। मैं समझती हूं जिनसे यह सम्बन्धित है, उन्हें इसके विषय में ज्ञान होगा। यदि जो कुछ मैंने सुना है, वह सही नहीं है तो मैं आशा करती हूं कि प्रस्तावित प्रधान मन्त्री अपने उत्तर में इसको स्पष्ट करेंगे। आप में से कुछ को यह जानकारी होगी कि बिहार के स्वर्गीय बचछावन सिंह की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई। वह शहीद भगत सिंह की हिन्दुस्तान रिपबलिकन आर्मी के सदस्य थे और उन्होंने 17 साल ब्रिटिश राज के दौरान डण्डा बेरी में बेड़ियों में गुजारे। उनकी मृत्यु से पूर्व श्री चन्द्र शेखर जी उनसे मिलने गए। श्री बचछावन ने उनसे अपील की :

[हिन्दी]

"चन्द्र शेखर जी, जो भी हो पार्टी को मत तोड़ो।"

[अनुवाद]

जो भी हो पार्टी को मत तोड़ो, वर्तमान प्रधान मन्त्री ने उत्तर दिया :

[हिन्दी]

पार्टी ने मुझे क्या दिया, जिसके लिए मैं उसको एक साथ रखूंगा।

[अनुवाद]

पार्टी ने मुझे क्या दिया जिसके लिए मैं उसको एक साथ रखूंगा। क्या यह सत्य है ?

दूसरा प्रश्न वही है, जो मैंने सात नवम्बर को पूछा था। मैं उस दिन अत्यधिक उत्तेजित थी। अतः, शोर-शराबे में इसे सुना नहीं जा सका। यदि प्रस्तावित प्रधान मन्त्री सरकार की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में असफल होने पर इतना चिंतित थे, तो वह उस समय सभी वामपंथी दलों द्वारा बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध चलाए जा रहे आन्दोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हुए और इसे मजबूत करके गरीबों की मदद क्यों नहीं की ?

मेरा अगला प्रश्न न केवल उनसे, अपितु कुछ अन्य से भी सम्बन्धित है। बंगाली दैनिक आजकल में यह छपा था कि उस समय के मछली बाजार में, जिसे यहां सदस्यों की खरीद-फरोख्त का बाजार कहा जाता है, कुछ माननीय महानुभावों को खरीदने के 5 करोड़ रुपए प्रति सदस्य तक की लेनदारी हुई। इस समाचार का अभी तक खण्डन नहीं किया गया है। इस मामले में सत्य क्या है और क्या कोई बता सकता है "कि अब यह कीमत कितनी है।" मेरा चन्द्र शेखर जी से चौथा प्रश्न यह है कि क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक नीति को त्याग दिया जाएगा ? क्या वह आत्म-निर्भरता पर आधारित नीति अपनाएंगे जिसमें हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकना और सार्वजनिक क्षेत्र को सम्मानपूर्वक स्थान देना शामिल हो ? यह

ठीक है कि पूर्ववर्ती सरकार कीमतों में वृद्धि को रोकने में असफल रही है, क्या श्री चन्द्र शेखर इस स्थिति में सुधार की आशा करते हैं ?

आखिर में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उनकी क्या नीति है ?

एक अन्य प्रश्न बोफोर्स मामले के बारे में कार्यवाही से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में पहले ही बहुत विचार-विमर्श हो चुका है। मैं दुबारा उसका उल्लेख नहीं करना चाहती। मेरी राष्ट्र से यह अपील है कि मेरे द्वारा उठाई गई बातों पर ध्यान दिया जाए।

अब एक प्रश्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी से है। मैं इससे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि जो कुछ मैं कह रही हूं, उस सम्बन्ध में मैंने न तो कभी श्री वी० पी० सिंह से चर्चा ही की है और न ही मैंने उनसे इस सम्बन्ध में कभी जानने की कोशिश की है। यह मेरा अपना अनुमान है। दिनांक 29 अक्टूबर को कलकत्ता में मेरे दल द्वारा साम्प्रदायिक एकता पर आयोजित पदयात्रा की समाप्ति पर बेलियाघाट में एक सार्वजनिक सभा में मेरा एक लिखित भाषण पढ़ा गया क्योंकि उस समय मेरी तबियत ठीक नहीं थी और मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी। बेलियाघाट वही जगह है जहां 1947 में गांधी जी ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उपवास किया था। उस छात्रों के विशाल प्रदर्शन में मैंने भी भाग लिया था जो, उनके समर्थन के लिए बेलियाघाट गया था। कई बंगाली समाचारपत्रों ने मेरे भाषण के कुछ भाग को उद्धृत किया जिसमें मैंने विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह कहा था कि विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं की दिल्ली में हुई बैठक में अजीब से प्रश्न उठाए गए कि राम मन्दिर के निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए तीन सौ करोड़ रुपए का वितरण किस प्रकार किया गया। विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने यह आश्वासन देकर कि भविष्य में धन के प्रश्न पर सन्तोषजनक हल निकाल लिया जाएगा, उत्तेजित कार्यकर्त्ताओं को शांत किया। वर्तमान में विश्व हिन्दू परिषद को नजरअन्दाज करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के झण्डे और चुनाव चिह्न के साथ रथ-यात्रा निकाल कर दिखाई गई ढिठाई के लिए, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद 16 अक्टूबर को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निवास पर पांच शंकराचार्यों को दूरदर्शन पर दिखाया गया। यह पता चला है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह सब राष्ट्र के हित में श्री आडवाणी जी से रथयात्रा रोक देने के लिए संयुक्त अपील करेंगे। लेकिन, दूसरे ही दिन संचार माध्यमों ने यह खबर दी की वार्ता असफल रही; शंकराचार्य अपने-अपने स्थानों को वापिस जा रहे हैं। फिर हमें पता चला कि उस दिन श्री आडवाणी जी भी दिल्ली में थे—मुझे विश्वास है कि श्री आडवाणी जी को हमारी बातचीत याद होगी और भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने एक स्वर में बोलना शुरू कर दिया। अतः, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आडवाणी जी की उपस्थिति मात्र संयोगवश थी या यह शंकराचार्यों के प्रयास को असफल करने के लिए थी ? बड़ी धन राशियों के निस्तारण में क्या कोई ब्लैकमेल किया जा रहा था ? मैंने इस प्रश्न को अपने भाषण में उठाया था और यह कलकत्ता में प्रेस में छपा था किन्तु न तो इसका उत्तर दिया गया है और न ही मेरी इस टिप्पणी का खण्डन किया गया है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को उत्तर देने में जो कठिनाई हो रही है उसे मैं अच्छी तरह समझती हूं क्योंकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि मन्दिर-मस्जिद मसले का कोई स्वीकार्य हल निकल आएगा। मैं स्वयं, मेरा दल और मेरे विचार में हमारे देश के सभी शान्तिप्रिय लोग चाहते हैं कि वार्ता से कोई समाधान निकल आए या न्यायालय के निर्णय को

माना जाए। इसी चिन्ता के कारण मैं श्री आडवाणी जी से निवेदन करूंगी कि वे या तो इसकी पुष्टि करें अथवा इसका विरोध करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं खण्डन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब कुछ प्रश्न विपक्ष के भूतपूर्व नेता, राजीव गांधी जी से।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पूर्णतया खण्डन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नई, छोटी-सी सरकार को चलाने वाले पिछली सीट पर बैठे हुए सबसे शक्तिशाली चालक, विपक्ष के भूतपूर्व नेता राजीव गांधी जी। 7 नवम्बर को उन्होंने इस बात का रोना रोया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की ग्यारह महीने पुरानी सरकार की असफलता के कारण आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के दौरान कई जवान जानें गयीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मौतें शोक मनाए जाने योग्य हैं और दो या तीन अक्तूबर की संसदीय कार्यवाही में आप पाएंगे कि मैंने ही सदन में सर्वप्रथम इन दुखद मौतों के विषय को उठाया था और सभी दलों से अपील की थी कि वे विद्यार्थियों को, चाहे वे आरक्षण के पक्ष में हो या विरोध में, हिंसा का रास्ता त्यागने के लिए एक संयुक्त अपील जारी करें। मैंने सरकार से भी अपील की थी कि वे आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के नेताओं से बातचीत करें। दुर्भाग्य से, इस बेबस आत्मा की अपील की ओर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया।

किन्तु क्या मैं राजीव जी से यह पूछ सकती हूं कि यह आलोचना करते समय क्या उन्हें एक बार भी यह याद आया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के चालीस वर्षों में, जब अधिकतर समय उन्हीं का दल सत्ता में रहा, पुलिस की गोली से कितनी जानें गई थीं ?

उनसे एक अन्य प्रश्न है, वर्तमान प्रधान मन्त्री से पहले ही इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या यह उन्हीं की सरकार नहीं थी जिसने सत्ता में आने के तुरन्त बाद बड़ी-बड़ी नैतिक बातें करते हुए दल-बदल विरोधी कानून पारित किया था ? गणित के प्रश्न को अलग रखते हुए, 7 नवम्बर और उसके बाद 'आया राम गया राम' के व्यापार में शामिल होने वाले लोगों की नैतिकता के बारे में उन्हें क्या कहना है ? इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी धनराशि का मामला था। क्या मैं पूछ सकती हूं कि यह धन कहां से आया ? क्या यह वह धन नहीं है जो काला-बाजारी करने वाले बड़े व्यापारियों ने आम लोगों से लूटा है ?

अन्त में, राजीव जी से एक और प्रश्न है। 7 नवम्बर की चर्चा में अपने अनगिनत हस्तक्षेपों के दौरान मैंने पहले भी उनसे पूछा था कि क्या वे अपने यशस्वी नाना की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को भूल गए हैं ? क्या इस सत्य के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण है कि पिछले चुनावों में फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र जहां से सी० पी० आई० के श्री मित्र सेन निर्वाचित हुए थे, क्या वहां कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार के पक्ष में भाजपा के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं ले लिया था ? क्या उन्होंने इसका विरोध किया या या प्रोत्साहित किया था ?

5.00 अ० प०

क्या यह भी सच नहीं है कि इसी सदन में जब मैंने द्वारकापीठ के शंकराचार्य को गिरफ्तार किए जाने और पूर्वी दिल्ली के एक कांग्रेस (ई) नेता, जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद के संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया था, की निन्दा किए जाने की मांग की थी, तो साठे जी ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव

पारित कर दिया था और श्री कुरियन के विरुद्ध मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव अभी तक लम्बित पड़ा है। और क्या मैं पूरे सद्भाव के साथ उनसे यह अपील कर सकती हूं कि वे अपने दल का नेतृत्व धर्म-निरपेक्षता की उस भावना से करें जिसकी ओर आपका दल पहले ही न केवल शब्दों में वरन् अपने कार्यों से भी वचनबद्ध है, जिसका अनुसरण पण्डित जी ने किया था, जिनकी समाधि पर अभी परसों ही राजीव जी और कई अन्यों ने श्रद्धासुमन चढ़ाए थे ?

अब एक प्रश्न अनेक प्रसिद्ध अखबारों से जिन्होंने पूरी सहृदयता से असामान्य रूप से यह प्रचार किया कि 7 नवम्बर को गीता मुखर्जी राजीव जी के पास भागी गईं, रो पड़ीं और राजीव जी ने उन्हें सान्त्वना दी। शायद मुझे इस प्रचार के लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। किन्तु क्या किसी ने मुझसे यह पूछा कि मुद्दा क्या था ? क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा, क्या मैं उन्हें और सदन को सूचित कर सकती हूं कि मैं उनके पास भाग कर क्यों गई थी ?

अब जब उनका दल इस छोटी सी सरकार का मुख्य सहारा होगा, मैं उनसे यह जानना चाहती थी कि क्या वे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के कार्यालय के एक बड़े अफसर को दण्डित करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे, वह अफसर अब मण्डल रिपोर्ट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की नीति के कारण स्पष्टतया उनके विरुद्ध हो गए हैं। उस अविनीत अफसर ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक छोटी गरीब बच्ची की मदद करने के लिए, जिसको आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय प्रतिरोपण आपरेशन की अतिशीघ्र आवश्यकता थी, सरकार से मदद की मेरी अपील को तत्कालीन प्रधान मन्त्री तक पहुंचाने से इन्कार कर दिया था, जबकि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने पहले इसके लिए अपनी सहमति दी थी। इस व्यक्ति ने तीन बार कहा कि आवश्यक कागजात नहीं मिल रहे, जबकि मैंने उन्हें पहले ही जमा करा दिया था। 7 नवम्बर के उस निर्णायक दिन मैं स्वयं उनके कार्यालय गई और स्वयं उन्हें वे आवश्यक कागजात दिए थे। उनके वायदे के बावजूद, पिछली सरकार के गिरने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं राजीव जी से यह जानना चाहती थी कि क्या ऐसे अफसर को दण्ड दिया जाएगा जो केवल राजनैतिक विद्वेष के कारण एक छोटी बच्ची की जिन्दगी से खेल गया ? मैंने राजीव जी को उस अफसर के नाम और पद की जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि स्वय राजीव जी मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे।

यदि मैं यहां इस बात का उल्लेख न करूं कि राजीव जी ने मरीज के सारे खर्च को वहन करने की पेशकश की थी, तो यह अनुचित होगा। मैंने मरीज के मित्रों के प्रयासों से, तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मसूद जी की मदद, मेरे स्वयं के योगदान ने और पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से आवश्यक धनराशि एकत्रित कर ली थी इसलिए मैंने सधन्यवाद उनकी पेशकश को मना कर दिया।

किन्तु मैं अभी भी अपनी शिकायत पर उनकी कार्यवाही की प्रतीक्षा करूंगी। मैं यह अखबारों पर छोड़ती हूं कि वे किन आचार-नियमों का पालन करेंगे। यह मेरा काम नहीं है।

महोदय, मैं सदन के धैर्य की और अधिक परीक्षा लिए बिना, बंगाल के दो महान पुत्रों, काजी नजरूल इस्लाम और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, के दो उद्धरणों के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगी।

पहले नजरूल की पंक्तियां—

कवि, हमारे देश की नौका की पतवार चलाने वाले नाविक का आह्वान करता है और उसे

प्लासी के युद्ध क्षेत्र को याद करने को कहता है, जहां मीर जाफर के विश्वासघात के कारण हमें अपनी स्वतन्त्रता खोनी पड़ी। कवि चेतावनी देता है कि यद्यपि आजादी का सूर्य कुछ समय के लिए अस्त हो चुका है किन्तु यह हमारे खून से लाल होकर पुनः उदित होगा और जो देशभक्ति के गीत गाते-गाते फांसी पर चढ़ गए वे देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे।

महोदय, इन मीर जाफरों को—चाहे वो भूतकाल में हों या वर्तमान में—और अधिक नहीं सहना है। अन्त में, रविन्द्रनाथ टैगोर की उद्‌बोधक वाणी के साथ समाप्त करते हुए—

आर्यों, अनार्यों, हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और उन सभी दलित वर्गों को कवि का यह यह आह्वान है कि जो अपमान उन पर लादा गया है। उससे निबटने के लिए दृढ़ संकल्प हों, और भारत माता के तुरन्त अभिषेक के लिए प्रोत्साहित करता है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी महान मातृभूमि के लोगों की प्रतिक्रिया इस आह्वान की ओर सकारात्मक होगी क्योंकि स्थिति बहुत गम्भीर है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गीता जी ने 17 अक्तूबर को हुई विश्व हिन्दू परिषद की किसी बैठक का हवाला देते हुए मेरा नाम उसके साथ जोड़ा है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बैठक हुई थी। 18 को दीवाली थी। सितम्बर में अपनी यात्रा के लिए मैंने पांच सप्ताहों का जो कार्यक्रम बनाया था उसके अनुसार उन दिनों में मैं दिल्ली में था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है विश्व हिन्दू परिषद अपने लेखाओं के रख-रखाव के बारे में काफी पाबन्द है और उस ओर ध्यान देती है।

[हिन्दी]

***श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा** (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां वोट ऑफ कॉनफिडेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं। बेशक श्री चन्द्र शेखर जी सिक्खों के सबसे प्यारे लीडर भी हैं और 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उस समय इंसानियत के तौर पर इन्होंने सिक्खों के पक्ष में बहुत कुछ कहा। लेकिन आज हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इनके हक में वोट नहीं डाल रहे और न इनके विरोध में। हमारी पार्टी न्यूट्रल रह रही है। हम इनके पक्ष में वोट इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया है। कांग्रेस की पॉलिसियों ने पंजाब में मेरी हजारों बहनों को विधवा किया है। मेरे हजारों बच्चे वहां मारे गए हैं। प्रोफेसर साहब, मेरे हजबैंड, के खून में कांग्रेस की पॉलिसी और उनके हाथ रंगे हुए हैं। पूरा सिक्ख जगत चन्द्र शेखर जी की इज्जत इसलिए करता है क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे ब्लू स्टार एक्शन के समय पर बोलने वाले थे। लेकिन जैसे कि आज भी श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि मरहम लगानी है। मुझे समझ नहीं आता कि वह मरहम किस प्रकार की है और किस डिब्बी में बन्द है। जब श्री वी० पी० सिंह प्रधान मन्त्री बने थे, तब उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि पंजाब में जो कुछ हुआ, सिक्खों के साथ जो कुछ हुआ, उस पर मरहम लगायी जाएगी। मगर मरहम लगाने की बजाए, जख्म और इतने गहरे कर दिए गए कि उसका कोई अन्दाज ही नहीं लगा सकता। श्री वी० पी० सिंह के राज में भी उसी प्रकार के झूठे पुलिस मुकाबले होते रहे और पेरेन्टस को उसी प्रकार हैरासमैंट होती रही। कोई भी फरक नहीं पड़ा। बाद में श्री वीरेन्द्र वर्मा जी को गवर्नर बनाकर पंजाब में भेजा गया। क्योंकि श्री निर्मल कुमार मुखर्जी थोड़ा बहुत इंसानियत से काम

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

कर लेते थे, उन्हें फेल करके भेज दिया गया क्योंकि वे झूठे पुलिस मुकाबलों के हक में नहीं थे। श्री वीरेन्द्र वर्मा ने भी जाकर यही कहा कि मैंने पंजाबियों के जख्मों पर मरहम लगानी है। पर वह मरहम न जाने किस डिब्बी में बन्द है। आज श्री चन्द्र शेखर जी ने भी यह बात कही है। मैं इनसे विनती करती हूं कि श्री चन्द्र शेखर जी आप वह जो मरहम है, उसे निकालकर सिक्खों के हृदयों पर लगाएं। कहीं यह न हो कि आप उसका ढक्कन ही न खोलें।

आप की सरकार बनने के बाद सिक्खों को जो पहला तोहफा मिला है, वह है कि गुरु ग्रन्थ साहिब की बीड़ों को जलाया गया दिल्ली और जालन्धर में। इससे सिक्खों के हृदयों को किस प्रकार चोट पहुंची है इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको यह चाहिए कि आप सी० बी० आई० द्वारा इसकी इंकवायरी करवाएं कि यह किसकी साजिश के अधीन यह सारा काम हुआ है। क्यों एकदम ही मिली-जुली साजिश के अन्दर यह हो कि यहां भी बीड़े जलाई गई और वहां भी। क्या इससे जनता में और सिक्खों में अलगाव की भावना नहीं आएगी। सिक्खों ने, पंजाब के लोगों ने डेमोक्रेटिक ढंग के साथ इलेक्शन लड़े कितने एम० पी० पंजाब से हमारे मान दल के जीत कर आए। हम यहां पर कांस्टीटयूशन में विश्वास करके ही पहुंचे। हालांकि हमारे कई गुटों ने हमारा विरोध किया था। लेकिन श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने वहां डेमोक्रेटिक ढांचा बहाल नहीं किया। दो बार एमेण्डमेंट करके पुलिस राज को वहां कायम रखा। 1 मई, 1987 से लेकर पुलिस राज चल रहा है और इस सरकार ने उसे जारी रखा आज भी जनता दल की सरकार का राज आ रहा है। जिस प्रकार आपने मैनिफेस्टो में लिखा है तो मेरी कुछ विनतियां भी उसमें लिख लें। एक तो यह अपने मैनिफेस्टो में लिख लो कि पंजाब में झूठे पुलिस मुकाबले बन्द करवा दें। जिस दिन झूठे पुलिस मुकाबले पंजाब में बन्द हो गए उस दिन आपकी आधी भावी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमें इस बात का कुछ दुःख नहीं यदि कोई नौजवान आपकी नजर में गलत काम करता है तो उसे आप पकड़ें और जेल में डाल दो पर पुलिस का राज जो बूचरों का राज पंजाब में है, वह खत्म कर दो जिससे कि पंजाबी सिख जो कि एक बहादुर कौम है जो आपकी सीमाओं की रक्षा कर रही है उन्हें आप अपने हाथों से गंवायें। जब हमें आपके पोलिटेकिल ढांचे, डैमोक्रेटिक ढांचे में विश्वास नहीं रहा, तभी श्री सिमरनजीत सिंह मान ने सैल्फ डिटरमिनेशन का नारा लगाया, तभी उन्होंने यू० एन० ओ० के पास जाने को कहा क्योंकि आप लोग सिक्खों को डेमोक्रेटिक ढांचे में नहीं रखना चाहते—हम यह देखते हैं कि मान लीजिए एक बाप के चार-पांच बच्चे हों और यदि उनका लड़ाई झगड़ा हो और बाप उनकी बात न सुने तभी उसकी जरूरत पड़ती है कि वह बाहर जाकर किसी से मदद मांगे। इसलिए इस बात को अपने मैनिफेस्टो में लिख लें, झूठे पुलिस मुकाबले बन्द कर दें। बाकी जो हैरासमेन्ट पेरेन्ट्स को हो रही है उसे भी बन्द कर दें किसी का बच्चा अगर भगोड़ा है तो उनके पेरेन्ट्स को जेलों में फेंका जाता है। उन पेरेन्ट्स को तीन-चार महीनों तक अपने बच्चों का पता नहीं चलता। इससे भी बढ़कर जो कांग्रेस सरकार के समय से लोग बिदाउट ट्रायल जेलों में बन्द हैं। जैसे कि 32 बटालियन सी० आर० पी० जालन्धर या फिर मेरे कांग्रेसी भाई ज्यादा जानते होंगे कि उन लोगों को जिन्हें ना जाने किन कुओं में फेंका हुआ है तो उन्हें उन जेलों से निकाला जाए। हवालातों में से निकाल कर उनके अन्दर ट्रायल जेलों में रखें।

और जितनी भी सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० है, उन्हें वहां से निकाल कर पुलिस राज से पंजाब को छुटकारा दिया जाए। यदि आप पंजाब के लोगों पर मरहम लगाना चाहते हैं तो इसे अपने मैनिफेस्टो में जोड़ लें।

बाकी जिस प्रकार आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई है उससे देश तबाही के किनारे पर आ

खड़ा हुआ है। सिक्खों के बारे में कहा जाता है कि वे खालिस्तान मांगते हैं लेकिन देखिए एक विद्वान व्यक्ति जो कि कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान के भाग्य के रखवाले हैं वे रथ यात्रा लेकर चलते हैं हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए ताकि उनके आपस में रायट्स हो जाएं। यह एक बहुत ही गलत बात है। दूसरों को शिक्षा देने वाले को कभी भी यह बात नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

***श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा** : जैसे कि आडवाणी जी ने यह तो कह दिया कि वहां बड़े ही इनोसेन्ट हिन्दू मारे गए। मैं मानती हूं मारे गए होंगे, लेकिन वहां मुसलमान भी मारे गए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि साथ मुसलमान भी वहां मारे गए। जो सन् 1984 में ब्लू स्टार एक्शन हुआ था, आज आडवाणी जी कहते हैं कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की है, इनोसेंट लोगों पर गोली चलाई। आप सब लोगों ने मिलकर जब हरमन्दिर साहब पर फौज चढ़ा दी थी, तो उस समय किसी ने नहीं सोचा कि हम घोर अन्याय कर रहे हैं। तब आपकी सांझी पालिसी क्या ठीक थी तो सिक्खों के साथ आप भेदभाव का व्यवहार करते रहे हैं। मैं श्री चन्द्र शेखर जी आपसे अपील करती हूं कि आप मरहम अपनी डिब्बी में बन्द न रखें, उसे निकाल कर सिक्खों के दिल पर लगाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैडम, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया आप और आगे नहीं बोलिए।

[हिन्दी]

*मैडम मैंने आपको टाइम दिया।

***श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा** : एक्सक्यूज मी, बस आखिरी बात। कंट्री की डवलपमैंट करने की बजाय हमारा ध्यान रथ यात्रा की तरफ मोड़ा गया। पंजाब में जाकर देखिए किस तरह तीन-तीन मील लम्बी लाइनें लगी हैं, वहां डीजल नहीं मिलता। पंजाब और हरियाणा, जोकि 65 प्रतिशत अनाज उपलब्ध कराते हैं वह कैसे आएगा जब उन्हें डीजल ही नहीं मिलेगा। यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नानी भट्टाचार्य। कृपया आप पांच मिनट में अपनी बात बोलिए क्योंकि और भी अनेक व्यक्ति बोलना चाहते हैं।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठा चुका हूं और उस समय मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अतः मैं उस मुद्दे को दोहराऊंगा नहीं। यदि माननीय प्रधान मन्त्री जी यहां होते तो अच्छा होता, केवल दो ही मन्त्री क्यों हैं। क्या माननीय प्रधान मन्त्री जी यह बात स्पष्ट करेंगे कि

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

उनका मन्त्रिमण्डल अभी क्यों नहीं बना है तथा इसमें और मन्त्री शामिल क्यों नहीं किए गए है ? माननीय प्रधान मन्त्री जी की अनुपस्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक गम्भीर विषय है जिसमें संवैधानिक और कानूनी मुद्दा शामिल है और यह जनता के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि सरकार केवल नाम की है, कोई मन्त्री नहीं है। सचिव बेकार बैठे हैं और मन्त्रियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि फाइलों पर मन्त्रियों के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कोई आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि यदि हम किसी कार्यालय में जाएं तो पाएंगे कि वहां कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रशासन के हित में मन्त्रिमण्डल गठित किया जाना चाहिए और उसमें और मन्त्री शामिल करके तत्काल उनके विभागों का वितरण किया जाना चाहिए। यह इस मुद्दे का एक पहलू है।

महोदय, आपके माध्यम से क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि इसमें किस कारण इतना विलम्ब हुआ ? क्या राजीव गांधी और कांग्रेस, मन्त्रियों के चयन के बारे में सहमत नहीं हैं ? जनता में अनेक अफवाहें फैली हुई हैं कि शेखर जी और देवी लाल जी ने अनेक सुझाव दिए लेकिन राजीव जी और कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। अतः क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मन्त्रियों के चयन के मामले में एकमत नहीं है ? कम से कम माननीय प्रधान मन्त्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मन्त्रिमण्डल का गठन क्यों नहीं हो रहा है ?

दूसरे, श्री वसन्त साठे जी ने जो कहा उसे मैंने धैर्य से सुना है। उन्होंने कहा कि उनका दल ही सबसे बड़ा है।

[हिन्दी]

आंकड़े दिए कि कांग्रेस को इतने परसेंट वोट मिले।

[अनुवाद]

वह कांग्रेस की बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि वे एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह बात समझ में आई लेकिन क्या राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस सरकार को भी अस्थिर करना चाहती है ? उन्होंने पहले ही श्री वी० पी० सिंह जी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था। इस तथ्य के बारे में कोई दो राय नहीं है और आम आदमी जो समाचार-पत्र पढ़ता है, रेडियो और दूरदर्शन में समाचार सुनता और देखता है वह भी स्थिति को पूर्णतः समझता है। अतः क्या कांग्रेस की यह नीति है कि जब वह स्वयं स्थिर सरकार न बना सके तो अन्य सरकारों को अस्थिर करे ? अन्यथा वर्तमान सरकार की स्थिति बताना अत्यन्त कठिन है।

तीसरी बात यह है कि दो अथवा तीन मुद्दों के बारे में दि स्टेट्समैन में प्रकाशित संविधान विशेषज्ञों के कुछ विचारों को उद्धृत कर रहा हूं :

> "सबसे पहले मन्त्रियों के विभागों की घोषणा नहीं की गई और दूसरे माननीय राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री के परामर्श पर विभागों को अधिसूचित नहीं किया। अतः उनका विचार है कि यह समस्त कार्य संविधान के अन्तर्गत अवैध हैं।"

मैं वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हूं। लेकिन मुझे अध्यक्ष के विनिर्णय को मानना है। मैं श्री चन्द्र शेखर के पूर्व जीवन के बारे में जानता हूं। लेकिन यह हम सबके लिए हैरानी की बात है कि उन्होंने प्रधान मन्त्री पद की आकांक्षा की। अनेक बार उन्होंने प्रेस में ऐसे वक्तव्य दिए। हर कोई इस बारे में जानता है। अतः स्थिति यही है। (व्यवधान) आप इतने अधीर क्यों हैं? कांग्रेस के लोगों ने पिछली सरकार को गिरा दिया (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह एक गलत उदाहरण है और जिस प्रकार से यह सरकार बनाई जा रही है वह बहुत खतरनाक है और संसदीय लोकतन्त्र के लिए हानिकर है। यह संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। सभी संसदीय मानकों को ताक पर रख दिया गया है और श्री चन्द्र शेखर ने अपने नियम बना लिए हैं। देवी लाल जी काफी भिन्न हैं। उन्होंने अपने संगठन के अंदरूनी कार्यकरण के बारे में, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में तथा इस कांग्रेस नेता से और उस कांग्रेस नेता से क्या परामर्श किए गए। इस सम्बन्ध में कुछ विचार पेश किए हैं। उन्होंने अंदरूनी समस्याओं के बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं। मैं उन्हें समझता हूं और मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन यह एक बहुत गंदा उदाहरण पेश किया गया है तथा यह हमारे लिए शर्म की बात है कि एक संसद सदस्य जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उनसे सारी बातें कहने में झिझकिचाता है। हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। ऐसा शर्मनाक खेल चल रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है और लोग इन चीजों को ऐसे ही हलक के नीचे नहीं उतारेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इन बातों को सदस्यों और लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री बिप्लब बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जो ईर्ष्यावश देश में संसदीय लोकतंत्र की परम्परा, विचारधारा और मूलभूत सिद्धान्तों की रक्षा करते हैं, को आज यह जानकर दुख होगा कि इस सभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मेरे लिए यह भारतीय संसद के इतिहास की सबसे दुखद घटना है।

महोदय, इस विश्वास प्रस्ताव की पेशकश उन लोगों ने की है जिन्होंने दल-बदल किया है जिन्होंने लोगों के जनादेश का उल्लंघन किया है। मैं श्री बसंत साठे की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि नवीं लोक सभा के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण जनादेश नहीं मिला है। यह सच्चाई हम सबने स्वीकार की है। परन्तु एक मूल बात स्पष्ट है और वह यह है कि लोगों ने तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध मत दिया है और इसीलिए तत्कालीन सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस (इ) को सरकार बनाने के लिए लोगों से कोई जनादेश नहीं मिला। एक अजीब सी परिस्थिति में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज हमें वह दुखद दृश्य देखने को भी मिला जबकि एक 61 सदस्यों का दल जोकि दल-बदल से उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति बहुत जुगत से की गई, गठजोड़ से हुई और षड्यंत्रों के द्वारा हुई उसे एकमात्र बहुमत वाले दल, जिसके 193 सदस्य हैं, के सहयोग और समर्थन से सत्तारूढ़ दल बना दिया गया। आज ऐसा दुखद दृश्य हमें देखने को मिला है। संसद में सबसे अधिक बहुमत वाले दल ने सरकार बनाने के उत्तरदायित्व को संभालने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक दल जोकि दल-बदल से उत्पन्न हुआ, बड़ी युक्तियों से बनाने सरकार चलाने का साहस किया और न केवल सरकार चलाने का साहस किया बल्कि राष्ट्र की सभी राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हुआ। यह कम साहसपूर्ण कार्य नहीं है। मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं। उन्होंने लोगों के जनादेश का उल्लंघन किया है। मैं केवल राष्ट्रीय मोर्चे के उस चुनाव घोषणा-पत्र को उद्धृत

करना चाहता हूं जिसे श्री देवी लाल और श्री चन्द्र शेखर दोनों ने बनाया था। इसका निष्कर्ष है :—

"राष्ट्रीय मोर्चा चुनाव घोषणा-पत्र में दी गयी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराता है। राष्ट्र कीमतों के बोझ से, हिंसा, साम्प्रदायिकता के जख्मों तथा उच्च पदों में व्याप्त भ्रष्टाचार से राहत चाहता है। आखिर परिवर्तन की घड़ी आ गई है। यह तो भारत के लोगों पर निर्भर है कि वह इस सबको अपने मतों से अमली जामा पहनाएं।"

अब मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है जब मुझे पता चलता है कि इस देश के प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर एक साक्षात्कार में कहते हैं: "यदि राजनीति में मेरे और राजीव गांधी के स्वार्थ एक जगह आकर मिल जाते हैं तो इसमें गलत क्या है?"

इस चुनाव घोषणा पत्र में तो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने की बात थी और इस चुनाव घोषणा पत्र में लोगों से वायदा किया गया है कि जो भी विषय चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं उन्हें यथासम्भव कार्यान्वित किया जाएगा। अब कांग्रेस (ई) के विरुद्ध लोगों के जनादेश के आधार पर चुने जाने के बाद श्री चन्द्र शेखर ने उस कांग्रेस (ई) के साथ गठजोड़ करना पसन्द किया जिनके विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था। यह उस युवा तुर्क की त्रासदी है जो अब एक प्राचीन राजनैतिक जीवाश्म बन कर रह गया है। यह सरकार कुछ नहीं है बल्कि दूसरे के सहारे चलने वाली सरकार है, यह सरकार तो मात्र एक अस्थायी बन्दोबस्त है। यदि आप मुझे यह कहने की अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि यह सरकार तो रंग बदलने वाली गिरगिट के समान है। इसके साथ एक तरफ तो कांग्रेस (ई) है और उनकी नीति मैं समझ सकता हूं। हम उनकी नीतियों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। मैं आपकी नीतियों के विरुद्ध भी लड़ूंगा। फिर आपको भी हमारे विरुद्ध लड़ने का अवसर मिलेगा। आप भी हमें राजनैतिक क्षेत्र से हटाना चाहते हैं। हम अपनी अंदरूनी ताकत, विचारधारा की शक्ति और विचारधारा के प्रति अपनी वचनबद्धता की वजह से बरकरार रहेंगे। लेकिन वे किस तरह के लोग हैं? क्या आप उनके पापों की कीमत चुका रहे हैं? फिर आप उनके पापों का बोझ अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप में साहस है तो अपने बलबूते पर सरकार बनाइए और चलाइए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बरकरार रह सकती थी यदि इसने देश की साम्प्रदायिक ताकतों से समझौता कर लिया होता। इन साम्प्रदायिक ताकतों ने इस राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को अपनी बलि देने पर मजबूर किया। अन्यथा यह सिद्धान्तों की कीमत पर हो सकता था। ये सिद्धान्त तो अल्पसंख्यकों की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों को बनाए रखने के वास्ते हैं।

आप हमारे विरुद्ध कुछ कह सकते हैं। लेकिन जहां तक वामपंथियों की बात है हमने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किसी वजह से, उनसे कोई राजनैतिक लाभ उठाने के लिए अपना समर्थन नहीं दिया है। हमने उन्हें सिद्धान्त, वचनबद्धता और अपनी विचारधारा के अनुरूप अपना समर्थन दिया है। मुझे इस परिवर्तन का खेद है। एक समय हमारे देश के युवा तुर्क आपके नेतृत्व के विरुद्ध लड़ने के लिए हममें से कई लोगों के लिए प्रेरणा श्रोत हुआ करते थे। अब दबाव में आकर झुक गए हैं लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं, नहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसले के लिए। यदि ऐसा था तो आप दल के अन्दर ही सैद्धान्तिक रूप से लड़ सकते थे, आप सारे देश के लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त कर सकते थे, आप अपने लिए समर्थन जुटा सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया का सहारा लेने की बजाय आपने हेराफेरी से गठजोड़ करने की प्रक्रिया अपनायी। आज हम जो गतिरोध देख रहे हैं, यह उसका दुखद हिस्सा है। इस स्थिति

में भी, मैं प्रधान मन्त्री के समक्ष दल-बदल विरोधी अधिनियम की बात रखना चाहता हूं। इस स्थिति में भी दल-बदल विरोधी अधिनियम के होते हुए भी मैं विशेषतौर पर यह महसूस करता हूं कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि प्रधान मन्त्री वास्तव में मूल्यों पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और सभी दल-बदल को रोकना चाहते हैं तो इसका सबसे सफल और कारगर उपाय यह है कि मतदाताओं को दल-बदलुओं को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाए क्योंकि उन्होंने जनता के जनादेश का उल्लंघन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु आपका समय पूरा हो गया है।

श्री चित्त बसु : मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं। क्या इस स्थिति में प्रधान मन्त्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर उठाए गए सभी सकारात्मक उपायों को जारी रखा जाएगा और उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा और उन्हें वापिस नहीं लिया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा, यदि वह इस सम्बन्ध में आश्वासन दे सके तो देशवासी आपके आभारी होंगे ? चुनाव घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए गए थे और जिस हद तक उनके सम्बन्ध में नीतियां बनी और उन्हें लागू किया गया, कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि इन नीतिगत निर्णयों को बदला न जाए। अभी भी वामपंथी दलों के रूप में हमें सरकार को समर्थन देने पर पूर्ण संतोष है। यह सही है कि कई कमियां थी। लेकिन नीतियों की घोषणा की गई थी। नीतियों को एक दिशा देने की घोषणा की गई थी। कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि जिस घोषणा पत्र के प्रति आप वचनबद्ध थे उसमें कोई कमी न आए और राजनैतिक रूप से पूर्ववर्ती सरकार ने जो नीतियां बनायी थी उनमें कांट-छांट न की जाये।

मैं विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उर्दू के दो शेर सुनाने हैं। कृपया उनकी उचित व्याख्या की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, वजीरे आजम चन्द्रशेखर जी ने ठीक ही शुरू में कहा था कि ऐसी बात न कहिए जिसका जवाब देना पड़े। उस वक्त आरिफ साहब ने मदाखलत करते हुए शायद इनको चेतावनी दी थी कि आप कह डालिए जो कुछ कहना है, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मुझे दुख हो रहा है आज की इस डिबेट को सुन कर और मुझे उस वक्त दुख हुआ कि मधु दण्डवते जैसे आदमी से भी बोलने में ऐसी गलती हो गई। ऐसा लगता है कि इस बहस की मयार गिर चुकी है। डिप्टी वजीरे आजम ने उस समय बड़ी सब्र से काम लिया और उनको भी बाद में मजबूर होकर वह बात कहनी पड़ी जो वह कहना नहीं चाहते थे। मेरे दोस्तों, आपने ऐसा इम्प्रेशन मुझ पर डाला है कि उसके बाद मैंने यह तहरीर यहां लिख डाली चूंकि उर्दू में कुछ शेर आपको बताना है। आरिफ साहब जैसे लोग हों या उन्नीकृष्णन जैसे कानूनदां हों, ये शुरू में जो कांस्टीट्यूशन से बात लाए, वह मुझे बहुत गलत लगी, इख्तदार जब जाता है तो जाना चाहिए और डिग्निटी रहनी चाहिए। आप अपने अल्फाज इस सदन में बोलेंगे तो इसलिए देवी लाल जी ने जब अपनी सादगी में आपको याद दिलाया, क्या जहाज आपने नहीं भेज दिया था ? क्या यह गलत बात है, वह प्रश्न तो उसी वक्त आ गया था, हम जैसे लोग जानते हैं, इसलिए जब सिद्धान्त की बात होगी, उसूल की बात होगी तो बहुत

ख्याल करके बोलना चाहिए, फैज का एक शेर मुझे याद आ गया :

आप खुद ही जज बनते हैं, खुद ही मुद्दई बनते हैं ।

"बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुन्सिफ भी,
किसे वकील करें, किससे मुन्सिफी चाहें ।"

[अनुवाद]

आप यह समझते हैं कि पूरे देश में केवल आप ही एक ईमानदार व्यक्ति हैं । आप यह समझते हैं कि केवल आप ही सिद्धान्तों के लिए कार्य करते हैं । यह कारण गलत है । मैं कुछ तथ्यों के विषय में जानता हूं मैं यहां तीसरी बार चुन कर आया हूं । मैं लोगों से मिला हूं । मुझे सच्चाई मालूम है ।

[हिन्दी]

शुरू में देवी लाल जी ने बड़े कमाल की बात कही थी, मेरा देवी लाल जी से करीब का ताल्लुक नहीं है, इनसे किसी ने पूछा था, जब प्रेसीडियम यहां मिल रहा था, टेलीवीजन के हमारे भाई, जो अब यहां नहीं हैं, वह यहां मंत्री थे, उन्होंने टेलीवीजन का बहुत गलत इस्तेमाल किया, जब प्रेसीडियम मिल रहा था तो उस वक्त उन्नीकृष्णन जी और उनके सदर यहां थे तो देवी लाल जी से किसी ने पूछा कि आप नेशनल फ्रण्ट की मीटिंग में क्यों नहीं आए तो उनका बोलने का अंदाज है, बहुत सादगी का, मगर उसमें कुछ काट होती है, उन्होंने कहा, कैसा नेशनल फ्रण्ट, एकाध मैम्बर ही तो हैं, इज्जत रखना चाहते थे वरना कैसा प्रेसीडियम, लोक सभा में किसी का एक मैम्बर है, वह पार्टी बना बैठा है । फ्रण्ट तो वह होता है, जब आप आम लोगों की तरह से बोलें ।

बहरहाल आज यह सवाल हमारे सामने है कि 11 महीनों में हुकूमत ने कैसे सरकार को चलाया है, वही मैं चन्द मिनटों में बताना चाहता हूं । सबसे पहली बात यह थी कि इन्होंने बी० जे० पी० और कम्युनिस्टों के सहारे से हुकूमत चलाई और मैं यह मानता हूं, मैंने देखा है लेकिन टाइम नहीं है कि मैं बताता । इन्होंने नेशनल फ्रण्ट भी बनाया और जनता दल भी बनाया, नेशनल फ्रण्ट तो था ही नहीं लेकिन जनता दल भी नहीं था । यह जनता दल नहीं था, अन्दर से सोशलिस्ट ग्रुप अलग था, जनमोर्चा अलग था, लोकदल अलग था इसीलिए अपनी फूट से यह टूटे हैं । जहां तक बी० जे० पी० का ताल्लुक है, आज हमको यह बताते हैं कि बी० जे० पी० बड़ी कम्युनल पार्टी है । मैं कभी यह नहीं मान सकता, यह रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे कह सकते हैं, आज के दिन कि बी० जे० पी० खराब है । यह सवाल आप उस दिन सोच लेते जब आपने एक तरफ लैफ्ट के साथ हाथ मिलाया और दूसरी तरफ आपने बी० जे० पी० का सहारा लिया । बी० जे० पी० की भी एक बात मुझे याद आ रही है कि आडवाणी जी का कसूर नहीं है, आपका सबसे बड़ा कसूर यह है कि आपने सलाह मशविरे से इस हुकूमत को नहीं चलाया । एक ही मिसाल देता हूं, आडवाणी जी यहां बैठे थे, आडवाणी साहब ने रिजर्वेशन के मामले में तकरीर की और उस वक्त के वजीरे आजम वी० पी० सिंह साहब बैठे थे, जिनके लिए मेरे दिल में बड़ा अहतराम है, जब भी मैं उनसे मिला, मैं मायूस होकर नहीं लौटा हूं । मैं मानता हूं, वह ईमानदार आदमी हैं और शरीफ आदमी हैं मगर मुझे यह समझ में नहीं आया कि पासवान साहब को और शरद यादव साहब को उन्होंने इतनी ढील क्यों दे रखी थी । पासवान मेरे दोस्त हैं, यहां जब रिजर्वेशन पर एक दिन पासवान साहब खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि यह सदन भारत नहीं है, रिजर्वेशन की पॉलिसी जो बजा की

गई है, उसको जरूर इम्पलीमेंट किया जायेगा, उस वक्त आडवाणी जी यहां खड़े होने के लिए मजबूर हो गए।

[अनुवाद]

वह श्री पासवान ही थे जिन्होंने आडवाणी जी को मजबूर कर दिया।

[हिन्दी]

और आडवाणी जी ने उनको कहा कि आप यह कैसे कहते हैं कि मण्डिरे के बगैर आप करेंगे; हमसे नहीं पूछेंगे, आडवाणी जी ने उस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा : एक अल्पमत की सरकार इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। इस हुकूमत को गिरने का असल सबब यह है कि इन्होंने आपस में मशावरत नहीं की और अन्दर से यह खुद जनता दल में ग्रुपों में बंटे हुए थे। ऐसे लोग जो एक छोटी जमात में भी अन्दर से बंटे हुए हों, वह कैसे मुल्क को सही सिम्त में ले जा सकते हैं? (व्यवधान) मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने काम्यूनिस्टों के साथ नाइंसाफी की है। हमारे काम्यूनिस्ट भाइयों के सिद्धान्तों को मैं तसलीम करता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मैं वामपंथी हूं। इन्होंने काम्यूनिस्टों से यह नाइंसाफी की कि ये कुछ पॉलिसी बी० जे० पी० के साथ बनाते थे और कुछ पॉलिसी लैफ्ट के साथ बनाते थे। आपको यह बताना होगा···(व्यवधान)·· जो सिद्धान्त बनाते हैं, श्री वी० पी० सिंह नहीं बतायेंगे, बाकी लोग बतायेंगे, जिनको मिनिस्ट्री जाने का अफसोस हो रहा है। उनसे मैं पूछता हूं सारे सवाल नहीं पूछूंगा। मधु दण्डवते जी पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है।

[अनुवाद]

मधु जी मैं जानता हूं कि आप भौतिकी के प्राध्यापक हैं। लेकिन मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। फिर भी सूचकांक में वृद्धि के बारे में मैं आपको बात बता सकता हूं। मुद्रास्फीति की दर क्या है? आप 40 रुपए प्रति किलो की दर से तम्बाकू बेच रहे हैं। निम्नतम स्तर पर सूचकांक के आंकलन की कोई व्यवस्था नहीं है। मधु जी मैं यह महसूस करता हूं कि जिस क्षण आप सरकार में शामिल हुए आपने अपनी गरिमा खो दी। जब वह विपक्ष में थे वह हमारे नेता थे। उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की। इस कारण उन्होंने अपनी गरिमा खो दी। उन्होंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री को यह कहकर गुमराह किया कि एक माह के अन्दर कीमतें गिर जायेंगी। मैंने उसी समय प्रश्न किया था। पेट्रोलियम मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की बैठक में भी यह प्रश्न उठाया था। मैंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री से प्रश्न किया था "कि क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कीमतें गिर सकती हैं? इस समय कीमतें किस तरह गिर सकती हैं? अतः विदेशी मुद्रा के भुगतान की स्थिति क्या है? हम जानते हैं कि श्री चन्द्रशेखर जी के लिए आपने किस तरह का शासन तंत्र छोड़ा है। मैं अब फिर कश्मीर नीति पर आता हूं।

[हिन्दी]

कश्मीर की पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है, उस पॉलिसी के बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूं। वी० पी० सिंह जी ने कश्मीर को अपने काबिल होम मिनिस्टर के सुपुर्द कर दिया। जितने मैमोरेंडम हम उनको देते थे, वे मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते थे। आपकी हुकूमत में आपने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। वहां क्या नहीं हुआ है। जिस कातिल को आपने वहां भेज दिया, आप सिद्धान्त की बात करते हैं···(व्यवधान)··· आपने हिन्दुस्तान के आईन को अपने हाथ में रखना था। 370 को भून डाला और उस स्थिति में आपने कम्पोजीशन के बाद वहां एक ऐसे शख्स को भेज दिया, जिसने वहां तहोबाला कर दिया। उस बाद वहां मौलवी फारुख का कत्ल हुआ और कश्मीर में गोलियां चलीं। उसी

शाम को चन्द्र शेखर जी, इन्द्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी जी ने यहां आवाज उठाई थी कि उसको यहां बुलाओ। लेकिन आपके अपने जनता दल में, जिसमें बीजेपी का कसूर नहीं आता है, जो जनमोर्चा था और दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि ईनाम देना चाहिए और उन्हें उस हाउस में ईनाम दे दिया। उसके बाद इसी हुकूमत में यह हुआ कि एक बार भी बजीरेआजम वी० पी० सिंह कश्मीर नहीं गए। इनसे यहां कहा और इनके घर पर भी जाकर कहा और दस मैमोरेंडम के जरिए इनसे कहा कि कुछ देर के लिए वहां जाइए और कश्मीर के लोगों के साथ दो आंसू बहाइए। (व्यवधान)

आप क्यों नहीं गए कश्मीर में ? उसके मुकाबले में आपके होम मिनिस्टर की ताकत से वहां दो काले कानून बनाए गए, जिसमें आगजनी, मारजनी, रेप और हर किस्म की चीजें हो गयीं और आपको हमने ये भी कहा कि अगर इस भारत के वे सपूत जो जरनलिस्ट हैं, अपनी जीत पर उन्होंने खतरा मोल लिया है। अगर हमारे जरनलिस्ट भाई और बहनें वहां नहीं गए होते, ह्यूमनराइट्स आर्गेनाइजेशन, तारकुण्डे, सरकटदाह और दूसरे लोग वहां नहीं गए होते और एनीशियेटिव ग्रुप के लोग वहां नहीं गए होते। एमनिस्टी और अमेरिका में जो आर्गेनाइजेशन्स हैं, इन्सानी हुकूक की बहाली के लिए, उन्होंने सारी दुनिया में हमारे माथे पर कलंक लगाया होता। आज हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने उनके साथ आंसू बहाए, मैंने वी० पी० सिंह से कहा कि कम-से-कम एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजिए और आप में ये हिम्मत भी नहीं और जिस वक्त कश्मीर के लिए आपने जार्ज फर्नान्डीज को बनाया उस वक्त तमाम पोलिटीकल पार्टिज से आपने मेंडेट हासिल किया, राजीव जी से मदद मांगी थी। सोमनाथ चटर्जी, इन्द्रजीत गुप्ता से तय किया था, एल० के० आडवाणी जी को बुलाया था और प्रेसीडेंट के आर्डर से जार्ज फर्नान्डीज बने थे, लेकिन जब जार्ज फर्नान्डीज को हटाया और इसलिए हटाया कि जार्ज फर्नान्डीज थोड़ी सी कोशिश करने लगे थे कि वे भी कश्मीरियों के साथ आंसू बहाए, अभी बेचारे ने आंसू बहाए भी नहीं थे, आपने उनको हटाया और कैसे हटाया। यहां कोई डिसकस नहीं किया, डिसमिस कर दिया, ऐवान को। आपने प्रेसीडेंट से आर्डर नहीं मांगा कि इसको हटाया जाएगा। आपने पोलिटीकल पार्टिज को नहीं बुलाया और आपने डायरेक्ट टेलीफोन पर जार्ज फर्नान्डीज को कहा कि अब आप कश्मीर के मिनिस्टर नहीं हैं। (व्यवधान) मैं उनसे पूछता हूं कि उनको क्या अख्तियार है, जब मोशन के दिन वे कहते थे कि उनकी हुकूमत को बहुमत मिलना चाहिए। मैं आज दिलोजान से इस ऐवान को, नए बजीरे आजम को इस्तकबाल करता हूं और वह जो मोशन रख रहे हैं, उसका समर्थन करता हूं।

मुझे उम्मीद है कि इन दो दिनों में मैंने उनके होम मिनिस्टर को और खुद बजीरेआजम को कहा, कश्मीर से जगमोहन ने टांडा की फोर्स जम्मू मुतकिल कर दी है, लेकिन एक मुलाकात में मैंने चन्द्र शेखर जी को पांच मिनट तक समझाया ताकि कश्मीर के लोगों से इंतकाम लिया जाए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कार्ट ने फैसला किया है कि श्रीनगर में भी टांडा का—टेरेरिस्ट एण्ड डिसरपटिव एक्टीविटीज (प्रोवेंशन) एक्ट, ये फोर्स श्रीनगर में भी होना चाहिए था क्योंकि वहां बेगुनाह लोग भी हो सकते हैं। इन्होंने फौरन उसका तराश्क किया, उस हुकूमत ने वहां क्रेडिट लेना चाहा था, मैंने उस फाउल गेम को वहां खत्म कर दिया और कहा कि ये नए बजीरे-आजम ने हमारी दरखास्त पर किया है और टांडा फोर्स श्रीनगर मुतकिल हो गई। दो महीने से वहां मुलाजमिन की शिकस्त हो रही है चपड़ासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, लेकिन इस हुकूमत ने मजाल है कि मुलाजमिन से पूछ हो कि आप क्यों रो रहे हैं ? क्या गलती हुई है ? तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि होम मिनिस्टर आकर, वे खुद ही रोयेंगे, सर के बल आएंगे। क्या कश्मीर दो लाख मुलाजमिन को सर के बल सेक्रेटेरियेट लाने से दिल जुड़ जाएंगे। नए बजीरे-आजम से मैंने कहा कि जनाब, मेरा सुझाव यह है, मेरा परसेप्शन यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वे सर के बल आएं तो मैं चाहता हूं वे इत्मीनान और सकून से आएं,

हमारे जिसम का हिस्सा बन कर आएं, तब वे काम करेंगे। (**व्यवधान**) मैं बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि के बारे में एक लफ्ज कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**) मैं एक शेर बताना चाहता हूं आडवाणी जी को, वे यह है। (**व्यवधान**) आडवाणी जी की खिदमत मे मैं ये अर्ज कर रहा हूं जो शेर टेलीविजन में भी कहा जाता है :—

"उसके फरोगे हुसन से, झमके हैं सब में नूर।
शम्भे हरन हो या कि दिया सोमनाथ का॥"

ये मीरतकीमीर का शेर है और मैं उनको बताता हूं कि ये मुसलमान की आवाज है, वे यह है कि वे जो खुदा हैं, जिसको आप राम कहते हैं, जिसको बदनाम करते हैं ये उसी का हुस्न, उसी की ब्यूटी है, जिसकी हर जगह चमक रही है। चाहे मक्का हो, मक्के की क्षमा हो या सोमनाथ का दिया हो, ये आप सुबह रेडियो और टेलीविजन पर सुनते हैं लेकिन आप गौर नहीं करते हैं। (**व्यवधान**) आडवाणी जी, आपने रथ यात्रा की, जिसको हम समझते हैं वोट यात्रा थी। आपने अपना सिम्बल दिया थिया।

अब मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि को राम और बाबर का मसला न बनाइए। ये बड़ी बेइन्साफी होगी, मुसलमानों के साथ। ये राम और बाबर का मसला नहीं है।

क्योंकि राम का मरतबा बुलन्द है। अल्लामा इकबाल ने राम को "इमामे हिन्द" कहा है।

[**अनुवाद**]

वह अल्लामा इकबाल है, वह नेता है, दार्शनिक है, और सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं। क्या कोई अल्लामा इकबाल से अच्छा मुसलमान हो सकता है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[**हिन्दी**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसलिए मुसलमानों से नाइन्साफी मत कीजिए आडवाणी जी, आपको बात-चीत के लिए कोशिश करनी चाहिए।

अब मैं एक शेर वी० पी० सिंह, दण्डवते जी और उनके साथियों से कहना चाहता हूं।

[**अनुवाद**]

वे राष्ट्र के सम्मुख अपने आप को सन्त-महात्माओं की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं।

[**हिन्दी**]

मैं उर्दू में कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

हरएक से गलती होती है, इसलिए नए वजीरेआजम ने चेतावनी दी थी कि ऐसी कोई बात न कहिए, जिससे हम जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं शेर अर्ज करना चाहता हूं।

[**अनुवाद**]

मैं चाहता हूं कि कोई इसका अंग्रेजी में रूपान्तर करें।

[**हिन्दी**]

इतनी न बढ़ा पाकये दामां की हिकायत।

[**अनुवाद**]

आप सभी ईमानदार हैं कृपया इस कहानी को लम्बा न खींचिए, अपने ईमानदार होने के घमण्ड को और मत बढ़ाइए। इसे कोई बड़ा मसला मत बनाइए।

[**हिन्दी**]

इतनी न बढ़ा पाकये दामन की हिकायत,
दामन को जरा देख जरा बन्दे कबा को देख।

Mr. Deputy-Speaker Sir, Kindly give me proper interpretation as I have to offer two couplets in Urdu.

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ۔ وزیر اعظم چندر شیکھر جی نے ٹھیک ہی شروع میں کہا کہ ایسی بات نہ کہئے جسکا جواب دینا پڑے ۔ اس وقت عارف صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے شاید ان کو چیتاونی دی تھی کہ آپ کہہ ڈالئے جو کچھ کہنا ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کچھ بولنا چاہیئے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آج کی اس ڈبیٹ کو سنکر اور مجھے اس وقت خود محسوس ہوا کہ جب مدھو ڈنڈاوتے جیسے آدمی سے بھی بولنے میں ایسی غلطی ہو گئی ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بحث کا معیار گر چکا ہے ۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے اسوقت بڑے صبر سے کام لیا اور ان کو بھی بعد میں مجبور ہو کر وہ بات کہنی پڑی جو وہ کہنا نہیں چاہتے تھے ۔ میرے دوستو ! آپنے ایسا اِمپریشن مجھ پر ڈالا کہ اس کے بعد میں نے یہ تحریر یہاں لکھ ڈالی ۔ چونکہ اردو میں کچھ شعر آپ کو بتانا ہے ۔ عارف صاحب جیسے لوگ ہوں یا اُننی کرشنن جیسے سیامستداں ہوں وہ شروع میں جو کانسٹی ٹیوشن سے بات لائے وہ مجھے بہت غلط لگی ۔ اقتدار جب جانا ہے تو جانا چاہیئے اور ڈِگنٹی رہنی چاہیئے ۔ آپ اپنے جو الفاظ اس سدن میں بولیں گے تو اس لئے دیوی لال جی نے جب اپنی سادگی میں آپ کو یاد دلایا کیا جہاز آپ نے نہیں بھیج دیا تھا ۔ کیا یہ غلط بات ہے وہ پرشن تو اسی وقت آگیا تھا جب ہم جیسے لوگ جانتے ہیں اس لئے جب سِدّھانت کی بات ہوگی ، اُصول کی بات ہوگی تو بہت خیال کر کے بولنا چاہیئے ۔ فیض کا ایک شعر مجھے یاد آرہا ہے : آپ خود ہی جج بھی بنتے ہیں خود ہی مدعی بھی بنتے ہیں

"بنے ہیں اہلِ ہَوَس مُدّعی بھی مُنصِف بھی
کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں"

You think you are the only honest people in this country. You think you are the only people who work for *sidhant*. That assertion is wrong. I know some facts. I am here for the third term. I have met people. I know facts.

شروع میں دیوی لال جی نے بڑے کمال کی بات کہی تھی ۔ میرا دیوی لال جی سے قریب کا تعلق نہیں ہے ۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا جب پریزیڈیم یہاں مل رہا تھا، ٹیلی ویژن کے ہمارے بھائی جواب یہاں نہیں ہیں وہ یہاں منتری تھے، انہوں نے ٹیلی ویژن کا بہت غلط استعمال کیا، جب پریزیڈیم مل رہا تھا تو اسوقت اُنتی کرشن کی اور ان کے صدر یہاں تھے تو دیوی لال جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نیشنل فرنٹ کی میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تو ان کا بولنے کا انداز ہے بہت سادگی کا مگر اسمیں کچھ کاٹ ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کیسا نیشنل فرنٹ ایک آدھ ہی تو ممبر ہے عزت رکھنا چاہتے تھے ورنہ کیسا پریزیڈیم لوک سبھا میں کسی کا ایک ممبر ہے وہ پارٹی بنا بیٹھا ہے۔ فرنٹ تو وہ ہوتا ہے جب آپ عام لوگوں کی طرح سے بولیں ۔

بہرحال آج یہ سوال ہمارے سامنے کہ گیارہ مہینے میں حکومت نے کیسے سرکار کو چلایا ہے، وہ میں چند منٹوں میں بتانا چاہتا ہوں ۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ انہوں نے بی ۔ جے ۔ پی اور کمیونسٹوں کے سہارے سے حکومت چلائی اور میں یہ مانتا ہوں میں نے دیکھا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاتا ۔ انہوں نے نیشنل فرنٹ بھی بنایا اور جنتا دل بھی بنایا نیشنل فرنٹ تو تھا ہی نہیں لیکن جنتا بھی نہیں تھا ۔ یہ جنتا دل نہیں تھا، ندر سے سوشلسٹ گروپ الگ تھا، جن مورچہ الگ تھا، لوک دل الگ تھا اسی لئے اپنی پھوٹ سے یہ ٹوٹے ہیں ۔ جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے آپ ہمکو یہ بتاتے ہیں کہ بی جے پی بڑی کمیونل پارٹی ہے ۔ میں کبھی یہ نہیں مان سکتا یہ ریسٹرو پیکٹو لی کیسے کہہ سکتے ہیں آج کے دن کی بی جے پی خراب ہے ۔ یہ سوال آپ اس دن سوچ لیتے جب آپ نے ایک طرف انکے ساتھ ہاتھ ملایا، اد

دوسری طرف آپنے بی۔ جے۔ پی کا سہارا لیا۔ بی۔ جے۔ پی کی بھی ایک بات مجھے یاد آرہی ہے کہ ایڈوانی جی کا قصور نہیں ہے آپ کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ آپ نے صلاح مشورے سے اس حکومت کو نہیں چلایا۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں' ایڈوانی جی یہاں بیٹھے تھے' ایڈوانی صاحب نے ریزرویشن کے معاملے میں تقریر کی اور اس وقت کے وزیر اعظم وی پی سنگھ صاحب بیٹھے تھے جن کے لئے میرے دل میں بڑا احترام ہے' جب بھی میں ان سے ملا' میں مایوس ہوکر نہیں لوٹا۔ میں مانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہیں' اور شریف آدمی ہیں مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پاسوان صاحب کو اور شرد یادو صاحب کو انہوں نے اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی تھی۔ پاسوان میرے دوست ہیں۔ یہاں جب ریزرویشن پر ایک دن پاسوان صاحب کھڑے ہوگئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سدن بھارت نہیں ہے' ریزرویشن کی جو پالیسی وضع کی گئی ہے اس کو ضرور اِمپلی مینٹ کیا جائیگا' اس وقت ایڈوانی جی یہاں کھڑے ہونے کے لئے مجبور ہوگئے۔

It is Mr. Paswan who pushed Shri Advani to the wall.

اور ایڈوانی جی نے انکو کہا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ مشورے کے بغیر آپ کریں گے' ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ ایڈوانی جی نے اسوقت جو الفاظ استعمال کئے کہا

This minority Government cannot take such a big decision.

اس حکومت کے گرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ نہیں کیا اور اندر سے یہ خود جنتا دل میں گروپوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ جو ایک چھوٹی جماعت میں بھی اندر سے بٹے ہوئے ہیں وہ کیسے ملک کو صحیح سمت میں لے جاسکتے ہیں؟

..... (اِنٹرپشنس) ..... میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں' انہوں نے کمیونسٹوں کیساتھ

ناانصافی کی ہے ۔ ہمارے کمیونسٹ بھائیوں کے سدّھانتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں ۔

Often I feel I belong to leftist

انہوں نے کمیونسٹوں سے یہ ناانصافی کی کہ یہ کچھ پالیسی بی جے پی کے ساتھ بتاتے تھے اور کچھ پالیسی لیفٹ کے ساتھ بتاتے تھے ۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا .... (انٹرپشنس) ....

جو سدّھانت بنانے ہیں شری وی پی سنگھ نہیں بنائیں گے باقی لوگ بنائیں گے جنکو منسٹری جانے کا افسوس ہو رہا ہے ان سے میں پوچھتا ہوں، سارے سوال نہیں پوچھوں گا ۔ مدھو ڈنڈاوتے جی پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے ۔

Madhuji, I know, you are a professor of physics. But I have been a student of economics. Even then I my tell you what is the growth of index What is the rate of inflation ? You are selling *Tambaku* at the rate of Rs 40 per kilogram. There is no agency to even assess the index at the grassroot level. Madhuji, perhaps, I feel that you have lost your elegance the moment you joined the Government. When he was in the opposstion, he was our leader. He lost that elegance because he misled tnis House He misied the then Prime Minister by saying that within a month the prices would come down. I raised that question here. I raised that question in the Consultative Committee attached to the Ministry of Peroleum. I asked the question from the then Prime Minister, "are you befooling us ? Can prices come down ? At this point of time, how the prices would come down ? Therefore, what is the position in respect of balance of foreign exchange ?" We know the kind of legancy that you have left for Mr. Chandra Shekhar. I will come again to the policy on Kashmir

کشمیر کی پالیسی جو انہوں نے بنائی ہے اس پالیسی کے بارے میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ۔ وی پی سنگھ جی نے کشمیر کو اپنے قابل ہوم منسٹر کے سپرد کر دیا ۔ جتنے میمورینڈم ہم ان کو دیتے تھے وہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے تھے ۔ آپ کی حکومت میں آپ نے کشمیر کو برباد کر دیا ۔ وہاں کیا نہیں ہوا ہے ۔ جس قاتل کو آپ نے وہاں بھیجدیا آپ سدّھانت کی بات کرتے ہیں ..... (انٹرپشنس) .....

آپ نے ہندوستان کے آئین کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا ۔ ۳۷۰ کو بھون ڈالا، اور اس استھتی میں آپ نے کمپوزیشن کے بعد وہاں ایک ایسے شخص کو بھیجدیا جس نے وہاں تہ و بالا کر دیا ۔ اس کے بعد وہاں مولوی فاروق کا قتل ہوا اور کشمیر میں گولیاں چلیں ۔

اِس شام کو چندر شیکھر جی اِندرجیت گپتا سومناتھ چٹرجی نے یہاں آواز اٹھائی تھی کہ اسکو یہاں بلاؤ۔ لیکن آپکے اپنے جنتادل میں جسمیں بی جے پی کا قصور نہیں آتا ہے جو جن مورچہ تھا اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انعام دینا چاہئیے اور انہیں اس ہاؤس میں انعام دے دیا۔ اِس کے بعد اس حکومت میں یہ ہوا کہ ایک بار بھی وزیر اعظم وی پی سنگھ کشمیر نہیں گئے۔ ان سے یہاں کہا اور ان کے گھر پر بھی جاکر کہا اور دس میمورینڈم کے ذریعہ ان سے کہا کہ کچھ دیر کے لئے وہاں جائیے اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دو آنسو بہائیے..... (اِنٹرپشنس)..... آپ کیوں نہیں گئے کشمیر میں۔ اِس کے مقابلے میں آپکے ہوم منسٹر کی طاقت سے وہاں دو کالے قانون بنائے گئے جسمیں آگ زنی ارزنی ریپ اور ہر قسم کی چیزیں ہو گئیں اور آپ کو ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر اس بھارت کے وہ سپوت جو جرنلسٹ ہیں اپنی جیت پر انہوں نے خطرہ مول لیا ہے۔ اگر ہمارے جرنلسٹ بھائی اور بہنیں وہاں پر نہیں گئے ہوتے، ہیومین رائٹس آرگنائزیشن تارکنڈے سرکردہ اور دوسرے لوگ وہاں نہیں گئے ہوتے اور اِنی شیٹیو گروپ کے لوگ وہاں نہیں گئے ہوتے۔ ایمنیسٹی اور امریکہ میں جو آرگنائزیشنس ہیں انسانی حقوق کی بحالی کے لئے انہوں نے ساری دنیا میں ہمارے ماتھے پر کلنک لگایا ہوتا۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ آنسو بہائے میں نے وی پی سنگھ سے کہا کہ کم سے کم ایک پارلیمنٹری ڈیلی گیشن بھیجئے اور آپ میں یہ ہمت بھی نہیں اور جسوقت کشمیر کے لئے آپنے جارج فرنانڈیز کو پھنسایا اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز سے آپنے مینڈیٹ حاصل کیا راجیو جی سے مدد مانگی تھی۔ سومناتھ چٹرجی اندرجیت گپتا سے طے کیا تھا، ایل کے ایڈوانی کو بلایا تھا اور پریذیڈینٹ کے آرڈر سے جارج فرنانڈیز بنے تھے، لیکن جب جارج فرنانڈیز کو ہٹایا اور اسلئے ہٹایا کہ جارج فرنانڈیز تھوڑی سی کوشش کرنے لگے تھے کہ وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ آنسو بہائیں۔ ابھی بیچارے نے آنسو بہائے بھی نہیں تھے، آپ نے اُنکو ہٹایا اور کیسے ہٹایا یہاں کوئی ڈِسکس نہیں کیا، ڈِسمس کر دیا ایوان کو۔

آپ نے پریزیڈینٹ سے آرڈر نہیں مانگا کہ اسکو ہٹایا جائے گا۔ آپ نے پولٹیکل پارٹیز کو نہیں بلایا اور آپ نے ڈائریکٹ ٹیلی فون پر جارج فرنانڈیز کو کہا کہ اب آپ کشمیر کے منسٹر نہیں ہیں ..... (انٹرپشنس) ..... میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انکو کیا اختیار ہے جب موشن کے دن وہ کہتے تھے کہ اُنکی حکومت کو بہومت ملنا چاہئیے۔ میں آج دل و جان سے اس ایوان کو نئے وزیر اعظم کا استقبال کرتا ہوں اور وہ جو موشن رکھ رہے ہیں اُسکا سمرتھن کرتا ہوں۔

مجھے امید ہے کہ ان دو دنوں میں مَیں نے ان کے ہوم منسٹر کو اور خود وزیر اعظم کو کہا کشمیر سے جگموہن نے ٹانڈا کی فورس جموں منتقل کر دی تاکہ کشمیر کے لوگوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک ملاقات میں چندر شیکھر جی کو پانچ منٹ تک سمجھایا لیکن اُن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سری نگر میں بھی ٹانڈا کا ٹیررسٹ اینڈ ڈِسرپٹو ایکٹی ویٹیز (پریوینٹیشن) ایکٹ کے تحت یہ فورسیز سری نگر میں بھی ہونے چاہئیں کیونکہ وہاں بے گناہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کا تدارک کیا اس حکومت نے وہاں کریڈٹ لینا چاہا تھا' میں نے اس فاؤل گیم کو وہاں ختم کر دیا اور کہا کہ یہ نئے وزیر اعظم نے ہماری درخواست پر کیا ہے اور ٹانڈا فورسیز سری نگر منتقل ہو گئیں۔ دو مہینے سے وہاں ملازمین کی شکست ہو رہی ہے' چپڑاسی سے لیکر چیف سیکریٹری تک' لیکن اس حکومت نے مجال ہے کہ ملازمین سے پوچھا ہو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں' کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو ان کے چیف سیکریٹری نے کہا کہ ہوم منسٹر آکر خود ہی رو دیں گے سر کے بل آئیں گے۔ کیا کشمیر کے دو لاکھ ملازمین کو سر کے بل سیکریٹریٹ لانے سے دل جُڑ جائیں گے۔ نئے وزیر اعظم سے میں نے کہا کہ جناب میرا سجھاؤ یہ ہے' میرا

پرسیشن یہ ہے کہ اگر گورنمینٹ چاہتی ہے کہ وہ سر کے بل آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اطمینان اور سکون سے آئیں، ہمارے جسم کا حصہ بنکر آئیں تب وہ کام کریںگے ...(انٹرپشنس)...
میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے بارے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں ...(انٹرپشنس)...
میں ایک شعر بتانا چاہتا ہوں ایڈوانی جی کو، وہ یہ ہے۔ .....(انٹرپشنس)...ایڈوانی جی کی خدمت میں مَیں یہ عرض کر رہا ہوں، جو شعر ٹیلی ویژن پر بھی کہا جاتا ہے:-

"اس کے فروغ حسن سے چمکے ہے سب میں نور
شمع حرم ہو یا کہ دیا سوم ناتھ کا------"

یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اور میں انکو بتاتا ہوں کہ یہ مسلمان کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خدا ہے جسکو آپ رام کہتے ہیں، جسکو بدنام کرتے ہیں، یہ اسی کا حُسن ہے اسی کی بیوٹی ہے جسکی ہر جگہ چمک رہی ہے۔ چاہے مکّہ ہو، مکّہ کی شمع ہو یا سوم ناتھ دیا ہو وہ آپ صبح ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں لیکن آپ غور نہیں کرتے ہیں۔....(انٹرپشنس)...ایڈوانی جی آپ نے رتھ یاترا کی جسکو ہم سمجھتے ہیں ووٹ یاترا تھی۔ آپنے اپنا سمبل دیا۔

اب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کو رام اور بابر کا مسئلہ نہ بنائیے۔ یہ بڑی بے انصافی ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ رام اور بابر کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رام کا مرتبہ بلند ہے۔ علّامہ اقبال نے رام کو "امامِ ہند" کہا ہے۔

He is the leader the philosopher and the guide for all the people. This is Allama Iqbal. Could there be a better Muslim than Allama Iqbal?.....

Interruptions............

Deputy-Speaker: Please conclude. There [illegible] other Members to speak

[پروفیسر سیف الدین سوز : اس لئے مسلمانوں سے ناانصافی مت کیجئے ایڈوانی جی آپکو بات چیت کے لئے کوشش کرنی چاہئیے ۔ اب میں ایک شعر دی پی سنگھ ڈنڈاوتے جی اور ان کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں

They are presenting themselves before the nation as saints.

میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں .... (انٹرپشنس).....

ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے' اس لئے نئے وزیر اعظم نے چیتاونی دی تھی کہ ایسی کوئی بات نہ کہیئے جس سے ہم جواب دینے کیلئے مجبور ہو جائیں۔ میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔

I want somebydy to interpret it into English Your are all clean ! Don't prolong this story; don't magnify the conceit of your own cleanliness. Dont's make it something very big.

"اِتنی نہ بڑھا پاکئی داماں کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندِ قبا دیکھ ۔"]

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल, मुस्लिम लीग की ओर श्री चन्द्रशेखर सरकार को समर्थन और सहयोग देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सोचता हूं, कि जहां तक श्री चन्द्रशेखर का सम्बन्ध है, उनकी ख्याति एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में है और इस पर किसी को शक नहीं हो सकता। जब मैं कहता हूं "हम इस सरकार का समर्थन करें" तो इसके लिए मेरे पास उपयुक्त कारण है और यह मैं देश के हित में कर रहा हूं।

मुझे यह स्पष्ट करने दें कि हम चुनावों से घबराते नहीं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रत्येक को कभी न कभी चुनावों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। किन्तु, आज मुझे यह भी चिन्ता सता रही है कि यह समय मध्यावधि चुनाव करवाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक बहुत तर्कसंगत कारण है जिसे प्रत्येक को याद रखना पड़ेगा। यदि आज हम चुनाव करवाते हैं, तो बहुत ईमानदारी और गम्भीरता से मैं यह कहूंगा कि तब देश को रक्तपात का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों के अन्दर आज चुनाव करवाना विनाशकारी होगा। अगर आज हम चुनाव करवाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता के हमारे सभी आदर्श, राष्ट्रीय अखण्डता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र के हमारे सभी आदर्श पूर्णतः खण्डित हो जाएंगे। इसलिए हमें यह समझना चाहिए अगर आज चुनाव करवाए जाएं तो सिर्फ संहारकारी, फासिस्ट, और साम्प्रदायिक शक्तियां ही इससे लाभान्वित हो सकती हैं और इनकी सफलता भविष्य में हमारे देश का विनाश कर देगी। हमें यह भी समझना चाहिए कि आज सम्पूर्ण देश भावनाओं में बह रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पिछले महीने और इस महीने भी गुजरात में गोधरा में, राजस्थान में उदयपुर और जयपुर में तथा मध्य प्रदेश में इन्दौर में दंगे हुए थे और उत्तर प्रदेश के 33 शहरों में तो कर्फ्यू लगा ही हुआ था। बिजनौर में सैकड़ों मुसलमान मारे गए, जिसने पिछले वर्ष के भागलपुर हत्याकाण्ड को भी पीछे छोड़ दिया। हम इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये सब इस कुख्यात रथयात्रा के परिणाम हैं और कोई इस पर विवाद नहीं कर सकता। (व्यवधान) यह इस कुख्यात रथयात्रा का ही परिणाम है। आज मैं, दिल्ली में कल और परसों हुई साम्प्रदायिक हिंसा को नहीं भूल सकता। उसमें हत्याएं, आगजनी और लूटपाट हुई और अभी भी तनाव बना हुआ है। यह फासिस्ट और साम्प्रदायिक शक्तियों का षडयन्त्र है। सम्पूर्ण देश का वातावरण पहले ही रथयात्रा द्वारा जहरीला हो गया था।

6.00 म० प०

यह सब रथयात्रा का परिणाम था कि देश में हिंसा हुई।

दिल्ली में कल और परसों हुई साम्प्रदायिक हिंसा का उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता। सरकार को पता लगाना चाहिए कि इस सबके लिए उत्तरदायी कौन है। प्रशासन और पुलिस वहां असफल रही। वहां हत्यायें की गईं, आगजनी हुई और घरों को जलाने और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट के कारण वहां पूर्ण विनाश हुआ था। स्थानीय पुलिस ने स्थिति को बहुत गलत ढंग से संभाला। मुझे प्रसन्नता है, कि कल प्रधान मन्त्री ने दंगाग्रस्त इलाके का दौरा किया। आज, उन्होंने सदन में घोषणा की है कि शांति स्थापित करने के लिए वे किसी के भी खिलाफ कार्यवाही करने में हिचकेंगे नहीं, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो। मुझे विश्वास है, कि उन्होंने प्रशासन तन्त्र को शांति बहाल करने के लिए सचेत रहने और अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करने का निर्देश दिया होगा। देश में हिंसा फैलाने और देश की शान्ति भंग करने के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ उन्हें कार्यवाही करनी

चाहिए। मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री इस सम्माननीय सभा में आज दृढ़संकल्प से की गई इस घोषणा को भविष्य में याद रखेंगे।

यह अत्यन्त दुःखदायी है कि ऐसी संकटपूर्ण और नाजुक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अगले महीने की 6 तारीख से दोबारा कार सेवा के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं। वे पिछले महीने रथयात्रा से हुआ विनाश देख चुके हैं और आज वे 6 दिसम्बर से कार सेवा शुरू करने की बात कर रहे हैं। मैं यह सोच कर कांप उठता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे देश का क्या होने जा रहा है।

(व्यवधान)

एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब स्थिति बहुत गम्भीर थी, तो विश्व हिन्दू परिषद् के नेता ने एक घोषणा की थी कि अगर एक मस्जिद उन्हें नहीं दी गई, तो वे बलपूर्वक 3,000 मस्जिदें छीन लेंगे और कोई भी सरकार मुसलमानों को नहीं बचा पाएगी। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री को भी इस घोषणा और इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। मैं जब वर्तमान स्थिति के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : प्रधान मन्त्री की नीति क्या है ? (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुझे आप सबसे कहना होगा कि हम सब पर्याप्त रक्तपात और विनाश देख चुके हैं। आइए हम इस पर विराम लगाएं। हम इस देश में शान्ति से रहें। हम सभी भाई हैं। इसलिए, मुसलमान होने के नाते''' (व्यवधान)

डा० विप्लव दासगुप्त : आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : कौन कहता है ? (व्यवधान) कोई मेरे विरुद्ध नहीं बोल सकता। (व्यवधान) मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे देश और जनता के सामने आए इन खतरों पर गम्भीरता से ध्यान दें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं।

दुर्भाग्य से, मेरे यशस्वी मित्र, श्री आडवाणी यहां नहीं हैं। भा०जा०पा० के अपने मित्रों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे श्री आडवाणी जी को सूचित कर दें। मैं चाहता हूं कि वे अगले महीने की 6 तारीख से कार सेवा शुरू करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इसका विचार त्याग दें। यह देश के लिए विनाशकारी होगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हिंसा और कट्टरपन का रास्ता छोड़ दें और बातचीत करके बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि समस्या के इस अत्यन्त संवेदनशील और उत्तेजक मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें। हम सब साथ-साथ बैठ कर पूरी गम्भीरता और निष्ठा के साथ, इस मुद्दे को निपटाने में सफल हों और फिर हम दोबारा न्यायालय में तो इसे ले ही जा सकते हैं। इस देश की राजनैतिक स्थिति, चाहे वह कश्मीर की स्थिति हो या, पंजाब की या फिर असम या तमिलनाडु की, सभी स्थानों पर अत्यन्त खराब है। हर जगह आतंक और भय व्याप्त है। कितने लोग मारे गए हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम चुनाव करवा सकते हैं ? क्या यह सम्भव है ? चुनाव करवा कर क्या आप देश को नष्ट करना चाहते हैं ?

हमारी अर्थव्यवस्था भी संकट में है। अभी खाड़ी संकट भी छाया है और इस खाड़ी संकट के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी क्योंकि युद्ध होने की सम्भावनाएं हैं। भगवान् हमें युद्ध से बचाए। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति इन सभी की मांग है

कि देश के हित में आज चुनाव नहीं होने चाहिएं। इस परिस्थिति में, चुनावों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द्र स्थापित करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए हम एक विकल्पात्मक सरकार बनाएं। हमें एक विकल्पात्मक और स्थिर सरकार स्थापित करने के साधनों की खोज करनी होगी। विपक्ष के नेता, श्री राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और वे सरकार नहीं बना पाए। कोई अन्य सम्भावना नहीं थी और अन्त में यह समाधान निकाला गया कि सिर्फ श्री चन्द्रशेखर ही सरकार बना सकते हैं। यह समाधान बहुत स्पष्ट है। इसलिए, एक सरकार स्थापित करनी है। श्री चन्द्रशेखर जिसे हम समर्थन दे रहे हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य यह नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार कम से कम कुछ वर्षों तक स्थिर सरकार बनी रहेगी जिससे वे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तथा वर्तमान स्थिति को सामान्य बना सकते हैं तथा तत्पश्चात् हम चुनाव करा सकते हैं। आज राष्ट्रपति के सभी प्रयासों के बावजूद केवल एक ही वैकल्पिक सरकार सम्भव हो सकी है तथा वह है चन्द्रशेखर सरकार। मैं आशा करता हूं कि हम सभी साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने में तथा देश की अखण्डता की रक्षा करने में अपने पूरे प्रयास करेंगे। तत्पश्चात् हम एक बेहतर वातावरण में चुनावों का सामना कर सकते हैं। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्र तथा राज्यों में स्थिरता होनी चाहिए। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अतः मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह यादव सरकार को किसी भी तरह अव्यवस्थित नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे सत्ता में बने रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यह गलत बात कह सकते हैं कि सभी सरकारें मुसलमानों को खुश करने की नीति अपनाती है, किन्तु वे झूठे तथा आधारहीन हैं। वास्तविकता यह है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव बरता गया है तथा उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिला है। अतएव मैं प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुस्लिमों के साथ न्याय किया जाए। उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उन्हें भी सम्मान, प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, उनके भी हितों की रक्षा की जानी चाहिए तथा उनकी भी अपनी पहचान होनी चाहिए। अन्त में, मैं एक प्रसिद्ध कवि जिगर मुरादाबादी के एक शेर को उद्धृत करना चाहता हूं :

[हिन्दी]

चमन-चमन ही नहीं, जिसके गोशे-गोशे में,
कहीं बहार न आए, कहीं बहार आए,
ये मैकदे की साकी गरी की है तौहीन,
कोई हो जामे बकफ, कोई शर्मसार आए।"

[अनुवाद]

अतएव, मैं प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुस्लिमों को न्याय, समानता, प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए तथा उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। मुझे आशा है कि बाबरी मस्जिद मुद्दे का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी। पांच मिनट तक बोलिए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : हमारी पार्टी के तीन सदस्य चुनकर आए हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : घन्टी बजाने के बाद आप सीट ले लें तो बहुत अच्छा होगा और बहुत कृपा होगी ।

कुमारी मायावती : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर जी के विश्वास प्रस्ताव पर मैं अपनी पार्टी की कुछ राय रखूं, उससे पहले आपके मार्फत मैं प्रधान मन्त्री जी से कुछ अपील करना चाहती हूं । अपील करने से पहले मैं पूरे सदन को बड़े खेद के साथ अवगत भी कराना चाहती हूं कि जब मैंने 7 नवम्बर को माननीय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह जी की दोगली नीति के बारे में तगड़ा प्रहार किया···(**व्यवधान**)···आप सुन लीजिए, नहीं जानते हैं । तो कोई छोटा स्कूल आपके सिखाने के लिए हम बना देंगे । मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 7 तारीख के बाद मेरे घर पर कुछ असामाजिक तत्व भेजे गए । जिन्होंने मेरे घर पर जाकर यह धमकी दी कि यदि आपने श्री वी० पी० सिंह जी को समर्थन नहीं दिया तो हम आपके घर की एक-एक ईंट को उखाड़कर ले जाएंगे । जब वे हमारे घर पर आए तो मैं बिजनौर गई थी और 12 तारीख को घर पर आई तो मुझे सूचना मिली और मेरे परिवार के लोगों ने जिनको कुछ को वे पहचानते थे, पहचाना था उनके नाम लिखित रिपोर्ट भी लिखाई । यह जानकारी मैंने सदन के सामने रखी, लेकिन मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से अपील करती हूं और बताना चाहती हूं कि पिछले 11 महीनों में जनता दल की सरकार थी और अब जो सरकार बनने के लिए जा रही है वह भी जनता दल की सरकार है । लेकिन जो पहले जनता दल की सरकार थी उसको सहयोग किन पार्टियों का मिला, बी० जे० पी० और वामपंथी दल चलाते थे । जो वे खुद ईमानदारी से इस बात को सदन के अन्दर नहीं कह पाए, लेकिन महसूस जरूर करते होंगे कि माननीय वी० पी० सिंह जी कि जो कुछ वे करना चाहते थे, लेकिन अल्पमत में होने के कारण बी० जे० पी० और वामपंथी दलों ने गरीबों और मजलूमों के हित में आपको करने नहीं दिया । आज जो जनता दल की दूसरी सरकार बनी है, इसे बनाने में कांग्रेस पार्टी, एक बड़ी पार्टी का हाथ है और अन्य दूसरे दलों का भी हाथ है । मैं बताना चाहती हूं कि पहले जो जनता दल की सरकार थी उसने एस० सी०, एस० टी०, ओ० बी० सी० और माइनोरिटीज के हित में इन लोगों को आश्वासन जो दिया था जिसे आप दलित यदि उसका आधा हिस्सा भी पूरा कर देते तो शायद हमारे भाई वी० पी० सिंह जी को यह दिन देखने न पड़ते, लेकिन मैं मौजूदा प्रधान मन्त्री जी से भी गुजारिश करती हूं कि यदि आप भी श्री वी० पी० सिंह के रास्ते पर चले तो हम इस मामले में स्पष्टवादी हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी तो उस मौके पर हम न्यूट्रल रहे थे । हमने न तो किसी का फेवर किया और न किसी का विरोध किया था । जो बात सही थी, उसकी सराहना की थी और जो बात गलत थी, उसका हमने विरोध किया था । आज भी हमारी यही नीति है लेकिन आज स्थिति को देखते हुए हमें उसमें कुछ बदलाव करना पड़ा है । पिछले 11 महीनों के अन्दर देश में जो तोड़-फोड़ हुई है तो हमारा देश इस हालत में नहीं है कि चुनाव कराए जाएं । यद्यपि बी० जे० पी० और जनता दल चुनाव के हक में थे लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस समय चुनाव हों । हमारी पार्टी के प्रेजीडेंट मान्यवर श्री कांशी राम जी ने यह फैसला लिया था कि यदि माननीय वी० पी० सिंह अपना विश्वास का मत प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे मौके पर हम उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं और यदि नहीं कर पाते हैं और उनके विरुद्ध श्री चन्द्रशेखर जी विश्वास का मत प्राप्त कर लेते हैं तो देश के हित में हम उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं···(**व्यवधान**)···आप लोग सोच रहे है कि आशीर्वाद की बात क्यों लायी जा रही है ? आज बी० जे० पी० के लोगों को आशीर्वाद की बात सुनकर दुःख ऐसा क्यों हो रहा है ? क्योंकि इस देश के अन्दर हकीकत तो यह है कि जिनको अछूत माना जाता था, हाई कास्ट के हिन्दू लोग उनसे आशीर्वाद लेना तो छोड़ो आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं होते थे, साथ ही इनको

पार्लियामेंट और असेम्बली में भी, आने का मौका नहीं देते थे, आज अब वे आशीर्वाद देने लायक हो गए हैं जिसके लिए बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ी कोशिश की थी। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के कारण कम से कम एक अछूत का बेटा मान्यवर कांशी राम जी एक ठाकुर के बेटे को आशीर्वाद देने के काबिल तो हुए हैं। इसलिए मैंने यहां पर यह आशीर्वाद की व्याख्या बता दी है···(व्यवधान)···

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करना चाहती हूं। अभी थोड़ी देर में मतदान होने जा रहा है। जब 7 नवम्बर को माननीय श्री वी० पी० सिंह ने विश्वास का प्रस्ताव रखा था तो उस मौके पर भी मैंने यही कहा था कि यदि वी० पी० सिंह की सरकार तीन वोटों से गिरती है तो बी० एस० पी० अपना वोट उनको देगी लेकिन यदि आपकी सरकार तीन वोट से ज्यादा से गिर रही हो तो हम अपना वोट खराब नहीं करना चाहेंगे और इसीलिए हम लोग 7 नवम्बर को न्यूट्रल रहे। हम आज भी यहां माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी को बताना चाहते हैं कि वैसे तो इनको बहुमत मिल जाएगा लेकिन फिर भी तीन वोट इनके लिए सुरक्षित हैं। यदि तीनों वोटों की कमी के कारण आपका बहुमत गिरता है— तो हमारे तीन वोट आपके लिए जरूर दिए जाएंगे और यदि आवश्यकता नहीं पड़ी तो आज भी हम न्यूट्रल रहेंगे। इस देश के अन्दर 15% इस किस्म के लोग, मुट्ठीभर लोग हैं जिन्होंने आज तक इस देश के अन्दर हर किस्म की ताकत को अपने कब्जे में रखा है हम लोगों को बड़ी तो मुश्किल से बाबा साहेब डा० अम्बेडकर, महात्मा फुले, श्री रामास्वामी नाईकर एवं मान्यवर कांशी राम जी के नेतृत्व में उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का मौका मिला है और मान्यवर कांशी राम जी ने हमें राजनैतिक क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों के बताए हुए रास्तों पर सही प्लेटफार्म दिया है, इसलिए हम उनको अपना नेता मानते हैं अन्य दूसरे को नहीं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से गुजारिश करती हूं कि आप गरीब और मजलूमों के हित में काम करें। यदि इन गरीब और मजलूमों के हित के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको देंगे ताकि देश में गरीबों और मजलूमों का हित हो सके। इसलिए हम न्यूट्रल रहकर ही अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महाडीक जी, आप जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो बैठते नहीं हैं। मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं।

6.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

***श्री वामनराव महाडीक** (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा मन्त्री परिषद में प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव पर अपने दल तथा अपने दल के प्रमुख श्री ठाकरे के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया। वी०पी० सिंह सरकार में विश्वास प्रकट करने वाले प्रस्ताव का जब मैंने विरोध किया था तो इसका अभिप्राय यह समझा गया कि हमारा दल जनता दल को समर्थन देने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य का गलत अभिप्राय लिया गया तथा झूठा प्रचार किया गया। हर कोई सिद्धान्तों की बात करता है। परन्तु हर कोई राजनीति में अवसरवादिता से परिचित है। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो अथवा

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह सम्माननीय सदन हो, हम जानते हैं कि सिद्धान्तों के आधार पर नहीं बल्कि स्वार्थी राजनैतिक हितों के आधार पर सहयोग दिया जाता है । अतः हालांकि वे सहयोग दे रहे हैं परन्तु यह स्वार्थ-हित से मुक्त नहीं हो सकता ।

महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा दल नई सरकार को केवल तभी समर्थन दे सकता है जब यह सरकार पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का निर्णय करती है । वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने ग्यारह महीनों के शासनकाल में हिन्दुओं, हिन्दुत्व तथा हिन्दूवाद का अपमान किया तथा इसकी उपेक्षा की । अल्पसंख्यकों की संतुष्टि के लिए सरकार ने 'पैगम्बर जयन्ती' को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया । मैं सदन में यह जानना चाहता हूं कि राम अथवा कृष्ण जयन्ती को सार्वजनिक अवकाश घोषित क्यों नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में नई सरकार की नीति क्या होगी ।

राम जन्मभूमि मुद्दे को सभा में उठाया गया था । मैंने भूतपूर्व मन्त्री जी से दूरदर्शन पर बाबरी मस्जिद तथा राम जन्मभूमि के बारे में सही स्थिति दिखाने का निवेदन किया था। मेरी सूचना के अनुसार मस्जिद के कुछ भाग सूअर, चीते तथा मोर के चित्र दर्शाते है । मैं चाहता हूं कि आप विचार करें कि क्या ये चित्र मुस्लिम सभ्यता का अंग है । मैं नई सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह दूरदर्शन पर बाबरी मस्जिद तथा राम जन्मभूमि के बारे में सही स्थिति दिखाएगी ताकि देश को सही वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके ।

श्री मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अयोध्या की स्थिति को सख्त तरीके से निपटा था उसके परिणामस्वरूप अयोध्या में हत्याकांड हो गया तथा उनकी तुलना जनरल डायर से की गई तथा अयोध्या की स्थिति की तुलना जलियांवाला बाग से की गई । यदि आप मुलायम सिंह यादव को अपने केबिनेट में शामिल करना चाहते हैं तब हमें सोचना पड़ेगा कि हम आपकी सरकार को समर्थन दें अथवा नहीं । यदि हिन्दुओं के हितों की इस देश में रक्षा नहीं की जा सकती तब हम उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे । जब 'प्रताप' द्वारा हिन्दुओं की दुनिया को अनाथ कर दिया गया तब हमें विश्वास नहीं होता कि चन्द्र शेखर जिसमें 'चन्द्र' शामिल है वह वर्तमान स्थिति को कैसे बदल सकते हैं।

कश्मीर की समस्या एक ज्वलंत समस्या है । यदि वैष्णो देवी सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न होती है तब मुझे नहीं पता कि कौन से 'नाथ' उस समस्या का समाधान कर सकेंगे । इसी प्रकार से पंजाब, आसाम तथा तमिलनाडु की समस्याएं भी असाध्य हैं तथा मुझे नहीं मालूम कि कौन से 'सुबोध' तथा 'सहाय' (सहायता) से आप इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं । जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि हिन्दुओं के प्रति किए गए इस अन्याय को यह सरकार कैसे दूर करेगी हम तब तक इस सरकार को समर्थन नहीं दे सकते ।

मण्डल कमीशन रिपोर्ट के सम्बन्ध में मेरे दल के प्रमुख ने कहा है कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए । सभी जातियों के व्यक्तियों को भूख तथा भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ता है । भूख किसी जाति को नहीं जानती । यह सब जाति-बन्धन से हटकर है । अतएव गरीबों के साथ बिना किसी जातीय भेदभाव के समान न्याय किया जाना चाहिए ।

राम जन्मभूमि मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल तथा अन्य कई धार्मिक साधु सन्तों ने एक साथ इसका विरोध किया है तथा उन्होंने 'हिन्दुत्व' का नए रूप से प्रचार किया है । नई क्रान्ति की यह शुरुआत है । यदि आप राम जन्मभूमि, पंजाब तथा ऐसे ही साम्प्रदायिक संवेदनशील मुद्दों का समाधान करने में असफलता से उत्पन्न प्रतिक्रियावादी तथा आतंकवादी ताकतों द्वारा

लगाई गई साम्प्रदायिक आग को जलने से रोकना चाहते है तब हमे इन ताकतों को रोकना है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र ने अतीत में शक, हूण, मुस्लिम तथा ईसाईयों के ऐसे उग्र आंदोलन को सफलतापूर्वक रोका है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी तथा आतंकवादी ताकतों को रोकने के लिए सरकार की क्या नीति है तथा देश में अशांति उत्पन्न करने वाले जातीय बंधनों को तोड़ने के लिए तथा एक जातिहीन समाज के निर्माण की दिशा में सरकार की क्या नीति है। हम जानना चाहते हैं कि पुराने जनता दल तथा नए दल में क्या अन्तर है। चूंकि हमे यह सब ज्ञात नहीं है अतः हमारे दल ने नई सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर तटस्थ बने रहने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० राय—केवल दो मिनट। आप जानते हैं आपको किस प्रकार अपनी बात संक्षिप्त रूप में कहनी है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमारे लिए मिनटों में, और उनके लिए घण्टों में। महोदय, हमें विचलित न करें।

एक रहस्यमय सरकार द्वारा विश्वास प्राप्त करने के लिए सभा के सामने प्रस्ताव रखना हम सबका निरादर है। यदि 7 नवम्बर एक दुखद दिन था—एक सरकार का पतन हुआ था, यह एक बुरा दिन है—इसमें उन सभी मूल्यों का ह्रास हुआ है, जिसके बारे में मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। हम आज कौन सा दिन मना रहे हैं ? लोग कहते हैं कि पिछली सरकार के पतन से सबको राहत मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग है जिन्होंने पिछली सरकार के पतन की खुशी मनाई, और वे कौन से लोग हैं जो इस सरकार के बनने से खुशी मना रहे हैं। मैंने देखा है कि सभी अभिजात्य वर्ग, सभी सम्भ्रान्त वर्ग, समस्त शासक वर्ग, समाज के उच्च वर्ग के सभी लोग पिछली सरकार के गिरने का और नई सरकार के उदय का उत्सव मना रहे है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि धनबाद में कल अर्थात् 15 नवम्बर को बहुत ही पावन दिन था, जब उस क्षेत्र के लोग, झारखण्ड क्षेत्र के लोग बिरसा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं और बिरसा मुण्डा का जन्मदिन मनाने के लिए एक मंच बनाया गया था। और बिहार के मुख्य मन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव, आकर भाषण देने वाले थे। किन्तु उन सभी लोगों ने, जो इस नई सरकार के पक्ष में है, रात में सारे मंच को जला दिया। (व्यवधान) सारा पण्डाल जल गया, और इसी जले हुए पण्डाल में सारा उत्सव मनाना पड़ा। यह केवल शुरुआत है। मैं नहीं जानता यह कहां समाप्त होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि दलित, निर्धन, शोषित और पिछड़े वर्गों के लोग प्रसन्न नहीं हैं। वे उत्साहित नहीं है। किन्तु वे माफ भी नहीं करेंगे। मैं यह कहता हूं। उस सरकार का क्या दोष है ? उस सरकार के कई अपराध हैं, और इसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि इसने समाहित हितो को छूने का साहस किया है। यही इसका सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए इस सरकार का पतन हुआ।

जब इस सरकार ने पंजाब के मुद्दे पर समझौता किया था तब यह सरकार नही गिरी, हालांकि यह एक बहुत बड़ी भूल थी; जब इसने कश्मीर के मुद्दे पर समझौता किया था, तब यह सरकार नही गिरी, जब इसने औद्योगिक नीति के मुद्दे पर समझौता किया, तब यह सरकार नही गिरी; जब इसने विदेशी एकाधिकारियो को रियायत दिए जाने पर समझौता किया था, तब यह सरकार नहीं गिरी। यह तब गिरी जब इसने धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर छूट देने के लिए [illegible] कर दिया; यह तब गिर गई।

इसलिए हम सब—सभी वामपंथी—इस नई सरकार को समर्थन देने और इसे चलाने के लिए वचनबद्ध थे।

श्री आडवाणी की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। अपनी तर्कशक्ति और आत्म संयम के कारण वे भाजपा के सदस्य नहीं लगते हैं। (व्यवधान) इसलिए वे विलक्षण व्यक्ति हैं। (व्यवधान) वे भाजपा के सदस्य नहीं लगते हैं; वे पूर्ण सज्जन व्यक्ति लगते हैं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूर्णतया सज्जन व्यक्ति, भाजपा के नेता, ने इस सरकार की आलोचना की थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार को कौन लाया। यह दल-बदलुओं की सरकार है। चरण सिंह की दल-बदलू सरकार की और बात थी; उन्होंने हमें इसे लम्बे समय तक झेलने का कष्ट नहीं दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सरकार उन सब लोगों द्वारा लाई गई है जिन्होंने यह महसूस नहीं किया कि नया जनादेश प्राप्त करना ही केवल एक समाधान बचा है और इसमें शायद आपने भी योगदान दिया है। अन्यथा, मेरे दल का यह विचार है कि नया जनादेश प्राप्त करना ही एक तरीका बचा है। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : जब सरकार बनी थी वे जानते थे कि यह एक अल्पमत सरकार है। जब हमने संविधान का संशोधन किया था, हमने यह प्रावधान किया था कि कोई भी सरकार, यदि वह अल्पमत हो, तो स्वैच्छिक रूप से संसद को भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकती। यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने संसद भंग करने की सिफारिश भी की थी; तो राष्ट्रपति को इसे सुनना आवश्यक नहीं था। वे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने की पेशकश कर सकते थे। यह संवैधानिक स्थिति है। वे यह जानते हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनकी सलाह बाध्यकर नहीं होती।

श्री ए० के० राय : किन्तु सलाह तो दी ही नहीं गई थी। यह महत्वपूर्ण था। (व्यवधान) एक समझदार विवेकशील व्यक्ति ऐसी सलाह क्यों देगा जो बाध्यकर नहीं होगी? (व्यवधान) हमारी सलाह इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया था? आडवाणी जी जैसे व्यक्ति का रथ आगे बढ़ा और इसके साथ यह सरकार भी उस स्थिति की ओर बढ़ी; दोनों घटनाएं एक साथ हुई। लोग क्या समझेंगे? लोग यह समझेंगे कि आपकी, भाजपा की और कांग्रेस (ई) की कोई गुप्त सहमति थी और इसी से यह सरकार गठित हुई। यही वह उत्पाद है। (व्यवधान)

मैं पूछता हूं : आपने यह कांग्रेस (ई), जनता दल (स) और अन्य दलों के द्वारा क्यों किया? आप सीधे सरकार बना सकते थे। आपके 86 और 192 हमें एक स्थिर सरकार दे सकते थे। "जब प्यार किया तो डरना क्या"। (व्यवधान) इन सबकी क्या आवश्यकता है। मुझे बहुत हैरानी है कि भाजपा जैसा दल, जो हिन्दुत्व की बात करता है और दूरगामी राष्ट्रीय हित की बात करता है, वह सम्पूर्ण देश को राम के मन्दिर के नाम पर चुनाव कराने के प्रश्न पर इस प्रकार के संकट में डाल सकता है। राम लोगों के दिलों मे रहते है। लोग पूछते हैं, "स्वर्ग का राज्य कहां है?" स्वर्ग का राज्य लोगों के दिलों में है। किन्तु ये लोग सोचते हैं कि राम उस स्थान पर रहते हैं और कहीं नहीं, यहां तक कि आडवाणी जी के हृदय में भी नहीं। ऐसी असंगत बातें हो रही है।

अन्त में, मैं श्री चन्द्र शेखर से कुछ कहना चाहूंगा जिन्हें मैं लम्बे समय से जानता हूं। धनबाद के होने के कारण वे प्रायः उसे सम्मानित या अवमानित करते थे। चन्द्रमा एक उपग्रह है, यह सितारा

नहीं है और न ही ग्रह है। इसलिए, कोई हैरानी की बात नहीं है कि राजनीति में भी वे एक उपग्रह के रूप में रहेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सारे वाद-विवाद को सुन दुख हुआ है। मैं अपने मित्र श्री साठे के भाषण के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी रंजिशों और शिकवों के बावजूद मेरे भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल के मित्रों ने वाद-विवाद का स्तर उठाया है। मैं कट दोषारोपण पर गौर नहीं करूंगा, नहीं मैं उनका उत्तर देना पसंद करूंगा। लेकिन, निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत सार्थक प्रश्न किया है। इस सरकार का क्या कार्यक्रम है ? या वे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आने वाले दिनों में राष्ट्र को चलायेंगे ? आज सुबह अपने भाषण के आरम्भ में ही मैंने कहा था कि हमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने चाहिएं। मैं महसूस करता हूं कि समय बहुत खराब आ गया है, हम अपने इतिहास के संकटपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। मैं बदनीयति का शिकार नहीं होना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और हमारे लोगों की क्षमता से हम मिलजुल कर और परिश्रम से सभी परेशानियों से पार पा लेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय हमें समझौते के क्षेत्रों की तलाश करनी होगी न कि टकराव और विरोध की बात करनी है। यह बात उन सभी देशों के मामले में सत्य है जो गरीबी, फटेहाली, दरिद्रता और बीमारी से लड़ रहे हैं। यह बात सम्पूर्ण विश्व के लिए भी सत्य है और इस उप-महाद्वीप पर तो खरी उतरती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस समय हमें विशेष मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत होने की कोशिश करनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे पूछा है कि चुनाव घोषणा पत्र क्या होगा। मैं सभी राजनैतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों की बात नहीं करना चाहता हूं। क्या आज हम तीन, चार या पांच मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते, जिससे हम यह कह सकें कि हम स्थिति को सुधारने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे ? उसके लिए इस देश में एक नया राजनैतिक माहौल पैदा करना होगा और इस राजनैतिक माहौल की पहल एक दूसरे की समस्याओं को समझ कर, एक दूसरे की आकांक्षाओं को समझ कर की जा सकती है। नाम लेने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी गर्मागर्मी में हम आपे से बाहर हो जाते हैं और दूसरों पर आक्षेप करने लगते हैं और मुझे भी इस बात का खेद है कि इस वाद-विवाद के दौरान मैं भी एक या दो बार आपे से बाहर हुआ। लेकिन, जब यह स्थिति प्रत्येक दिन मेरे सामने आती है तो इस कुर्सी पर बैठकर मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता हूं क्योंकि मुझे प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग, समर्थन चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने राजनैतिक दर्शन का बखान करूं तो मैं कहूंगा कि मैं एक प्रगतिशील व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति हूं और एक रूढ़िवादी व्यक्ति होने के नाते मैं हर दिन नहीं बदलता हूं। मेरा दर्शन वही है जो मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने मुझे युवा तुर्क सम्बोधित करके कहा है। इस देश के समक्ष और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारा समाज सीमित संसाधन वाला है। यदि संसाधन सीमित है, तो हमें फैसला करना होगा कि हमें अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है। हमें आंकलन करना होगा कि हमारी परि-सम्पत्ति कितनी है, हमारी ताकत कितनी है। प्रकृति ने हमें एक उपजाऊ भूमि दी है, एक अच्छी जलवायु प्रदान की है, इस देश में सभी प्रकार के फल और फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, लगभग सभी खनिज इस भूमि में मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इस देश में 85 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास वह शक्ति है जिससे इस देश को समृद्धि और उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। विगत में हमारी क्या खामियां रही हैं ? हम इन लोगों को, दुर्भाग्यशाली लोगों को जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अधिक उत्पादन करने के लिए, उनकी शक्ति का उपयोग करने हेतु अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए

हैं । हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, एक लोकतान्त्रिक समाज में हम उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं । हमें उनमें इच्छा शक्ति पैदा करनी है और यह इच्छा शक्ति हम कैसे पैदा करेंगे ?

इच्छा शक्ति तो यह आश्वासन देने से ही पैदा या प्रेरित की जा सकती है कि जिस चीज का भी वे उत्पादन करते हैं, वह कुछ ही चुनिन्दा लोगों के वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए ही नहीं होगी बल्कि हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगी । अतः, निवेश उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके और यह निवेश हमें प्रत्येक व्यक्ति को आधार मान कर करना पड़ेगा । जब मैं व्यक्तिपरक निवेश की बात करता हूं, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यत. इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा आज की ताकत और कल की आशा है । जो भी बच्चा आज पैदा होता है उसे पूरा अधिकार है कि उसे समाज से स्वच्छ पीने का पानी मिले, स्वस्थ नागरिक बनने के लिए आवश्यक भोजन मिले, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले और जब वह 18 वर्ष का वयस्क नागरिक हो जाए तो उससे जात-पात और धर्म का भेदभाव न किया जाए । यदि आप इन पांच बातों को हमारा चुनाव घोषणा पत्र मान लें, हमारा ध्येय, लक्ष्य समझें तो क्या इस पर इस सभा में कोई मतभेद है ? इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता । आप इस पर अमल क्यों नहीं कर सकते हैं ? लेकिन, यदि आप इन सिद्धान्तों पर काम करते हैं, तो हमें आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या के प्रति अपने रवैये में कई परिवर्तन करने पड़ेंगे और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि यदि संसाधन कम हैं और यदि देश गरीब है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग को इस गरीबी में साझेदार होना पड़ेगा । यह नहीं हो सकता है कि जो पसीना बहाते हैं, हमारे किसान हैं, हमारे खेतों और कारखानों के कामगार है, उन्हें हमेशा ही त्याग करने के लिए कहते रहें । पहले 4 दशकों से हमारी आजादी मिलने के बाद से हम उन्हें त्याग करने के लिए कहते आ रहे हैं ऐसा हम कब तक कहते रहेंगे ? उन्हें इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा कि इस गरीबी में वे लोग भी भागीदार होंगे, जिन्हें समाज में विशेष दर्जा हासिल है । इसलिए मैं यह अपील उन लोगों से भी करूंगा जो अमीर हैं, विशेष दर्जा रखते है । मेरे मित्र श्री ए० के० राय ने मुझे बताया कि वे मेरे साथ बहुत सहयोग करते है । मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यदि वे मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों को, हमारे गरीब वर्ग को प्रसन्न और समृद्ध बनाने के लिए कुछ त्याग करना सीखना चाहिए । यह करना इसके लिए बहुत जरूरी है ।

इस सन्दर्भ में हमे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे पूछा, "क्या आप औद्योगिक नीति संशोधित कर रहे हैं ? क्या पिछली सरकार ने कोई औद्योगिक नीति अपनाई थी ? कुछ खुलासा तो किया गया था । मुझे उस पर कुछ आपत्ति थी । सोमनाथ जी, मैं समझता हूं आपको भी ये आपत्तियां थीं । ये आपत्तियां किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं थीं । मैं इस सम्बन्ध में किसी भी चीज को तरजीह नहीं देता हूं । मेरा कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है । लेकिन, मैं समझता हूं कि इस देश में हम यह आशा नहीं कर सकते कि बाहरी ताकतों से पार पा लेंगे । मैं नहीं कहता कि हमें बाहर से सहायता नहीं लेनी चाहिए । आज के संसार में हमें बाहर की सहायता और समर्थन पर निर्भर रहना ही पड़ेगा । कुछ पेचीदा किस्म के क्षेत्रों में हमें नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना ही पड़ेगा और हमें इन क्षेत्रों को उन चीजों के लिए खोलना पड़ेगा, जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं । लेकिन, क्या आप हमारे सारे क्षेत्र अधिक सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं, आईसक्रीम का उत्पादन करने के लिए खोल रहे है ?

कृपया इस बारे में गौर कीजिए कि पिछले अनेक वर्षों के दौरान परस्पर सहयोग के अनुबन्ध हुए

और जो इन कुछ महीनों के दौरान हुए जब हम इस देश पर शासन कर रहे थे : उदारीकरण के प्रति मुझे आपत्ति नहीं है। हर जगह यह प्रश्न किया जा रहा है। अगर उदारीकरण से अभिप्राय लाल फीताशाही कम होना है, यदि इसका अर्थ रुकावटों, भ्रष्टाचार का न होना है, नौकरशाही द्वारा हस्तक्षेप न करना है तो यह अत्यन्त उदारीकरण अति आवश्यक है। अगर उदारता का यह मतलब है कि आडम्बरपूर्ण जीविका के लिए दुर्लभ संसाधनों को अपव्यय किया जाए तो मैं विनयपूर्वक यही अनुरोध करूंगा कि हम यह वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे आशा है कि हम इन प्रतिबन्धों को समझेंगे।

मैं समझता हूं कि आर्थिक मोर्चे पर जो गरीब हैं और विशेषकर वे वर्ग जो उपेक्षित रहे हैं, अभी भी पीड़ित और शोषित हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना है। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में अनेक सन्देह और आशंकाएं हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं कोई भी समझौता कर सकता हूं लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। पिछड़े और शोषित वर्ग द्वारा इस समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन पाने की उनकी इच्छा पर कोई समझौता नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, विश्व भर में अल्पसंख्यक आशंकित हैं। जो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक सम्बन्धी खण्ड संविधान में क्यों रखा ? धार्मिक अथवा जातीय या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक विश्व भर में तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उन्हें आशंका और डर होता है। अगर हम उनके कथन का शब्दशः मतलब लें तो हम सदैव एक गलत राजनैतिक निर्णय पर पहुंचेंगे। हमें उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए, उनकी आशंका को समझना चाहिए, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनका एक मनोविज्ञान है इस मनःस्थिति के तहत वे यह महसूस करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा, समृद्धि और अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। देश, राज्य और इससे भी अधिक बहुसंख्यक समुदाय का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनमें से यह डर समाप्त हो जाए। हमें यह करना होगा।

मैं कहता हूं कि धर्म के मामले में हर व्यक्ति स्वतन्त्र है। धर्म-निरपेक्षता का यह अभिप्राय नहीं है कि हम धर्म की उपेक्षा करें। धर्म मानव को भगवान से मिलाने का साधन है। जब तक धर्म का उपयोग मानव और भगवान के मेल के लिए धार्मिक उद्देश्यों के रूप में होता है, हमें इस बारे में झगड़ना नहीं चाहिए।

हमें इस देश में अपनी धार्मिक परम्परा पर गर्व होना चाहिए। मैं एक हिन्दू हूं। मुझे राम, कृष्ण, वेदों और हमारी आर्य सभ्यता पर गर्व है। लेकिन इसके साथ ही मुझे इस देश में आए अन्य धर्मों द्वारा किए गए योगदान पर भी गर्व है। इस सम्बन्ध में हिन्दू धर्म अन्य धर्मों से आगे है क्योंकि हमारे अन्दर स्नेह और सहनशीलता है। अगर यह सहनशीलता और स्नेह समाप्त हो जाते हैं तो हिन्दू धर्म अपनी शक्ति और अन्य सभी धर्मों पर श्रेष्ठता खो देगा।

मैं मन्दिर का निर्माण करने के विरुद्ध नहीं हूं। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह एक भावनात्मक मुद्दा है। इस भवन का निर्माण होना चाहिए। राम के जन्म-स्थान पर एक भव्य, सुन्दर तथा यथासम्भव बड़ा एक मन्दिर होना चाहिए। लेकिन मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे मन्दिर बनाने के जोश में मस्जिद को गिराने का प्रयास न करें क्योंकि आपकी इच्छानुसार मन्दिर बनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी और हम सब इसमें योगदान करेंगे। आडवाणी जी, अगर कुछ मिनटों के बाद मैं प्रधान मन्त्री बना रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मन्दिर-निर्माण में

हर तरह से सहयोग दूंगा। लेकिन सिर्फ एक बात है कि आप मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त कीजिए कि उनके आत्म गौरव और आत्म-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : विश्व हिन्दू परिषद ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि जब तक आप अयोध्या में कत्लेआम की निन्दा नहीं करेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा करने पर अपना खेद व्यक्त नहीं करते, विश्व हिन्दू परिषद के लोग अयोध्या मामले पर आपसे बातचीत नहीं करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : अगर वे मुझसे बात नहीं करते हैं तो भी मैं उनसे बात करने के प्रयास जारी रखूंगा क्योंकि मैं यह अत्यन्त स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय नागरिक कितने ही गलत रास्ते पर हो, मैं उससे बात करूंगा लेकिन ऐसा केवल एक शर्त पर होगा कि देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखण्डता के बारे में कोई समझौता नहीं होगा। सिर्फ यही एक शर्त है। अगर मेरे परिवार का एक पुत्र अथवा रिश्तेदार गलत काम करता है तो क्या मैं उसे एकदम से त्याग दूंगा ?

मैं जानता हूं कि इस सभा तथा दूसरी सभा में सदस्य अनेक बार एक उग्र रुख अपना लेते हैं। लेकिन संसदीय लोकतन्त्र का मतलब है वार्ता, बातचीत और एक दूसरे को किसी समझौते पर पहुंचने के लिए समझाना। यह संसदीय लोकतन्त्र का सार है।

मेरे मित्र सोमनाथ जी ने मुझसे पूछा कि आडवाणी जी अथवा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा क्या समझौता है। सामने बैठी महिला सदस्या के विरोध के बावजूद मैं पुनः दोहराता हूं कि केवल यही सहमति हुई है कि मैं आडवाणी जी को एक देशभक्त मानता हूं। मैं इस देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं श्री आडवाणी और उनके साथियों से अपील करता रहूंगा और मैं उनके निवास पर भी गया हूं और उन्हें बताया है कि देश टकराव और एक दूसरे से लड़ने में लिप्त नहीं हो सकता। अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर मुझे खेद है। कोई भी यह नहीं चाहता कि एक भी आदमी इस प्रकार मरे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में यदि एक भी पुरुष अथवा महिला की मृत्यु होती है तो मैं महसूस करता हूं कि भारत माता के एक सपूत अथवा सुपुत्री की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो मृत्यु ही है चाहे वह दंगाइयों के चाक से हो अथवा पुलिस की गोली से। मृत्यु में तो कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि दंगों में हुई मृत्यु गलत है और पुलिस के हाथों से हुई मृत्यु सही है। लेकिन कभी-कभी सरकार को वह काम भी करने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि श्री मुलायम सिंह को यह कार्य और कड़ाई से करने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, यदि लाखों जानें बचाने अथवा लाखों व्यक्तियों को सड़कों पर एक-दूसरे को मारने से रोकने के लिए कोई आदेश देने पड़ते हैं अथवा कार्यवाही करनी पड़ती है तो ऐसा दुःख के साथ ही किया जाता है और यदि माननीय महिला सदस्य यह समझती हैं कि मेरे खेद प्रकट करने से कुछ फर्क पड़ता है तो मैं खेद प्रकट करता हूं कि जो कुछ हुआ उसे रोका जाना चाहिए था। लेकिन यह दायित्व केवल सरकार का नहीं है बल्कि सभी सम्बन्धितों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर मैं झूठी शान नहीं दिखाना चाहता हूं। चाहे मैं क, ख, ग किसी से भी मिलूं मैं झूठी शान नहीं दिखाना चाहता हूं। जो भी शांति बहाल करने में सहायक हो सकता है मैं उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हूं। यदि मुस्लिम समुदाय उस स्थान पर, जहां मस्जिद है मन्दिर बनाने के लिए सहमत हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। लेकिन यह आम सहमति से होना चाहिए। यह परस्पर सहमति से होना चाहिए। यह उन पर लादा नहीं जाना चाहिए। मैं मुस्लिम और हिन्दू समुदाय के धार्मिक नेताओं से दुबारा अपील करता हूं कि वे साथ बैठकर बातचीत करें और इसका समाधान करने का प्रयास करें। हमें इस विषय को राजनीतिक रूप

नहीं देना चाहिए। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अपितु यह माननीय मुद्दा है। यह ऐसा मुद्दा है जिसका लम्बे समय तक इतिहास में सदैव स्थान रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। कृपया धर्म के नाम पर एक-दूसरे को नहीं मारिए, यह धर्म के विरुद्ध है चाहे वह इस्लाम धर्म हो, हिन्दू धर्म हो, इसाई धर्म हो अथवा अन्य कोई धर्म हो। इसीलिए मैंने यह कहा है कि परम्पराओं का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक यह प्रगति के रास्ते में बाधक न बने। मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के समय मेरे द्वारा अपनाए गए रवैये का उल्लेख किया है। मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ था। मैंने कोई विस्तृत वक्तव्य नहीं दिया था। जब कुछ संवाददाताओं ने मुझसे पूछा तो मैंने केवल यही कहा था, वह वाक्य मुझे अभी भी याद है, कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वर्ण मन्दिर में हमें सेना भेजनी पड़ी और शीघ्र इसे वापिस बुलाना बेहतर होगा। मैंने केवल यही कहा था। देश में इस बारे में अनेक टिप्पणियां की गईं। मेरे विरुद्ध संपादकीय लिखे गए। राजनीतिक नेताओं ने मेरी निंदा की और न केवल राजीव जी ने जो बाद में प्रधान मन्त्री बने बल्कि मेरे अपने दल के नेताओं ने भी मेरी निंदा की। श्री दण्डवते जी, हो सकता है श्री राजीव गांधी ने मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा हो। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, जिन्हें मैंने ग्यारह महीने तक समर्थन दिया, 1984 के चुनावों में जब बलिया गए तो उन्होंने कहा, "यह आदमी यहां से चुनाव क्यों लड़ रहा है? यह बलिया का भिंडरावाले है। इसे पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए।" जब उन्हें हमने इस देश के प्रधान मन्त्री के रूप में चुना और उनका समर्थन किया तो मैंने इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि व्यक्तिगत मामलों का हमारे राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने राजीव जी और कांग्रेस की आलोचना की होगी। उन्होंने भी मेरी आलोचना की होगी। जब देश में संकट है, मेरा यह अनुमान गलत भी हो सकता है, तो इस समय चुनाव कराने से देश में विपत्ति पैदा होगी जैसाकि कुछ मित्रों ने भी कहा है लेकिन भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा शुरू किए गए कार्यों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हूं और न मैं वैसा बनना चाहता हूं। यदि यह अपराध है तो मैं यह अपराध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं एक व्यक्ति अथवा दल का सहयोग नहीं चाहता हूं बल्कि सभी का सहयोग चाहता हूं। अन्य मुद्दों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि ग्यारह महीने पहले जब हमने यह सरकार गठित की थी तो उन्होंने हमारे घोषणा-पत्र को उद्धृत किया था। क्या उन्होंने वह घोषणा-पत्र पढ़ा है? पंजाब में क्या हुआ? क्या वहां स्थिति में सुधार हुआ है? कश्मीर में क्या हुआ? जब राजीव गांधी सत्ता से हटे थे तब कश्मीर···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने क्या किया?

श्री चन्द्र शेखर : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं····· (व्यवधान)···मैं आपको बताऊंगा। जब राजीव गांधी सत्ता से हटे थे तब कम से कम 25-30 प्रतिशत लोग खुले रूप से भारत का समर्थन कर रहे थे। जब हमारी सरकार बनी तो मैंने समाचार-पत्रों में सबसे पहली बात यही पढ़ी कि श्री जगमोहन को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। मैंने माननीय गृह मन्त्री जी को एक पत्र लिखा और कहा कि "यह अनर्थकारी होगा, कृपया ऐसा मत कीजिए।" कामरेड सुरजीत और फारुखी तथा मैंने उनसे अनुरोध किया कि ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसा किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं कहा था। मेरे श्री फारुखी के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं। मैंने माननीय गृह मन्त्री जी को यह समझाने का प्रयास किया था कि हमने पूरे विश्व में यही बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तानाशाही है और हमारे यहां निर्वाचित सरकार है। मेरी राजीव

गांधी सरकार के बारे में अच्छी राय नहीं थी। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे तब पांच वर्षों में मैं उनसे कभी नहीं मिला था। लेकिन श्री राजीव गांधी ने सम्मानपूर्वक अपना पद छोड़ा। अब हम एक दूसरे के बारे में वह विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं जो हमने चुनावों के दौरान प्रकट किए थे। राष्ट्र चलाने का यह कोई तरीका नहीं है कि राजीव गांधी की इस बात के लिए निन्दा करें कि चुनावों में हेरा-फेरी हुई। जब श्री मुफ्ती गृह मन्त्री बने तो उन्हें चुनावों में हुई हेरा-फेरी के बारे में पता था। जब वह कांग्रेस में थे तो उन्हें कभी भी यह बात याद नहीं आई। क्या यह तरीका राष्ट्र चलाने का है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी बोफोर्स के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और मैं यह पहली बार नहीं कह रहा हूं कि यही एक विशिष्ट देश है जहां यह कहा जाता है कि प्रधान मन्त्री बेईमान है और वित्त मन्त्री जिन्होंने उस सौदे की रूपरेखा तैयार की, ईमानदार हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय प्रधान मन्त्री जी की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं, यदि वे फाइल देखें तो उन्हें ज्ञात होगा, कि अन्तिम स्वीकृति वाणिज्यिक, तकनीकी और अन्य स्वीकृतियों के अध्यधीन थी। उसके बाद फाइल कभी मुझे वापिस नहीं मिली।

श्री चन्द्र शेखर : मैं उनसे सहमत हूं और उन्होंने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। क्या मैं यह मानूं कि सौदे की स्वीकृति हो जाने के बाद वित्त मन्त्री ने कभी फाइल नहीं देखी अथवा उन्हें फाइल देखने नहीं दी गई ? या तो वित्त मन्त्री इतने अनभिज्ञ थे कि उन्हें इसके परिणामों का पता नहीं था अथवा वह पूरे सौदे में सहायक थे। यदि वह अनभिज्ञ थे तो प्रधान मन्त्री के रूप में देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं था। बाद में यह सही साबित हो गया कि प्रधान मन्त्री के रूप में देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं था। इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय मैं सरकार में नहीं था। मैंने गोपनीयता की शपथ नहीं ली हुई थी। फाइलों के बारे में मत पूछिए। मैं इस सभा में फाइलों के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। जब तक अध्यक्ष महोदय मुझे निदेश नहीं देंगे अथवा यह सभा नहीं चाहेगी मैं इस सरकार की गोपनीय बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन श्री आडवाणी जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि बोफोर्स अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि राजकीय शक्तियां व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत मित्रता के कारण किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे विचार से सरकार को यही रास्ता अपनाना चाहिए।

बोफोर्स के बारे में मैंने काफी कुछ कह दिया है। कश्मीर, असम और तमिलनाडु में क्या स्थिति है ? असम, कश्मीर और पंजाब हमें श्री राजीव गांधी से विरासत में मिले हैं लेकिन असम और तमिलनाडु में ऐसी स्थिति किसने उत्पन्न की ? उस पक्ष के एक मित्र ने मुझे कुछ कार्यवाही करने के लिए कहा है। महोदय मैं आपको और पूरे राष्ट्र को आश्वासन देता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैंने असम और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री से पहले ही सम्पर्क किया है। मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि उन राज्यों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। मैं कोई भी तथ्य छुपाना नहीं चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार इतनी असहाय नहीं है। यदि दिल्ली में केन्द्र सरकार असहाय सी बैठी रहती है तो एक क्षण के लिए भी हमें यहां रहने का अधिकार नहीं है। यह प्रतिष्ठा का अथवा किसी को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है। यह अपना कर्तव्य निभाने

का प्रश्न है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने इन सभी मुद्दों पर विचार प्रकट करने का प्रयास किया।

7.00 म० प०

आर्थिक स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्धन के बारे में—मैं कुछ अधिक नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि हमने अपनी जनता को, अपने उद्योगपतियों को, अपने कर्मचारियों को गलत संकेत दिए हैं। लोग कुण्ठा और हताशा का अनुभव कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह सोचता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कगार है। हमारे नागरिक जो भारत से बाहर हैं, वे सोचते हैं कि भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। किन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपके सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से, इस देश को दुर्दशा की स्थिति से निकाल कर हम इस देश के गौरव को पुनःस्थापित करेंगे। हमें केवल अपने मेहनतकश लोगों का, अपने किसानों का, अपने श्रमिकों का सहयोग चाहिए। हमें भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीयों का समर्थन चाहिए क्योंकि वे भी हमारे समान ही देशभक्त हैं। हम सभी मित्र देशों का सहयोग चाहते हैं, किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि हम अपने खर्च में कमी करके इस संकट से पार पा सकते हैं। इसके लिए संयम आवश्यक है। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया मितव्ययता का नारा सिर्फ एक नारा ही नहीं था बल्कि यह हमारी आर्थिक नीति का एक अंग था। स्वदेशी और स्वावलंबन—आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था। स्वदेशी और स्वावलंबन का यथासंभव आश्रय लेने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। किन्तु संवेदनशील क्षेत्रों में हमें अन्य देशों से सहयोग लेना होगा।

मोटे तौर पर हमारा यही लक्ष्य है। हम यह प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। मैं कोई लम्बे चौड़े दावे नहीं करना चाहता। मैं इस सरकार की सीमाएं जानता हूं, किन्तु, आडवाणी जी फिर भी मैं कहूंगा, आप मुझे काफी समय से जानते हैं। मैं चाहे कुछ भी हूं किन्तु एक कठपुतली नहीं हो सकता। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे कठपुतली की तरह प्रयोग कर सके। इस देश में कई बड़े लोगों के साथ मेरा व्यवहार रहा है। यदि अभी तक मैं एक कठपुतली नहीं बना, तो निश्चित रहिए कि, आपके आशीर्वाद और समर्थन से, भविष्य में भी कोई भी कठपुतली की तरह मेरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। किन्तु क्योंकि कुछ लोग चिल्ला रहे है? इसलिए मैं उन लोगों की निन्दा नहीं करूंगा जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया है, यह संकट सिर्फ मेरा ही नहीं है, अपितु देश का भी संकट है और जो लोग मुझे समर्थन देने के लिए खड़े हुए है, मैं उनका आभारी हूं और मैं उनके समर्थन को मानता हूं। मैं गुप्त रूप से कोई काम नहीं करना चाहता। अगर मैं लोगों से मिलता हूं, तो उनसे खुले रूप में मिलता हूं। किसी ने कहा कि मैं गुप्त रूप से मिल रहा था। मैं किसी से गुप्त रूप से क्यों मिलूंगा? राजीव गांधी को मुझसे मिलने में कुछ संकोच हो सकता है। किन्तु मुझे श्री राजीव गांधी से मिलने में कभी कोई संकोच नहीं हुआ था। अगर प्रधान मन्त्री बनने के बाद मैं किसी के भी पास आ सकता हूं, फिर प्रधान मन्त्री बनने से पूर्व, किसी के स्थान पर जाने में मुझे क्या हिचकिचाहट हो सकती थी? अगर कोई अवसर आया तो मैं अपने कटु आलोचक के पास भी जाऊंगा। किन्तु मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे आप आलोचक हों या समर्थक, मुझे उस मार्ग से हटाने का प्रयास ना करें जो मैंने स्वयं बनाया है। यहां मैं एक उर्दू का शेर प्रयोग करना चाहूंगा :

[हिन्दी]

"मेरे कदम के साथ है मंजिल लगी हुई, मंजिल जहां नहीं वहां मेरे कदम नहीं।"

[अनुवाद]

आपको शुरुआत करनी चाहिए। मैं अपनी हिचकिचाहट जानता हूं, मैं अपना उद्देश्य जानता हूं। अगर मैं उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता, तो मैं किसी भी मार्ग पर सिर्फ एक एकाकी पथिक के रूप में नहीं चलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस अन्तिम मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा वह है दल-बदल। दल-बदल के बारे में नैतिक सिद्धांत बनाए गए हैं। कई बातें की गई हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, जब दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि अगर एक तिहाई लोग दल से निकलते हैं, तो यह दल-बदल नहीं माना जाएगा। जो लोग दल छोड़ना चाहते थे उनके लिए यह एक रियायत नहीं थी क्योंकि यह दल-बदल नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि एक और शब्द है जिसे 'विमति और विरोध' कहा जाता है। अगर विमति और विरोध प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो समाज में एक ठहराव आ जाएगा और ठहराव का अर्थ है निश्चित मृत्यु। जब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ही कुछ गलत हो रहा है और सारा देश विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है तो हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि हम विमति व्यक्त करें। हमें विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। और मुझे अपने उन मित्रों पर गर्व है जिन्होंने, जो कुछ इस समय हो रहा था उसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हों। इस महान उद्योग के लिए, इस महान कार्य के लिए, जो हमारे सम्मुख है, मैं आपका सहयोग चाहता हूं ताकि इस देश को वह गौरव और सम्मान पुनः प्राप्त हो सके जिसका वह अधिकारी है। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो विरोध में हों वे कृपया 'नही' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नही'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'नही' वालों के पक्ष में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

मुझे आशा है कि सदस्य अपने आवंटित स्थानों पर हैं। श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं पुनः सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती हैं।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-1] **[समय 7.13 म० प०**

पक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अडईकलराज, श्री एल०
अतिन्दर पाल सिंघ, स०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्र जीत, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
कमान्डर, श्री मोहम्मद हसन
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कामु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण, श्री जी०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केशरी लाल, श्री
कोंतल, श्री राम कृष्ण
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री जुल्फिकार अली
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज

गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौहान, श्री प्रभातसिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जयमोहन, श्री ए०
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जाबाली, डा० बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तिवारी, श्री बृज भूषण
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
देब बर्मन, श्री के० बी० के०
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव

नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाल, डा० देवी प्रसाद
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री बी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंगारी सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बलरामन, श्री एस०
बशीर, श्री टी०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाली, श्रीमती बैजयन्तीमाला
बासराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एस०
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मजबर, श्री बलवन्त
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
माडे गौडा, श्री जी०
माने, श्री आर० एस०
मारक, श्री सनफोडं
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मोहम्मद, श्री इ० एस० एम० पाकीर
मोहम्मद शफी, श्री
यामवानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
रामदेव सिंह, श्री
राजू, श्रीमती उमा गजपति
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एम० विजय राम
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम०जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर

रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री राजामोहन
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज
विश्वानाथम, डा०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शिंगडा, श्री डी० बी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
समद, श्री अब्दुल
सरवर हुसैन, श्री
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री बसंत
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
सारण, श्री दौलत राम
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती ऊषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एम०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुनील दत्त, श्री
सुमन, श्री रामजी लाल
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर

सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, सूरजभानु

हान्डू, श्री प्यारे लाल
हेत राम, श्री

विपक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अजित सिंह, श्री
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अवैद्य नाथ, महन्त
अहमद, श्री अनवार
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री वसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमा भारती, कुमारी
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
कृपाल सिंह, श्री
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खनोरिया, मेजर डी० डी०
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चावड़ा, श्री खेमचंदभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जटिया, श्री सत्यनारायण
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री धान सिंह
जायनल, अबेदिन श्री
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकांत
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा० राम चंद्र
तस्लीमुद्दीन, श्री

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तीरकी, श्री पीयूष
तोपदार, श्री तरित बरण
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
परांजपे, श्री बाबूराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित
बानखेले, श्री किसनराव बाबूराव
बाला, डा० अमीम
बेग, श्री आरिफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र

बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भारतीय, श्री सन्तोष
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मन्टोष, श्री पाल आर०
मरांडी, श्री साइमन
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाता, श्री चित्त
महाले, श्री हरि शंकर
महेश्वर सिंह, श्री
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हरधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री के० राम मोहन

रावत, प्रो० रामा सिंह

वघेला, श्री शंकरसिंह

वर्मा, श्री एस० सी०

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री शिव शरण

विजयराघवन, श्री ए०

वेकारिया, श्री एस० एन०

शकीलुर्रहमान, डा०

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री अनिल

शाह, श्री बाबूभाई मेघजी

शिवनकर, प्रो० महादेव

श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद

सरताज सिंह, श्री

सरोज, श्री सरजू प्रसाद

साय, श्री ए० सरंग

साय, श्री नन्द कुमार

सिंह, श्री अजय

सिंह, श्री जगन्नाथ

सिंह, श्री तेज नारायण

सिंह, श्री मानधाता

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम नरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामदास

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री लोकेन्द्र

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सुखेन्द्र

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हर गोविन्द

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सूबेदार, श्री

सेल्वाराजु, श्री एम०

सोरेन, श्री शिबू

हसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हीराभाई, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 269

विपक्ष में : 204

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

7.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

———

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री बेगाराम, डा० के कालीमुथु, सर्वश्री सी० श्रीनिवासन, पलाई के० एम० मैथ्यू, ब्रह्म दत, मानकूराम सोढ़ी, वाई० एस० महाजन, बासवपुन्नय्या सिंगम, जय प्रकाश और बी० एन० रेड्डी ।

विपक्ष में : सर्वश्री रशीद मसूद, उपेन्द्र नाथ वर्मा, समरेन्द्र कुन्डू, गंगा चरण लोधी, सुकदेव पासवान, गुमान मल लोढा, ईश्वर चौधरी, श्रीमती वसुन्धरा राजे, रुद्रसेन चौधरी और राम सजीवन ।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली ।

लोक सभा

वाद-विवाद

(नवम माला)

खण्ड 12

16 नवम्बर, 1990/25 कार्तिक, 1912 (शक)

पांसवां सत्र, 1990/1912 (शक)

(खण्ड 12 में अंक 1 है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पी०एल०एस०-48/12/I/90 (एन०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक इण्डियन प्रैस, दिल्ली मुद्रणालय द्वारा मुद्रित ।